खण्ड-308, अंक-1
मंगलवार, 4 आषाढ़, शक संवत् 1896
(25 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 25 जून, 1974

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।]

उपस्थित सदस्य—362

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठईराम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल फैज शाह , श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव ,श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर , श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथराम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दर्लसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धोरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता , डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभुनारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफी उर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री

राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीलाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरति विन्द, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समुझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफीकुल रहमान वर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामादेवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री उर्फ (भुलई भाई)
श्री पाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह सुफ, श्री
सन्तोषकुमारी पाठक, श्रीमती

सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार 25 जून, 1974

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

माल एवेन्यू लखनऊ स्थित नजूल भूमि का मुस्लिम कब्रिस्तान के लिये कन्टोनमेन्ट बोर्ड को स्थानान्तरण

*1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्व पल्ली, माल एवेन्यू, लखनऊ में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु शासन द्वारा कोई आदेश गत आम निर्वाचन के कुछ ही दिन पूर्व 1954 तथा 1962 के शासन के अपने ही पूर्व निर्णयों की अवहेलना करके नजूल विभाग के द्वारा दिया गया है? यदि हां तो ऐसा किन विशेष परिस्थितियों में किया गया है?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माल एवेन्यू, लखनऊ में स्थित 1 बीघा, 11 बिस्वा, 14 विस्वांसी नजूल भूमि को कब्रिस्तान के प्रयोगार्थ कन्टोनमेन्ट बोर्ड को स्थानान्तरित करने के आदेश वर्ष 1948 में ही दे दिये गये थे। परन्तु सदर निवासी श्री रमजान बख्श द्वारा एक मुकदमा दायर कर दिये जाने के कारण उक्त आदेशों को तुरन्त कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस बीच वर्ष 1954 तथा 1962 में शासन ने यह निर्णय लिया कि उक्त भूमि को कब्रिस्तान में सम्मिलित न किया जाय। वर्ष 1969 में श्री रमजान बख्श द्वारा दायर किये गये मुकदमे का निर्णय उनके विरुद्ध हुआ। इधर शासन के समक्ष जनता की ओर से बराबर यह मांग की जाती रही कि कब्रिस्तान के लिये उक्त भूमि उपलब्ध की जाय। अन्ततः महापालिका द्वारा भूमि का कब्जा कन्टोनमेन्ट बोर्ड को दिनांक 13 मार्च, 1974 को द दिया गया।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह जमीन 50 हजार वर्ग फीट के करीब है और इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये होगी। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि महापालिका ने यह जमीन कैन्टोनमेंट बोर्ड को किस तारीख को दी और उसने किस तारीख को कब्रिस्तान कमेटी को हस्तान्तरित किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया गया है कि 13 मार्च, 1974 को दे दी गयी थी ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

महापालिका ने कन्टोनमेंट बोर्ड को कब दिया और कैन्टोनमेंट बोर्ड ने कब कब्रिस्तान कमेटी को हस्तान्तरित किया ? यह मेरे दो स्पष्ट सवाल हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

एक का तो जबाव मैं दे चुका।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यही तो सवाल है। मेरी जानकारी यह है कि एक ही दिन में महापालिका ने कन्टोनमट बोर्ड को ट्रान्सफर किया और उसी दिन तत्काल कब्रिस्तान कमेटी को हस्तान्तरित किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---

जो हमारे अधीन है वह सिर्फ महापालिका। उसकी तारीख तो मेरे पास है। कैन्टोनमेंट बोर्ड ने क्या किया इसकी जानकारी करनी ह तो माननीय सदस्य को किसी पार्लियामेंट के सदस्य से प्रश्न करवाना चाहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

क्या यह सत्य है कि 1954 तथा 1962 में दो मुख्य मंत्रियों ने इसके ट्रान्सफर को इन्कार भी किया था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---

मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें "हां" और "न", दोनों होते रहे। वक्त बीतता गया। अदालत बीच में आयी। एक बार दिया गया था फिर नहीं दिया गया और आखिर में फसला हुआ कि कैन्टोनमेंट बोर्ड कह रहा है कि दे दो, लोग कह रहे हैं दे दो, तो इस सवाल का कोई जबाव आखिरी भी होना चाहिये जिस रात को सुबह हो गयी।

श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद)---

क्या महापालिका अधिनियम की धारा 415 के अधीन वहां के आस-पास के निवासियों ने उस कब्रिस्तान को बन्द करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया था और खसरा नम्बर 114 से 120 तक की जो जमीन कब्रिस्तान को दी गयी है उसमें नं0 15 से लेकर 20 तक सरकारी बंगले भी क्या साथ में दे दिये गये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, इसमें एक भी बंगला नहीं दिया गया है। दो मुसलमान भाइयों के पास यह जमीन बन्दोबस्त में थी। इनके पिता को असल में किसी बन्दोबस्त में दी गयी थी। किस कारण दी गयी थी वह कागज नहीं मिल रहा है। दो भाई हैं। इनके पिता का देहान्त 1948 के पहले हो हो चुका था। तभी से यह गार्डन नाट चली आ रही थी। अब वह खत्म हो गयी। अब न सवाल रहेगा और न जबाव रहेगा।

श्री तीरथ राम कोहली---

मैंने पूछा था कि अधिनियम की धारा 415 के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मेरे पास इसकी सूचना इस वक्त नहीं है। माननीय सदस्य अलग से प्रश्न कर लें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में कब्रिस्तान बढ़ाये जाने की जो फाइल है वह हस्तान्तरित किये जाने से केवल 7 दिन पहले शुरू हुई और सात दिन के अन्दर ही मिलिटरी को देने की बात और मिलिटरी से फिर कब्रिस्तान कमेटी को देने की बात समाप्त कर दी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

फौज तो गोली की तरह चलती ही है, उसने गोली की तरह काम किया होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

श्रीमन्, गोली बारूद की बात हम नहीं करते। 7 दिन पहले यह फाइल चलाई गयी और सात दिन के अन्दर ही अन्दर सारी कार्यवाही पूरी हो गयी। तो इतनी जल्दी 7 दिन के अन्दर ही पूरी कार्यवाही हो जाने का कारण क्या था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह सवाल तो सन् 48 से चला आ रहा था, 26 साल बाद कार्यवाही हुई।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

इस कब्रिस्तान के पूर्व में जहां मान्टेसरी स्कूल है, वहीं पर कब्रिस्तान की काफी जमीन मौजूद है जहां पर खेती होती है, तो जब कब्रिस्तान के पास जमीन मौजूद है और वहां पर खेती हो रही है, तो वहां इस जमीन को क्यों दे दिया गया जब कि इस जमीन के आसपास वहां काफी लोगों की कोठियां बनी हुई हैं, कब्रिस्तान का वहां विस्तार करने से बीमारी आदि भी फैल सकती है, तो बिना सोचे-विचारे इतनी जल्दी में इस कार्य को क्यों किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कब्रिस्तान से कोई बीमारी नहीं फैलती और न ही किसी भूत-परेत का डर है। इस कब्रिस्तान से कोई भूत-परेत या बीमारी नहीं आयेगी, यह मैं सदन को एश्योर करता हूं।

श्री राममूर्ति---

मैंने तो यह अर्ज था किया कि इस जमीन के पूर्व में ही कब्रिस्तान की ही दूसरी जमीन पड़ी हुई थी जिस पर खेती हो रही ह, उसी को क्यों न दे दिया गया, उस जमीन के होते हुये यह दूसरी क्यों दे दी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कैन्टोनमेंट बोर्ड स्थानीय निकाय और जनता की मांग को देखने के बाद यह निर्णय लिया गया।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या यह सही नहीं है कि मुस्लिम वोटों को खरीदने के लिये एलैक्शन के समय इतनी जल्दी में यह कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---

यह खरीद-फरोख्त की बात हमसे नहीं होती, आप ही करते होंगे .....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—
एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—
मैं दस बार खड़ा हो चुका हूं, मुझे मौका आपने नहीं दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि कैन्टोनमेन्ट बोर्ड का क्या इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र आपको प्राप्त हुआ है, यदि हां तो वह किस तारीख का है और उसमें क्या लिखा है ? क्या उसने यह लिखा है कि यह जमीन महापालिका को दे दी जाय ? उसके अलावा जनवरी और फरवरी माह में किन-किन लोगों के प्रार्थना-पत्र आपको प्राप्त हुये हैं, उनके नाम व तारीख आप बता दें ।

श्री अध्यक्ष—
यह बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—
श्रीमन्, यह बहुत महत्व का सवाल है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—
मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मेरा मूल प्रश्न था और मुझे 3 प्रश्न करने का अधिकार है । मुझे केवल एक ही प्रश्न करने का अवसर दिया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी ओर से एक परचा छपा था हेमवती नन्दन बहुगुणा की तरफ से मुसलमानों के लिये और यह जमीन का एलाटमेंट इसलिये हुआ था कि वहां पर 5 हजार मुस्लिम वोट्स थे । उनको प्राप्त करने के लिये इतनी जल्दी में यह काम हुआ । डा० चरण सिंह को जिताने के लिये यह सब कार्यवाही की गयी है, वरना बीसों साल से यह मामला पड़ा हुआ था और किसी भी मुख्य मंत्री की यह हिम्मत नहीं हुई थी कि उस जमीन को कब्रिस्तान के लिये दे दे । वहां पर कई बड़े-बड़े आफिसरों के बंगले तक बने हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—
यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है ? (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—
श्रीमन्, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करने का अवसर अवश्य दें । प्रश्न यह नहीं है कि जमीन क्यों दी गयी, प्रश्न तो यह है कि श्रीमन् 20 वर्ष तक फसला न होकर इतने कम समय में कैसे हो गया । उस समय इलेक्शन का मामला सामने था और इस मामले को उसी समय क्यों खत्म किया गया । तो आप नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा का अवसर दें ?

श्री त्रिवेणी सहाय—
मान्यवर, यहां पर जो प्रश्न से संबंधित जवाब दिये गये वह कोई जबाव नहीं हुये । उनमें पूरी सूचना नहीं दी गयी । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—
आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दिया गया उसमें आप संतुष्ट नहीं है । आपने जो यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—
मान्यवर, 5 लाख रुपये की कीमत की जमीन इस तरह से दे दी जाय, पिछली 2 सरकारें रहीं हैं परन्तु उन्होंन एसा नहीं किया । पर आपकी सरकार न इतनी जल्दी यह सब कर दिया । तो यह व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर उत्तर मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 2, पुकारे जाने पर शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, आप इस पर जबाव दिलवा सकते हैं । इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है । मेरा प्रश्न श्रीमन् यह नहीं है उनको जमीन क्यों दी गयी है । मैं इसमें नहीं जाना चाहता । पर यह जो उनको उस अवसर पर दी गयी जबकि इलेक्शन था, इस पर चर्चा का अवसर अवश्य दें ?

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर नोटिस देंगे यह तभी हो सकता है । यह प्रश्न राजनैतिक दृष्टिकोण का प्राविधान और विवेचना का नहीं है । यह एक विशेष मामले का प्रश्न है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन् नियम 49 के अन्दर चर्चा का अवसर तो मांगा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

जब आप नोटिस देंगे तो मैं इसको देखूंगा और तब मैं इसको स्वीकार करूंगा ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो यह जमीन दी गयी तो यह किसी उद्देश्य से ही दी गयी थी । मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, इसी तरह से मेवों हाल का सवाल और अन्य हालों का सवाल आया, पर संतोष-जनक उतर नहीं दिये गये । श्रीमन्, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोगों ने इस पर चर्चा करने को मांगा, नियम 49 के अंदर, तो मैंने विचार करने को कहा है । लेकिन यही प्रश्न बार-बार उठाया जा रहा है और कहा गया जा रहा है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । आपकी ही तरह यहां पर अन्य लोगों के प्रश्नों को उत्तर दिये जाने हैं, वह भी तो महत्वपूर्ण हैं-।

जिला बुलन्दशहर में गेहूं के उत्पादकों को गेहूं की बिक्री का बोनस

*2---श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में गेहूं के उत्पादकों को सन् 1973 में गेहूं की बिक्री के बोनस का रुपया अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या दूसरे जिलों में भी गेहूं के बोनस का रुपया कृषकों को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बुलन्दशहर जिले में किसानों को वर्ष 1973 में गेहूं की बिक्री पर बोनस का रुपया अब तक कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नहीं दिया जा सका लेकिन इस वर्ष सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को, जिन्होंने 1973 में राजकीय ऐजेन्सियों को गेहूं बेचा था और समितियों से उर्वरक अदि के क्रय हेतु ऋण लिया था, देय बोनस की धनराशि उन पर लग ऋण में समायोजित की जायेगी । जिसमें से बुलन्दशहर जनपद में 8,27,040 रु० का समा-योजन करने का प्राविधान है ।

प्रदेश के अन्य 12 जनपदों में जिन की सूची संलग्न है कृषि बिभाग द्वारा 3,88,263 रु० की धनराशि बोनस के रूप में कृषकों को बांटी गयी ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 96 पर ।)

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी कठिनाइयां है जिनसे जिला बुलन्दशहर को जो गेहूं उत्पादन का प्रमुख जिला है अभी तक बोनस नहीं दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, बोनस का रुपया कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण नहीं दिया जा सका। इस कठिनाई को अब मैं हटा रहा हूं। जबकि इनको पहले हटा दिया जाना चाहिये था। यह प्रशासनिक भूल है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार से बोनस के रूप में कितना रुपया प्रदेश सरकार को मिला था ? दूसरा प्रश्न है कि उन्होंने बताया कि इस वर्ष सहकारी समितियों के जरिये गेहूं खरीदा जा रहा है और उनको वर्ष 1973–74 को बोनस दिया जा रहा है। तो अन्य संस्थाओं जैसे एफ० सी० आई० तथा खाद्य विभाग द्वारा जो खरीददारी हुई है उनको किस प्रकार बोनस मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

पहला प्रश्न तो व्यापक है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न कीजिए।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को बोनस के रूप में 1973–74 के गेहूं के खरीद पर कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका अलग है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

दूसरा प्रश्न मुझे पूछना है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष कोआपरेटिव फेडरेशन के जरिये जो अनाज क्रय किया जा रहा है तो उस पर बोनस दिया जा रहा है परन्तु वर्ष 1973–74 में जो बोनस देना था उस पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं जिन्होंने एफ० सी० आई० तथा अन्य संस्थाओं को जो गेहूं बेचा था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि तथा खाद्य विभाग दोनों को मिलाकर जो संरक्षण संस्थायें हैं वे मिलकर अपना हिसाब बनाकर भेजें कि कितना पैसा सीड कारपोरेशन का था, कितना एग्रीकल्चर सीड स्टोर का है आदि। हमारी आशा है उनको हम पैसा जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जब सरकार की यह नीति थी कि किसानों को बोनस मिलेगा परन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण बोनस नहीं उनको दिया जा सका तो वह कितना रुपया था जो उनको मिलना था ?

श्री अध्यक्ष—

क्या यह बुलन्दशहर के बारे में प्रश्न है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

इस प्रश्न का संदर्भ समस्त उत्तर प्रदेश के ऊपर है। जब सरकार की घोषित नीति के हिसाब से बोनस मिलना चाहिये था लेकिन कुछ तथाकथित प्रशासनिक भूलों के कारण वह रुपया उनको नहीं मिल सका तो मंत्री जी अब वह रुपया दिलाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी क उत्तर से संबंधित कि उन्होंने कहा है कि सहकारी समितियों से उर्वरक क्रय हेतु ऋण लिया था तो उन किसानों को देय बोनस की धनराशि से ऋण को समायोजित किया जायेगा । परन्तु बहुत से ऐसे किसान थे जो कर्जदार नहीं है परन्तु उन्होंने भी सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं बेचा है । तो उनको बोनस दिलानें की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, एक रुपया साठ पसे के प्रति क्विन्टल के हिसाब से बोनस मिलना था । पारसाल 8 लाख क्विन्टल क करीब गेहूं जमा हुआ था । मोट हिसाब से लगाया जा सकता है कि कुल कितना धन रहा होगा । जितने का दय है उसको एडजस्ट करके शेष रुपया नकद वापस मिलेगा ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

माननीय पुख्य जी के उत्तर से सम्बन्धित । जैसे मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण बोनस नहीं दिया गया तो वह कौन सी प्रशासनिक कठिनाईयां थी जिनके कारण बोनस नहीं दिया गया और क्या और भी ऐसे जिले है जिनमें इन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण बोनस नहीं दिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि यह कठिनाई वह थीं जिनसे माननीय सदस्य अवगत हैं । मई 1973 से लेकर उसके बाद से ऐसा घटनाक्रम चला कि प्रशासनिक उलटफेर हुआ । उस पीरिएड में जन प्रतिनिधि शासन में रहे नहीं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भूल हुई है और कोई वजह नहीं है कि यह रुपया नहीं दिया जाय । जसे ही यह भूल सामने आई इसक निवारण के लिये व्यवस्था कर दी गई है । जितना उधार है उनका उतना रुपया एडजस्ट कर दिया जायेगा और जिनका नहीं है उनको नकद रुपया मिल जायेगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

प्रशासनिक कठिनाइयों क कारण जो धनराशि नहीं बांटी वह धनराशि कितनी थी और उस धनराशि को किस रूप में काश्तकारों को दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जैसा मैंने कहा उनको नकद मिलेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहायक कृषि अभियंता, बस वर्कशाप द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों की खरीद

*17--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उपनिदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के बस वर्कशाप के सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा 1969 से अब तक अधिकांशतः उत्तम मूल रचना के पार्ट्स क्रय करने का आदेश देकर घटिया किस्म के पुर्जों की डिलेवरी ली जाती रही है ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे कुछ पार्ट्स भौतिक सत्यापन पर 1970 से अब तक कई बार पकड़े गये ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इस संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी । विभागीय जांच के बाद मामला सतर्कता अधिष्ठान को जांच हेतु दे दिया गया है ।

जिला बहराइच के कुछ न्याय पंचायतों के सरपंचों के चुनाव का स्थगन

*2--श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)---

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि बहराइच जनपद में कुछ न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और चुनाव कब तक हो जायेगा ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बदेलब सिंह आर्य)---

बहराइच जनपद की 31 न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है । इनमें से 10 न्याय पंचायतों का गठन इस कारण नहीं हो पा रहा है कि उनके मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । शेष 21 न्याय पंचायतों के गठन की कार्यवाही विधान सभा के सामान्य निर्वाचन तथा विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के कारण समय-समय पर रोक दी गयी थी । अब आदेश दे दिये गये हैं कि इन 21 न्याय पंचायतों का गठन 30 जून, 1974 तक सम्पन्न करा लिये जायं ।

क्षेत्र समिति, बेलसर, जिला गोंडा के प्रमुखों की शपथ

*3--श्री सुखद राज सिंह---

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति बेलसर, जिला गोंडा एवं क्षेत्र समिति गोंडा के प्रमुखों के सम्बन्ध में निदेशक, निर्वाचन चुनाव परिणाम रोकने सम्बन्धी आदेशों को उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त करने के बावजूद अभी तक प्रमुख पद की शपथ नहीं दिलाई गई है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

गोण्डा जनपद के क्षेत्र समिति, बेलसर के प्रमुख को दिनांक 10-4-74 को शपथ दिलायी जा चुकी है । क्षेत्र समिति गोण्डा नाम की कोई क्षेत्र समिति गोण्डा जनपद में नहीं है ।

श्री सुखदराज सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहराइच जनपद में 10 न्याय पंचायतों के मुकदमें उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमें कब दायर किये गये थे गठन के पूर्व या बाद ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, बहराइच जनपद में 9 न्याय पचायतें प्रयागपुर क्षेत्र में पड़ती हैं । प्रयागपुर को एक विशेष स्थिति यह रही है कि प्रमुख के निर्वाचन की घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी । इसी बीच में पंचायतों के चयन के लिये परामर्शदात्री समिति ने पंचायतों का चयन किया और उसके बाद जिलाधीश ने शासन से पूछा कि प्रमुख के चुनाव नहीं हुये हैं इसलिये इन चुने गये सदस्यों की शपथ कहां दिलाई जाय । शासन ने यह आदेश दिये कि जब तक नये प्रमुख के चुनाव नहीं हो जाते तब तक पुराने प्रमुख पदासीन माने जाते हैं इसलिये क्षेत्र समिति की बैठक बुलाकर के और इन न्याय पंचायतों के पंचों को शपथ दिला दिया जाय । इस निर्णय को भी उच्च न्यायालय में चैलेन्ज किया गया और उसके बाद यह स्थगित कर दिया गया जो अभी तक स्थगित है । और इसी तरह से जो एक दूसरी न्याय पंचायत है नवादा तजवापुर क्षेत्र में इसका मामला भी उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है । जब वहां से निर्णय हो जायगा तब इन 10 न्याय पंचायतों का चुनाव होगा ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

बहराइच में तो यह स्थिति है कि हाई कोर्ट के कारण चुनाव रोके गये हैं लेकिन प्रदेश में बहुत से स्थान है जहां न हाई कोर्ट की बात है और न दूसरी बात है लेकिन फिर भी वहां पर चुनाव नहीं हो पाये हैं । इस बात को देखते हुये कि समय काफी हो गया है और जिन न्याय पंचायतों के चुनाव में कोई बाधा नहीं है वहां चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो जनरल सवाल है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

यह व्यापक हित में है ।

श्री अध्यक्ष—

जो सवाल है इससे बड़ा सवाल हो जाता है । अगर कोई नीति मंत्री जी को घोषित करनी हो तो कर दें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन से यह आदेश भेज दिये गये हैं कि 30 जून तक सभी न्याय पंचायतों का गठन का काम समाप्त कर दिया जाय । आशा है कि प्रदेश के जिन जिलों में न्याय पंचायतों के गठन का काम रुका हुआ है वह समाप्त हो जायगा ।

श्री सुखद राज सिंह—

उस दिन यह प्रश्न था कि 21 पंचायतों का गठन क्यों नहीं हुआ । जहां तक विधान परिषद् या विधान सभा के चुनाव का प्रश्न है वह बाद में आया । मौलिक प्रश्न यह था कि 21 न्याय पंचायतों का गठन क्या राजनीतिक कारणों से स्थगित कर दिया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कोई राजनीतिक कारण नहीं था । 21 पंचायतों के चयन के लिये जो परामर्शदात्री समिति थी उसकी बैठक अक्तूबर 19, 20, 21 तथा 5 नवम्बर, 1973 को हुई । जो सूची स्वीकृत की गयी उसके अलावा 58 पचायतों से ऐसे सदस्यों के नाम भेजे जो निरक्षर थे । इस पर उन पंचायतों को लिखा गया कि लिखने-पढ़ने वालों का नाम भेजा जाय । 26 दिसम्बर, 1973 को नाम आये । जिलाधीश ने शासन को लिखा कि क्या परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता है । शासन ने लिखा कि परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाकर उन नामों की स्वीकृति ली जाय । अब 12 जून को आदेश दे दिये गये हैं कि 30 जून तक गठन हो जाना चाहिये ।

श्री सुखदराज सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मंत्री जी ने इस सदन को गुमराह किया है मैं इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

तहसील दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में पेयजल योजना

*4—श्री शिव सम्पत्ति (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पेयजल के लिये कुयें नहीं हैं तथा उन ग्रामों में कुयें बनवाने की दृष्टि से सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज तहसीलों में 203 ग्राम ऐसे हैं जहां पेयजल के लिये कुयें नहीं हैं ।

[श्री बलदेअ सिंह आर्य]

पंचम पंचवर्षीय योजना में हरिजन बस्तियों में कुयें बनाने पर बल दिया जा रहा है और मिर्जापुर जिले को पूरे प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कुओं के निर्माण के लिय उपयुक्त धनराशि आवंटित की जायेगी ।

श्री शिव सम्पत्ति--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वर्ष 73-74 में इस क्षेत्र में कितने कुयें बने और 74-75 में कितने कुयें बनाने की योजना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

आगे बनाने के लिये 203 गांवों की जो सूची हमारे पास है । वह विकास खंड के हिसाब से मैं बता सकता हूं । परन्तु कितने बने, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । हमने जिलाधीश को कई बार लिखा, किन्तु उत्तर नहीं मिला ।

श्री शिव सम्पत्ति--

मान्यवर, क्या वजह है कि मंत्री जी ने लिखा और जिलाधीश ने जवाब नहीं दिया ? यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार निर्धारित राशि को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, 1974-75 के आय-व्ययक में 25 लाख रुपया की धनराशि हरिजन बस्तियों में कुवां बनाने के लिये रखा गया है । पूरे प्रदेश को दृष्टि में रखकर मिर्जापुर जिले का जो हिस्सा आयेगा, वह अवश्य आवंटित किया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय की बड़ी असहाय स्थिति है । उन्होंने कहा कि इन्होंने लिखा लेकिन जिलाधीश ने रिपोर्ट नहीं भेजी । इसलिये मेरा मुख्य मंत्री से प्रार्थना है कि कृपया वह अपने मंत्रियों की सहायता करें, क्योंकि जब उन पत्रों का जवाब कलेक्टर लोग नहीं भेजते तो इससे इस माननीय सदन का नुकसान होता है और हम लोगों को जवाब नहीं मिल पाता है । अब प्रश्न यह है कि कितने कुयें बनें इसकी इनके पास सूचना नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में ये किस आधार पर काम करने जा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह तो बजट की स्वीकृति के बाद ही पता चलेगा कि किस जिले में कितने कुयें बनेंगे और कितनी धनराशि दें सकेंगे । जो पिछले वर्ष की धनराशि आवंटित की गयी थी, उसकी सूचना मिर्जापुर जिले को उपलब्ध नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि कलेक्टर महोदय ने मंत्री जी को जवाब नहीं भेजा । मुमकिन है कलक्टर महोदय हाबी हों । अब मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां पर उन्होंने कुयें बनाये हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है और जहां-जहां नहीं बनवाये हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है । क्या जहां पर कुयें नहीं है, वहां लोग गड्ढों से पानी पीते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मिर्जापुर जिले के पीने के पानी के अभाव की जिन 203 गांवों की सूची मेरे पास पहले से है, उसमें अब उन गांवों की तादाद कम होती जा रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर कुयें नहीं बने हैं, वहां क्या लोग गड्ढों से पानी पीते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जहां पीने के पानी का अभाव है, वहां लोग खासतौर पर गरीब हरिजन लोग, गड्ढों से पानी पीते हैं ।

(विरोधी पक्ष से शेम-शेम की आवाज)

लेकिन, उसकी सूचना मुझको नही है, माननीय सदस्य को होगी । अगर माननीय सदस्य को इस विषय में जानकारी की आवश्यकता है, तो पुनः प्रश्न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे फैक्ट्स उनके सामने रख दूं ।

श्री राम मूर्ति--

क्या सरकार इस तथ्य को सामने रखते हुये कि हरिजनों के लिये पानी का सवाल बहुत अहमियत रखता है वह इसे मुनासिब समझते हैं बजाय इसके कि हरिजनों को दरख्वास्त देनी पड़े कि उनको पानी की जरूरत है सरकार एक सर्वे हर ब्लाक के अन्दर करा ले कहां पानी की जरूरत है तब वहां कुयें बनवायें जायं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सर्वे कराने से ही 203 गांव निकले हैं । हम प्रदेश भर के सभी जिलों में सर्वे करा रहे हैं कितनी हरिजन बस्तियां ऐसी हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ।

सहकारी बैंक, गाजीपुर के संचालक मडण्ल का भंग किया जाना

*5--श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजीपुर के संचालक मंडल को गम्भीर अनियमितताओं के कारण भंग कर दिया है और इन गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ मामलों की जांच पुलिस कर रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां । जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजीपुर के संचालक मंडल को गम्भीर अनिमितताओं के कारण दिनांक 24-3-74 के आदेश द्वारा अवक्रान्त कर दिया गया है ।

इन अनियमितताओं से सम्बन्धित मामलों की जांच पुलिस नहीं कर रही है । अतः पुलिस की जांच रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम जनम राय--

क्या मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक, गाजीपुर में वर्ष 71-72 में 39,83,418 रु0 तथा वर्ष 72-73 में 37,82,889 रु0 की धनराशि आडिटर द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध बतलाई गयी है तथा बैंक तथा समिति के सदस्यों पर 1 करोड़ 37 लाख रुपये का ऋण की वसूली नहीं हो रही है और इसका बहुत बड़ा अंश फर्जी वितरित है ? यदि हां, तो क्या गबन के ऐसे बड़े मामले पुलिस कार्यवाही में नहीं आते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

22-4-74 को संचालक मंडल ने एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर कर दिया इसलिये मेरे लिये कुछ कहना संभव नहीं है । जितना उत्तर मैंने दिया उससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकूंगा ।

श्री राम जनम राय--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्व गामी प्रश्न में इंगित गम्भीर आर्थिक मामलों की वह छानबीन कराने तथा कुछ को पुलिस जांच के सुपुर्द कराने के कारण ही उप निबन्धक सहकारी समिति, वाराणसी को स्थानान्तरित कर सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है तथा पुनः संचालक मंडल को कार्यभार सौंपने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैंने अर्ज किया कि मामला हाई कोर्ट में है। जब तक वहां यह मामला रहेगा तब तक शासन कुछ नहीं करेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मैं जानकारी चाहता हूं कि जिन आरोपों के आधार पर यह सहकारी समिति भंग की गयी है वे आरोप क्या-क्या है और क्या उसकी तिलिपि माननीय मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

डिटेल्स सब जूडिस होने के कारण कुछ कहने की गुंजायश नहीं है । साधारणतया जो आरोप थे वे जीप के दुरुपयोग के सम्बन्ध में, टी0ए0 बिल के सम्बन्ध में, वसूली पूरी न होने के सम्बन्ध में, बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके सम्बन्ध में, जीप की मरम्मत में कुछ ज्यादा रुपया खर्च किया गया इस सम्बन्ध में थे । लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला सब जूडिस हो तो नियमानुसार यहां उसका जिक्र कना ठीक नही है ।

(शोरगुल)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

जो फैक्ट्स है उनके बारे में कुछ कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके तथ्य तो आ सकते है..

श्री अध्यक्ष ---

संचालक मंडल ने दावा किया है यह बताया गया है...(व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सुपरसेशन के पहले कोई इन्क्वायरी कोआपरेटिव ऐक्ट के सेक्शन 65 के मातहत हुई थी या नहीं ? यदि हुई थी, तो उस जांच के आदेश किस तारीख को हुये थे और सुपरसेशन के आदेश किस तारीख को हुये थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह सब चीजें हाईकोर्ट के सामने हैं ।

एक सदस्य---

जानबूझकर टालने की कोशिश की जा रही है ।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, सवालों का जवाब देने में आप हमारी रक्षा करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । हम केवल यहां पर तथ्य जानना चाहते हैं । माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि मामला उच्च न्यायालय में जाने से पहले तथा निलम्बन से पहले कोई जांच हुई ? यदि हुई तो वह किस तारीख को हुई । मैं भी यही जानना चाहूंगा कि जो जांच करायी गई और जब यह मामला उच्च न्यायालय में गया उनकी तारीख क्या- क्या है तथा उसके आधार क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसमें जो जांच हुई वह उप-निबन्धक वाराणसी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने की । वे सक्षम अधिकारी जांच के थे । यह मामला 24-3-74 को हाईकोर्ट में दाखिल हुआ ।

श्री राम सेवक यादव---

उसके तथ्य तो आप बता दें । उनका बयान करने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रक्रिया नियमावली के नियम 28 (20) में इस बारे में लिखा है कि---'उसमें ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायगा जो कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसन्धान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो। किन्तु यदि उससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो तो उसमें जांच की प्रक्रिया या व्याप्तियां प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा।" ऐसी स्थिति म जो तथ्य हैं वह न तो आप अजानते हैं और न मैं ही जानता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने फाइल देखी होगी। तो नियमों में जो यह लिखा है कि "उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो...तो सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा। मुझे भी जानकारी नहीं है कि किन पहलुओं पर विचार हो रहा है। हमें यह देखना है कि वह हमारे क्षेत्राधिकार में है या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, संचालक मंडल की ओर से जो मुकदमा हमारे ऊपर कायम हुआ है उसमें कानून का अधिकार था। जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया कि उस मामले में इन दफाओं के मातहत कार्यवाही हुई अथवा नहीं। यह बात सही है कि उसमें क्वेश्चन आफ ला इंवाल्व है। वे कहते हैं कि उन्होंने गलत लिखा है। जितनी बातों पर वे निलंबित हुए हैं वे फैक्ट्स हैं और जैसी प्रक्रिया है इन दोनों बातों पर हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया है। (व्यवधान)

श्री राम जी (जिला गाजीपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो संचालक मंडल भंग किया गया है, उस अध्यक्ष को जिला परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए नामिनी बनाया गया है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

विकास खण्ड अधिकारी, मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा यात्रा-भत्ते का फर्जी बिल और सीमेंट की बोरियों का गलत आवंटन

*6---श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड अधिकारी, मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा फरवरी तथा मार्च, 1974 का यात्रा व्यय के भत्ते हेतु फर्जी बिल बनाया गया तथा इस काल में ब्लाक के माध्यम से वितरित करने हेतु सीमेंट को ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाके पर दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

खंड विकास अधिकारी, मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर ने कथित अवधि में कोई यात्रा भत्ता बिल फर्जी नहीं बनाया।

इस अवधि में मिर्जापुर ब्लाक के माध्यम से वितरित करने हेतु 1,000 बोरी सीमेंट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी, मिर्जापुर को आवंटित किये गये जिसके लिए क्षेत्र विकास अधिकारी ने 77 कृषकों को परमिट जारी किये। इस सम्बन्ध में जांच कराने से ज्ञात हुआ है कि दो व्यक्तियों ने परमिट का सीमेंट नहीं उठाया, 64 व्यक्तियों को

परमिट का सीमेंट प्राप्त हो चुका है तथा शेष 11 व्यक्ति जांच के समय बाहर गये हुए बतलाए गये। अतः उनसे पूछ-ताछ नहीं की जा सकी।

श्री दल सिंह यादव--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक हजार बोरी किस तारीख को बांटा गया तथा मिर्जापुर गांव को कितना सीमेंट दिया गया और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सीमेंट दूसरों को उधार दे दिया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मिर्जापुर विकास खंड के लिए एक हजार बोरी सीमेंट दिया गया, जिसका उल्लेख मैंने अपने उत्तर में किया है। 77 कृषकों को परमिट जारी किये गये....

श्री दर्लासिंह यादव--

मेरा यह प्रश्न है कि एक हजार सीमेंट बोरी किस तारीख को दी गई और मिर्जापुर गांव को उसमें से कितनी दी गई और ऐसे कितने परमिट वाले हैं, जिन्होंने अपना लेकर दूसरों को उधार दे दिया है, जो आपकी इंक्वायरी के समय मिला है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मेरे पास तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, गांवों की भी कोई सूचना नहीं है, व्यक्तियों की केवल इतनी सूचना है कि 77 व्यक्तियों को परमिट मिला उनमें से 64 ने अपना सीमेंट ले लिया, दो ने नहीं लिया और 11 के बारे में छानबीन के मौके पर मिले नहीं।

श्री दर्लासिंह यादव--

एक हजार बोरी 26 फरवरी को बी0 डी0 ओ0 साहब ने एलाटमेंट किया, उसमें से 600 बोरी केवल मिर्जापुर के कृषकों को दी गई। 5 बोरी एक अध्यापिका श्रीमती कृष्णा कुमारी को दिया गया, जिसने उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। 8 ऐसे व्यक्ति हैं 67 से 74 तक, जिन्होंने इंक्वायरी के समय कहा कि मैंने दूसरों को सीमेंट उधार दे दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों सीमेंट दिया गया जिन्होंने उधार दे दिया और अपना इस्तेमाल नहीं किया? ऐसे बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

किस-किस गांव में किस-किस शख्स को कितनी सीमेंट मिली, यह सूची मेरे पास नहीं है। इतना जरूर बता देना आवश्यक समझता हूं कि 21 जनवरी, 1974 को यह एक हजार बोरी का आवंटन किया गया, जिनको...

श्री दर्लासिंह यादव--

मेरी सूचना को सही मानकर कि मिर्जापुर में 600 बोरी दिया गया, 8 ऐसों को दिया गया, जिन्होंने उधार दे दिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सीमेंट उठाया भी नहीं, तो ऐसे लोगों को बी0 डी0 ओ0 ने परमिट दे दिया है, तो क्या इसकी जांच कराकर उस सम्बन्धित अधिकारी को दंड देने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उसकी मैं जांच कराकर बता सकूंगा।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सीमेंट का वितरण खंड विकास अधिकारी ने किया है, वह वितरण किस आधार पर किया गया क्यों जैसा कि कहा गया सीमेंट के वितरण में धांधली हुई है और कुछ व्यक्तियों को सारा सीमेंट दे दिया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय, जो आवंटन हुआ यह उस क्षेत्र की आवश्यकता और सीमेंट की उपलब्धता के आधार पर यह आवंटन किया गया है और मैं समझता हूं कि जिले में जो सीमेंट उपलब्ध होगा उसी के आधार पर हर ब्लाक को यह सीमेंट आवंटित किया गया ।

श्री आधी--

यह उत्तर नहीं है। कुछ लोगों को सारा सीमेंट दे दिया और जरूरतमन्द लोगों को नहीं दिया गया। उनके वितरण का आधार क्या है ?

(उत्तर के लिए माननीय मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि शासन ने सीमेंट वितरण के लिए एक निश्चित निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिया है कि वे वह दरख्वास्तों को एक लिस्ट बनायेंगे और उसमें प्रायरिटी के हिसाब से सीमेंट का वितरण करेंगे उस शासकीय आदेश का पालन क्या खंड विकास अधिकारी ने किया है और जो शासकीय आदेश है उसके अनुसार इस सीमेंट का आवंटन किया क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जो सरकारी आदेश हैं, एप्लीकेशन की प्रायरिटी पर सीमेंट दिया जायगा ।

एक सदस्य--

लेकिन इस विकास खंड अधिकारी मिर्जापुर ने इस शासकीय आदेश की अवहेलना की है ।

श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)--

क्या मानतीय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन दरख्वास्तों की उन्होंने जांच कराई और किससे जांच कराई और अब जो प्रश्नकर्ता ने बताया उसकी बुनियाद पर अब किससे जांच करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्षेत्र में तो बी0डी0ओ0 जांच करता है। अगर बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कोई शिकायत हो तो जिला नियोजन अधिकारी को जांच का काम सौंपा जायगा तो वह जांच करेंगे। सीमेंट की दरख्वास्तें ली गयीं या सीमेंट का आवंटन किया गया यह जांच बी0 डी0ओ0, ए0डी0ओ0, बी0एल0डब्लू0 अपने क्षेत्र में करते हैं, जो लोगों की आवश्यकता होती है। अब जांच करायेंगे जिलाधीश के द्वारा जिला नियोजन अधिकारी से ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सीमेंट की जांच के सम्बन्ध में यह जांच करवा ली है कि सीमेंट ऐसे लोगों को मिला है जो वास्तव में मकान बना रहे हैं दूसरी बात यह है कि हर आवेदन-पत्र ग्राम-सेवक का प्रमाण-पत्र है कि वास्तव में मकान बना रहा है, ऐसी जांच हो चुकी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

कानपुर नगर में जल का संकट तथा गंगा नदी में बांध बनाने की योजना

*1---चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में नवम्बर, 1973 के दूसरे पखवारे से अचानक होने वाले जल संकट का क्या कारण है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है और इसके सुधार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जब संकट का मुख्य कारण गंगा नदी की धारा का पम्पिंग स्टेशन से दूर हट जाना है। धारा का दूर हटना एक दैवी संकट है जिसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके सुधार के लिए गंगा नदी पर बांध बनाने की एक योजना है।

*2---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या यह सही है कि गंगा की धारा विगत कई वर्षों से नगर से हटती जा रही है ? यदि हां, तो नगर से उसकी धारा की अब क्या दूरी है और इस सम्बन्ध में कि गंगा की धारा शहर के निकट रहे जिससे नगर में पर्याप्त जलपूर्ति हो सके, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां। पम्पिंग स्टेशन से गंगा की धारा लगभग 5 किलोमीटर दूर हो गई है। गंगा नदी पर बांध बनाने की एक योजना है जिससे कानपुर नगर को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हो जायगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायें कि क्या कानपुर में गंगा बांध बनाने की जो योजना है वह कितनी लागत की योजना है और कब से शुरू होगी और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

श्रीमन, 22 करोड़ 78 लाख रुपए की वह योजना है और इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में दस करोड़ रुपया रक्खा गया है।

*3---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

[4थे मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर पर सरकारी ऋण का बकाया

*4---श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर पर सरकार का कितना ऋण बाकी है और उसकी वसूलयाबी के लिए क्या प्रयत्न किया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

नगरपालिका, बिसवां, जिला सीतापुर के ऊपर सरकार का 4,00,000 रुपया बकाया है। यू0 पी0 म्युनिसिपल ऐक्ट, 1916 की धारा 102 के अन्तर्गत उसके बजट पर नियंत्रण रखने के आदेश जारी किये गये हैं और उसे अवक्रमित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि चार लाख रुपया कब से बाकी है और उसको वसूल करने की क्या कायवाही हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, यह रुपया 1961 से लेकर 1972 तक का है। बीच में यह अवक्रमित रही। उस समय रुपया वसूल नहीं हो सका। चुनाव होकर म्युनिसिपल बोर्ड नया आ गया वह भी वसूल नहीं कर पाया। अब हम देख रहे हैं कि क्या हम बन्दोबस्त कर सकते हैं और पया वसूल कर सकते हैं या नहीं।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों को मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गये पत्र के विषय में जानकारी

*5--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा माह मार्च तथा अप्रैल, 1974 में समस्त ग्राम प्रधानों को कोई शासकीय पत्र इस आशय का लिखा गया जिसमें ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया कि वह स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद् की सदस्यता के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही वोट दें ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र की एक प्रति सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई पत्र ग्राम प्रधानों को नहीं भेजा है। अतएव प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे मुख्य मंत्री ने किसी भी प्रकार का पत्र ग्राम प्रधानों को भेजा है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, यह प्रश्न माधव बाबू मुझसे पूछते तो अच्छा रहता। मैंने यह निश्चय किया है और जबसे मुख्य मंत्री मैं हुआ हूं हर तीसरे महीने ग्राम प्रधानों को एक पत्र लिखा करूंगा कि और जो उनका उत्तरदायित्व है उसके प्रति उनको सचेष्ट करने की कोशिश करूंगा। दो पत्र लिखे गये जिनमें से एक में भी चुनाव की तो क्या चुनाव के करीब की भी कोई चर्चा नहीं है। इस समय मेरे पास वह पत्र नहीं हैं। उनकी प्रतिलिपि उनके पास भेज दूंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्र वे अफसरान को लिख रहे हैं उनकी एक प्रति सदन के माननीय सदस्यों को भी भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय चौधरी साहब के सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद पत्र लिखूंगा तो माननीय सदस्यों को भी लिखूंगा और आप से जो मेरी प्रार्थना है उसको भी जोड़ दूंगा।

चौधरी चरण सिंह--

जो पत्र आप इनको लिखेंगे उसकी कापी भेजेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा--

जी हां, जरूर भेजूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इससे पहले क्यों नहीं लिखे गये ? यदि लिखे गये तो कब लिखे गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, मेरे पहले क्या-क्या किस ने किया यह उनसे पूछें । सब की तरफ से मेरा वकालतनामा नहीं लगा है । मेरा काम करने का एक स्टाइल है । मैं समझता हूं कि इस काम के करने से मैं कह सकता हूं कि ग्राम प्रधानों का जो यह इंस्टीट्यूशन है उसको सजीव तथा तेजवान संस्था बनाने के दृष्टिकोण से मैं यह काम कर रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मेरा प्रश्न उलझ गया । मैंने पूछा था कि कब पत्र भेजा गया और इससे पहले क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

पहले से मुख्य मंत्रियों ने कोई पत्र भेजा या नहीं । इसकी सूचना नहीं है । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर, 1973 में और अप्रैल, 74 में एक-एक पत्र भेजा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अगर नहीं भेजेंगे तो बीच आफ प्रिविलेज की नोटिस दूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इनके खिलाफ मत दीजिये, मेरे खिलाफ ।

विकास क्षेत्र अधिकारी, सलोन एवं नसीराबाद, जिला रायबरेली का सवाकाल

*6---श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली), श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया) तथा श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या क्षेत्र विकास अधिकारी, सलोन एवं नसीराबाद जनपद रायबरेली 6 साल से निरन्तर उसी क्षेत्र में रह कर सेवा कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और उनके स्थानान्तरण को रोक लेने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी नहीं ।

प्रसंगगत क्षेत्र विकास अधिकारियों को वर्तमान ब्लाकों में कार्य करते हुए अभी 6 साल पूरे नहीं हुए हैं ।

चकबन्दी में लिये गये गांवों के कृषकों द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक लि० से लिया गया ऋण

*7---श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार कृपया बतायगी कि क्या चकबन्दी में ले लिये गये गांवों के किसानों द्वारा कृषि की उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक लि० से स्वीकृत ऐसे ऋणों की धनराशि की किस्तों का भुगतान देना बन्द कर दिया गया है जिनकी एक किस्त प्राप्त कर ली गई है और कार्य भी उतने रुपये का करवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में किसानों के उस अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिये दूसरी व अंतिम किस्तें प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेगी ?

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
जी नहीं ।

चकबन्दी प्रारम्भ होने से पूर्व उ0प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जिन कृषकों को ऋण स्वीकृत करके बन्धक-पत्र भरा लिया गया है और स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त दी जा चुकी है, तो ऐसे किसानों को द्वितीय किश्त दे दी जाती है । प्रथम किश्त दिये जाने के बाद चकबन्दी की कार्यवाही अग्रिम किश्त देने में बाधक नहीं होती है ।

सिगरा चर्च कालोनी, वाराणसी के अन्तर्गत वाराणसी नगर महापालिका क प्रशासक द्वारा मकान का निर्माण

*8—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) तथा श्री सीताराम निषाद—
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अन्तर्गत सिगरा चर्च कालोनी योजना के अन्तर्गत रहने के लिये मकान बनाने हेतु भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो क्या उसमें से एक प्लाट मौजूदा प्रशासक नगर महापालिका वाराणसी को भी दिया गया और क्या उक्त प्लाट पर प्रशासक महोदय ने मकान बनवाकर उसे किराये पर दे दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
जी हां ।

विकास खण्ड भरावन व सन्डीला, जिला हरदोई कृषि बीज भण्डारों में गबन

*9—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के विकास खंड भरावन व विकास खंड संडीला के कृषि बीज भंडारों में वित्तीय वर्ष 1971–72 में क्रमश: 42,000 व 10,000 रुपये का गबन पकड़ा गई था और संबंधित गबन कर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, परिणामस्वरूप पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जमानत में छोड़ दिया ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
वित्तीय वर्ष 1971,72 में जिला हरदोई के विकास खंड भरावन के कृषि बीज भंडार में रु0 35,454.64 पैसे तथा विकास खंड संडीला के कृषि बीज भंडार में रु0 10,920.18 पैसे का गबन पकड़ा गया था । संबंधित गबनकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । उन्होंने अपनी जमानत न्यायालय में आत्म समर्पण करके करा ली थी । विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत भरावन विकास खंड के संबंधित कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है । संडीला विकास खंड के संबंधित कर्मचारी को आरोप-पत्र दिया गया है । दोनों मामलों में पुलिस द्वारा जांच जारी है ।

आलमबाग (लखनऊ) के बफर गोदाम में गोलमाल

*10—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ के बफर गोदाम आलमबाग में 1,85,000 रुपये का गोलमाल है । यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और सरकार ने उक्त धन की वसूली करने की क्या-क्या व्यवस्था की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
जिला लखनऊ क बफर गोदाम आलमबाग में किसी भी धनराशि का गोलमाल नहीं है । अतः किसी अधिकारी व कर्मचारी क विरुद्ध कोई कार्यवाही करन का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहन गोल्ड़वाटर ब्रीवरीज लि०, लखनऊ को बियर बनाने का लाइसेंस

*11—श्री राम अधार तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोहन गोल्डवाटर ब्रीवरीज लि0, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लाइसेंस दिया गया था और क्या यह सही है कि इस कम्पनी द्वारा तैयार किया हुआ रम, व्हिस्की तथा ब्रांडी खुले बाजारों में बिक रही है। यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लाइसेंस दिया गया था। इस कम्पनी द्वारा 'बीयर' के अतिरिक्त कोई अन्य मदिरा स्वयं नहीं तैयार की जाती। इस कम्पनी के लिये ही आरक्षित, केवल ब्हिस्की की कुछ ब्रैन्ड मोहन मेकिन ब्रुवरीज लिमिटेड द्वारा तैयार की जाती है जो नियम संगत है। अतः सरकार द्वारा कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*12—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[5वें मंगवलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[6वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गांव कोटेरा, जिला खीरी में सहकारिता विभाग का गोदाम

*14—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव कोटेरा, तहसील मुहमदी, जिला खीरी में सहकारिता विभाग का जो गोदाम ह वह कब और कितने किराये पर लिया गया था, इस गोदाम का मालिक कौन है और उसे अब तक किराये का कितना भुगतान किस प्रकार किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्राम कोटेरा, तहसील मोहम्मदी जनपद खीरी में सहकारिता विभाग का कोई गोदाम नहीं है।

प्रदेश में फसल बीमा योजना

*15—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि देश में आये दिन अनावृष्टि सूखे और बाढ़ के कारण किसान की फसल का नुकसान हो जाता है ? यदि हां, तो वह प्रदेश में किसानों की फसल के बीमा की योजना लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रदेश के किसी न किसी भाग में अनावृष्टि सूखे तथा बाढ़ जैसी दैवी आपदाओं से कृषि उत्पादन को क्षति पहुंचती रहती है। अभी प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

जिला सहकारी बैंक, बरेली के प्रशासन के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र

*16—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक, बरेली के प्रशासन के विरुद्ध अवैधानिक अनियमित भ्रष्टाचार की जांच कर्मचारियों क प्रार्थना-पत्रों पर अतिरिक्त सहायक निबन्ध सहकारी समितियां, बरली द्वारा की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अतिरिक्त सहायक निन्धक न अपन पत्रांक 8476–77, दिनांक 3 अप्रल, 1974 द्वारा उप निबन्धक, सहकारी

समिति बरेली, को दी तथा उप-निबन्धक महोदय ने अपने पत्रांक 9,130 दिनांक 2 जन, 1974 द्वारा बैंक के अध्यक्ष को नोटिस भी दिया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां ।

उप निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 बरेली ने अपने पत्र दिनांक 2-6-73 एवं 25-1-74 द्वारा बैंक को विरोध-पत्र भेजते हुए नियमानुसार कायवाही करने हेतु लिखा ह और बैंक 1-7-72 के पश्चात् के कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति तथा वेतन निर्धारण संबंधी मामलों को उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को सुपुर्द करने की कार्यवाही कर रहा है।

प्रदेश में पेयजल योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि

*17---श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)---

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल योजना के अन्तर्गत 1972-73 और 1973-74 में कितना रुपया व्यय हुआ है और कितने और कौन-कौन जिलों में यह योजना लागू की गई तथा कितने स्थानों पर इस योजना को सफलता मिली-कितने स्थानों पर असफलता मिली ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सूचना संलग्न है । कोई योजना अभी तक असफल नहीं घोषित हुई ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 97-98 पर)

*18---श्री राम प्रकाश त्रिपाठी---

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला आर्गनाइजर प्रान्तीय रक्षक दल, शाहजहांपुर द्वारा शिविर के नाम पर कथित धन की निकासी

*19---मोहम्मद रफी खां---

क्या पंचायतीराज मन्त्री को पता है कि जिला आर्ग नाइजर प्रान्तीय रक्षक दल, शाहजहांपुर ने जनवरी, 1974 में विकास क्षेत्र सिधौली से 1,000 रुपया रक्षा दल का शिविर चलाने हेतु निकाला और 15 मार्च, 1974 तक कोई शिविर नहीं चलाया और न रुपया वापस विकास क्षेत्र में जमा किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला आर्गनाइजर, प्रान्तीय रक्षक दल (प्रादेशिक विकास दल) शाहजहांपुर ने जनवरी, 1974 में रक्षा दल का शिविर चलाने हेतु विकास क्षेत्र सिधौली से कोई धन नहीं निकाला था ।

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के संचालक मण्डल को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होना और बैंक में गबन व भ्रष्टाचार

*20---चौधरी चरण सिंह---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के संचालक मण्डल का चुनाव अवध घोषित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुरान संचालक मण्डल को बहाल रखने पर बैंक के चेयरमन ने अगस्त, 1973 में संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां अपने म निहित कर लीं और 9में से 7 संचालकों के बार-बार अनुरोध पर भी संचालक मण्डल की कोई बठक अभी तक महीं

[श्री चरण सिंह]

बुलाई गई है ? क्या यह भी सही है कि बैंक में भारी अनियमितताये व भाई भतीजावाद व्याप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप गत वर्ष बैंक की तिजोरी से 30,000 रुपये की चोरी हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार संचालक मण्डल की बैठक बुलाने व अन्य अनियमितताओं को दूर करने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

बैंक के सभापति ने अन्य संचालकों के बार-बार अनुरोध करने पर भी संचालक मण्डल की बैठक नहीं बुलाई ।

बैंक में मु0 29,260.75 रु0 का गबन प्रकाश में आया । इस संबंध में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा जांच कराई गयी और जांच के परिणाम स्वरूप न्यायालय में चाजशीट भज दी गयी है ।

मुंसिफ शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 27-9-73 को जारी की गयी निषेध आज्ञा के रहते हुए सभापति के विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

प्रदेश के कृषि फार्मों का घाटों पर चलना

*21—श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के पास कितने कृषि फार्म हैं और उनमें से कितने गत तीन वर्षों से घाटे पर चल रहे हैं और सरकार ने घाटे से बचने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि विभाग के पास कुल 172 कृषि फार्म हैं उनमें से 17 कृषि फार्म गत तीन वर्षों (1970-71, 1971-72 तथा 1972-73) से घाटे पर चल रहे हैं ।

घाटे से बचने हेतु इन प्रक्षेत्रों पर आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा रही है ।

डिनेचर्ड स्प्रिट में रंग मिलने के परिणामस्वरूप कारीगरों की उंगलियों में खराबी

*22—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि डिनेचर्ड स्प्रिट में इस समय रंग मिलाया गया है इससे रंगाई का काम करने वाले कारीगरों की उंगलियां खराब हो जाती ह ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार के लिये किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है कि जिससे रंग तो रह जाय परन्तु शरीर पर बुरा प्रभाव न पड़े ? यदि हां, तो नया तरीका क्या होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

डिनेचर्ड स्प्रिट में प्रयुक्त रंग से उंगलियां खराब होने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । उक्त रंग के कारण किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है । अतएव रंग म किसी सुधार का प्रश्न नहीं उठता ।

*23—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[5 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ तथा कानपुर के नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन में पुनरीक्षित वेतनमानों के परिणामस्वरूप कमी तथा वैयक्तिक वेतन का आदेश

*24—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों (बिशेषतया लखनऊ तथा कानपुर) के कमचारियों को नये वेतन मान में जो वेतन और भत्ते निर्धारित किये गय हैं, उनका कुछ टोटल धन उस वेतन से कम है जो पहले उन्हें मिलता था ? यदि हां, तो शासन ने इस असंगति को दूर करने की दिशा म अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—'

लखनऊ तथा कानपुर की नगरमहापालिकाओं के कुछ कर्मचारियों की परिलब्धियां उस टोटल वेतन से कम हो गई है जो उन्हें नये वेतनमानों के लागू होने से पहले मिलता था । शासन ने ऐसे मामलों में यह आदेश दिए है कि वेतन निर्धारण के फलस्वरूप जहां कहीं पुनरीक्षित वेतन-मानों में कुल परिलब्धियां (वेतन तथा महंगाई भत्ता) पुराने वेतनमानों की कुल परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता+अंतरिम सहायता) से कम हो तो इस कमी को वैयक्तिक वेतन देकर पूरा किया जाय।

कोंच तहसील, जिला जालौन में पहूज नदी से कटाव

*25—श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की कोंच तहसील का आधे से अधिक भाग हर वर्ष बेहड़ तथा पहूज नदी से प्रभावित होने के कारण सिंचाई से वंचित रह जाता है ? इस पर भी उसमें डी0पी0ए0पी0 तथा क्रैश प्रोग्राम क्यों लागू नहीं किये गये हैं ? कब तक लागू करने का सरकार का इरादा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि जिला जालौन की कोंच तहसील का कुछ क्षेत्र पाहूज नदी के कटाव से प्रभावित है । इस तहसील में सामान्य वर्षों में सामान्य वर्षा हो जाती है । 46 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई साधन उपलब्ध है । इस तहसील में सूखे की समस्या उतनी जटिल नहीं है जितनी उरई एवं कालपी तहसीलों में है । भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कोंच तहसील डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत न तो चौथी पंच वर्षीय योजनाकाल में ली गई थी और न पांचवीं योजनाकाल में ली गई है । परन्तु क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कोंच तहसील में इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल 4 सड़कों, 1 बन्धी तथा 3 मत्स्य पालन हेतु तालाबों को गहरा करने की परियोजनायें कार्यान्वित की गई थी ।

श्री अनीस अहमद रिजवी सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) विकास खंड ककवन, जिला कानपुर का बकाया वेतन, ग्रेच्युटी तथा फंड

*26—श्री अनवर जमील खां (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या यह सही है सहायक विकास अधिकारीगण, जो 1972 में अल्प सिंचाई विभाग, विकास खंड ककवन, जिला कानपुर से रिटायर हुए थे उनकी उनके वेतन का अवशेष वेतन, ग्रेच्युटी, सिक्योरिटी मनी एवं अस्वीकृति सेवा निवृत्त अवकाश आदि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह उपलब्धियां कब तक उनको प्राप्त हो जायेंगी और अब तक न दिय जाने के कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि अल्प सिंचाई विभाग विकास खण्ड ककवन, जिला कानपुर से केवल श्री अनीस अहमद रिजवी वर्ष 1972- (14-11-1972) में सहायक विकास अधिकारी (अल्प

सिंचाई) के पद से 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत हुए हैं। उनको उनके पुनरीक्षित वेतन का अवशेष वेतन, ग्रेच्युटी, सिक्योरिटी मनी एवं अस्वीकृत सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश आदि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इनके भुगतान होने की संभावना निम्न-प्रकार है :—

(1) पुनरीक्षित वेतन का अवशेष निकट भविष्य में।

(2) ग्रेच्युटी महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

(3) सिक्योरिटी मनी निकट भविष्य में।

(4) सेवा निवृत्ति के पूर्व का अस्वीकृत अवकाश प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस प्रकार के अवकाश की स्पष्ट मांग नहीं की गई, न पर्याप्त समय पहले इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया।

अब तक उपर्युक्त भुगतान न किए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की सालाना वसूली का परसेंनटेज

1—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 की सालाना वसूली का क्या परसेन्टेज है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 के गत तीन वर्षों की वसूली का प्रति-शत निम्न प्रकार है —

	प्रतिशत
1970–71	79.59
1971–72	75.12
1972–73	74.35

भूमि विकास बैंक सीतापुर द्वारा वितरित कर्जे की जांच

2—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री भूमि विकास बैंक की सीतापुर जिले में स्थित शाखाओं द्वारा वितरित कर्जे का शत-प्रतिशत वेरीफिकेशन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। शासन के स्थायी आदेशानुसार उ0प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण की स्थानीय जांच खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा करने की पहले ही से व्यवस्था है। सीतापुर जिले में स्थित शाखाओं द्वारा प्रारम्भ से 31–3–1974 तक 10,939 कार्यों हेतु ऋण दिया गया है जिनमें से 4,286 की जांच हो चुकी है। शेष की जांच हेतु निर्देश दिये जा चुके ह।

3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

अमौली से दपसौरा रोड का कथित कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माण

4—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमौली से दपसौरा रोड विकास खंड अमौली जो कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माण होने को थी, उसका कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत अमौली से दपसौरा सड़क का निर्माण कार्य होना प्रस्तावित नही था । अतः सड़क पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिवियापुर रोड, जिला इटावा पर कथित खाद का कारखाना तथा पुलिस द्वारा मिलावटी यूरिया खाद का पकड़ा जाना

5—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत दिवियापुर रोड पर यूरिया खाद बनाने का जो कारखाना है इसका लाइसेंस कब और किसके द्वारा दिया गया और उसने अब तक कितनी खाद प्रतिवर्ष तैयार की गयी और उसका वितरण किसके माध्यम से किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिला इटावा के अन्तर्गत दिवियापुर रोड पर खाद बनाने का न तो कोई कारखाना है और न इसके लिये किसी को लाइसेंस दिया गया ।

6—कुंवर शिवनाय सिंह कुशवाहा—

क्या यह सही है कि दिनांक 29–30 मार्च, 1974 को उपरोक्त कारखाने में सफेद पत्थर से तैयार नकली यूरिया खाद अत्यधिक मात्रा में औरैया पुलिस द्वारा बरामद हुई ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध किस-किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 29/30 मार्च, 1974 को औरैया कस्बे के दिवियापुर रोड पर एक गोदाम में सफेद पत्थर से तैयार किया हुआ चूरा यूरिया खाद में मिला हुआ पुलिस द्वारा ट्रक सहित बरामद किया गया और चार व्यक्तियों को अभियुक्तों के रूप में पकड़ा गया जिनके खिलाफ जांच की कार्यवाही जारी है ।

पकड़े हुये व्यक्तियों का विवरण संलग्न है ।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 99 पर]

7—श्री सुखद राज सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

उस्का बाजार, जिला बस्ती को टाउन एरिया बनाने पर विचार

8—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह बस्ती जिले की उस्का बाजार कस्बे को जो पहले टाउन एरिया थी परन्तु बाद में समाप्त कर दी गई थी अब पुनः टाउन एरिया बनाने पर विचार करने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो टाउन एरिया कब तक बन जायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यदि सम्बन्धित गांव सभाय उस्का बाजार में टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव करती हैं तो शासन द्वारा विचार किया जायगा कि यहां पर टाउन एरिया बनाई जाय ।

बरेली व मेरठ नगरपालिकाओं को कारपोरेशन बनाने पर विचार

9—श्री सत्य प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बरेली व मेरठ नगरपालिकाओं को कारपोरेशन बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

नैनी कारागार, जिला इलाहाबाद में रेलवे के हड़तालो कर्मचारियों को दी गयी सुविधायें

10—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में केन्द्रीय कारागार नैनी में रेल हड़ताल के सम्बन्ध में 4 मई, 1974 से 26 मई, 74 के बीच कितने रेल कर्मचारी तथा अन्य गिरफ्तार कर बन्द किये गये ? उनमें से कितने व्यक्तियों को उच्च श्रेणी प्रदान की गई थी ? क्या समस्त गिरफ्तार व्यक्तियों को खुले में सोने दिया जाता था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा—

प्रश्न का प्रथम भाग:— 4 मई, 1974 से 26 मई, 1974 की अवधि में रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में 50 रेलवे कर्मचारी तथा 2 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागार नैनी में रक्खे गये थे ।

प्रश्न का द्वितीय भाग:—किसी को भी उच्च श्रेणी नहीं दी गई ।

प्रश्न का तृतीय भाग:—जी नहीं, क्योंकि वे सभी साधारण वर्ग के बन्दी थे ।

श्री बी० एस० कटारा के स्थानान्तरण के पश्चात् मुख्य नगर अधिकारी, इलाहाबाद के पद पर नियुक्ति

11—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका में दिसम्बर, 1973 में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी श्री बी० एस० कटारा के स्थानान्तरण के पश्चात् से अभी तक कोई आई० ए० एस० मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और जिस एक अभियन्ता की नियुक्ति मुख्य नगर अधिकारी के पद पर की गई उसके विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार आरोप सम्बन्धी शिकायतें गत वर्ष प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा—

प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर इसी सत्र के दूसरे गुरुवार को दिया जा चुका है । जहां तक दूसरे अंश का सम्बन्ध है श्री कटारा के जाने के बाद, अन्तरिम तौर पर, श्री व्यास, उप नगर अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी का कार्य करन लग लेकिन व बीमार होकर अवकाश पर चले गये और उस बीच अर्थात् 5-2-74 से 31-3-74 तक, श्री सुधीर महता, नगर अभियन्ता (विकास) को चार्ज दिला दिया गया । श्री मेहता के विरुद्ध फर्जी नाम से कुछ शिकायत प्राप्त हुई थीं जो देखने से बेबुनियाद मालूम पड़ती थी । मुख्य नगर अधिकारी के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जिला इटावा के ग्राम सेवकों का सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरण एवं पदोन्नति

12—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 एस0 सी0 आई0 411—थर्ड—2092—688, दिनांक 20 जुलाई, 1973 के द्वारा जिला इटावा के कितने और किन-किन ग्राम सेवकों की सेवायें कृषि विभाग को स0भू0 सं0 निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरित कर दी गई थीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 100 पर)

13—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त आदेश के द्वारा कृषि विभाग में आये हुये ग्राम सेवकों जो कि स0भू0 सं0 निरीक्षक के पद पर आये थे, में से कितनों और किन-किन की पदोन्नति हो गई है तथा कितनों के मामले अभी विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । किसी की पदोन्नति नहीं हुई न ही विचाराधीन है ।

ब्लाक मिठवल, जिला बस्ती के गरीब किसानों को निःशुल्क गेहूं के बीज का वितरण

14—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत रबी के फसल के लिये गरीब छोटे किसानों को वितरित करने के लिये ब्लाक मिठवल, जिला बस्ती को कितना गेहूं का बीज प्राप्त हुआ और कितना वितरित हुआ और किसको-किसको तथा कब ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गत रबी की फसल के लिये एक एकड़ तक के छोटे कृषकों को निःशुल्क वितरित करने के लिये जिला बस्ती में 300 टन गेहूं के बीज का प्रबन्ध किया गया था । जिसमें से उस जिले के मिठवल ब्लाक में 5.840 टन बीज वितरित किया गया जिन किसानों को यह बीज वितरित किया गया था उनकी तिथिवार सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

नगरपालिका उत्तरकाशी को दिया गया ऋण व अनुदान

15—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका उत्तरकाशी को सन् 1971—1972, 1973—74 में कितना अनुदान तथा ऋण स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों तथा दूसरी मदों में दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका, उत्तरकाशी को वित्तीय वर्ष 1970—71, 1971—72, 1972—73 तथा 1973—74 में स्वास्थ्य, सड़क तथा दूसरी मदों में निम्नलिखित ऋण एवं अनुदान स्वीकृत

किये गये हैं । शिक्षा के मद के अन्तर्गत दिये गये अनुदान एवं ऋण की सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष	अनुदान/ऋण का उद्देश्य	अनुदान / ऋण की स्वीकृति धनराशि
1	2	3
		रु०
1970–71	सड़क अनुदान	5,600
1971–72	,,	4,500
1972–73	,,	10,000
1973–74	,,	29,500
1970–71	अतिरिक्त सफाई प्रबन्ध हेतु अनुदान	9,000
1971–72	,,	8,000
1973–74	,,	13,000
1972–73	केन्द्रीय मिल योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मेहतरों के गृह निर्माण हेतु अनुदान ।	7,500
1971–72	अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु ऋण ।	25,000
1973–74	मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण	1,32,000
1973–74	उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों के शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर लागू करने के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय भार को स्थानीय निकाय द्वारा वहन करने हेतु शासन की ओर से पालिका को ऋण ।	34,000

16—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

[11-6-74 को उत्तरित]

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, 1973

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, 1973 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ङ०' आगे पृष्ठ 101–102 पर)

श्रम मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का एक आया है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

R.A
7053

अभी इसको रखने दीजिये, तब निवेदन कीजियेगा। यह कल मिला है। माननीय रामपाल सिंह यादव ने विशेषाधिकार का सवाल उठाया है। वह यह है, विधान सभा के वर्ष 74 के द्वितीय सत्र के 2रे शुक्रवार दिनांक 21 जून, 1974 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर देते हुए लिखित एवं मौखिक रूप से श्री राजमंगल पांडेय, श्रम मन्त्री उ0 प्र0 ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना की कोई योजना नहीं है। जबकि वित्तीय वर्ष 1974-75 के बजट भाषण के चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विवरण पृष्ठ सं0 17 में श्री नारायण दत्त तिवारी, वित्त मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32 एलोपैथिक चिकित्सालय, 51 आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय व 36 होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रकार श्री राजमंगल पांडेय ने सदन के समक्ष जानबूझकर गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है। इससे स्पष्ट रूप से सदन का अवमान हुआ है।

इसे मैंने माननीय मन्त्री जी को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—
मान्यवर, इसे विशेषाधिकार समिति में लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—
स्पष्टीकरण के बाद देखा जायगा। यह सदस्य का मामला है। किसी बाहरी का मामला नहीं है। इसलिए इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
माननीय मन्त्री जी तो स्पष्टीकरण दे ही देंगे क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने लिखा है अपने भाषण में। तो इनके स्पष्टीकरण के बाद विशेषाधिकार का प्रश्न बनेगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—
यह उनके स्पष्टीकरण के कोण और प्रकार पर निर्भर करता है। कभी-कभी विशेषाधिकार के सवाल को सदन स्वयं यहीं तय कर लेता है। इसलिए इसको स्पष्टीकरण के बाद विचार में लिया जायगा।

श्री ऊदल—
माननीय मन्त्री जी हैं।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी सदस्या विधान सभा का सदन से अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—
अगर वह तैयार होते तो देते। अब माननीय इन्द्रमोहिनी की अनुपस्थिति का है। माननीया इन्द्र मोहिनी ने एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है—"मैं व्यक्तिगत प्रयोजन से देश से बाहर जा रही हूं और इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 1 जुलाई, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक सदन में उपस्थित नहीं रह सकूंगी। अतएव, मुझे उक्त अवधि में सदन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें"?

प्रश्न यह है कि श्रीमती इन्द्रमोहिनी अपने व्यक्तिगत प्रयोजन से देश से बाहर जा रही हैं और इस सम्बन्ध में वह दिनांक 1 जुलाई, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक अवकाश चाहती हैं। अवकाश स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदानों तथा कटौती के प्रस्तावों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब आज जो बजट चलेगा तो हम पूर्व परम्परा के अनुसार जिन अनुदानों पर पूरे दिन नियत किये गए हैं, उन पर मतदान 5.00 बजे होगा और जिन अनुदानों पर आधा दिन नियत किया गया है, उन पर मतदान ढ़ाई बजे और फिर 5.00 बजे होगा। अन्तिम दिन अर्थात् दिनांक 26 जुलाई, 1974 को अनुदानों पर मतदान 4.30 बजे अपराह्न होगा।

एक दिन के लिए निर्धारित एक मन्त्री से सम्बन्धित सभी अनुदान मन्त्री द्वारा एक साथ प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके भाषण के उपरान्त उन अनुदानों से सम्बन्धित मुख्य कटौती के प्रस्तावक द्वारा उसके बाद एक साथ प्रस्तुत होंगे। शेष कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये हुए माने जायेंगे।

अनुदानों पर मतदान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि पहले अनुदान में कटौती के प्रस्ताव पर मतदान लिया जायेगा, उसके बाद अनुदान पर।

जिन अनुदानों पर विवाद नहीं होना है, उन पर भी मतदान अन्य अनुदानों के साथ लिया जायेगा। उनका क्रम कार्य-सूची में रक्खे गये क्रम के अनुसार होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आज का जो अनुदानों के सम्बन्ध में कार्यक्रम है आप जानते होंगे कि यह अनुदान बड़े महत्व का है और इस अनुदान में प्रदेश की 85-90 प्रतिशत जनता का प्रश्न उठता है और उसके लिए कार्य मन्त्रणा समिति ने एक दिन का समय नियत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पांडेय जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो कार्यक्रम है यह इस कार्य-मन्त्रणा समिति में नहीं तय होता है। यह कार्यक्रम जो नेता विरोधी दल ने दिया है उसके अनुसार हुआ है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं, जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने दिये है उसे हमारा दल स्वीकार करेगा।

प्रश्नों के संबंध में शिकायतें

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जिसका प्रश्न बाद को आया था, उसका तो लग गया और जिसका पहले का था उसका नम्बर ही नहीं आया। मान्यवर, इसका क्या नियम है?

श्री अध्यक्ष--

इस चीज को देख लेंगे।

श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न बहुत पहले दिया था। मेरा प्रश्न 25 नम्बर पर था, मेरा नम्बर ही नहीं आया। मुझसे बाद में जिन लोगों ने प्रश्न दिये थे उनका पहले हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है वे हमारे कक्ष में आ जायं, अगर आपके प्रश्न को ढकेला किसी ने है और अगर ढकेला नहीं है तब तो आप उनके पक्ष में हैं जिन्होंने ढकेला नहीं है।

खाद्यान्नों की तस्करी के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय सदस्यों ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसके तथ्य प्राप्त सूचना के आधार पर यह है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर दिनांक 20 जून, 1974 को प्रातः काल 10 डाउन ट्रेन जो देहरादून से आई थी उसकी सेकेन्ड क्लास की बोगी संख्या 8816 की असेम्बली बक्स से स्थानीय जी0 आर0 पी0 ने 150 किलोग्राम बासमती चावल बरामद किया। इस सम्बन्ध में जी0 आर0 पी0 ने श्री गनेश, निवासी दशाश्वमेघ, जिला बनारस को गिरफ्तार किया जो इस चावल को देहरादून से बनारस ले जा रहा था। उसी तिथि को रात्रि में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर जी0 आर0 पी0 ने तीन व्यक्तियों को जिनका नाम जमुना, द्वारिका व भृगुनाथ है, क्रमशः 7, 9 व 8 बोरे मोटा चावल खड़ी हुई बैशाली एक्सप्रेस ट्रेन पर लादते हुए पकड़ा। इन 24 बोरों का बाजार भाव 3,825 रुपया होता है।

जी0 आर0 पी0 ने उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया। मामले की तफतीश हो रही है। उक्त पकड़े गए तीनों व्यक्तियों के पास सिवान (बिहार) का टिकट था परन्तु चावल बगैर बुक किये हुए ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

इस प्रदेश से खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं की तस्करी रोकने के उद्देश्य से शासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, में संशोधन करके उसे और कठोर बना दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 को 9 जनवरी, 1974 से लागू किया। उक्त अध्यादेश 27 अप्रैल, 1974 को आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप अधिकतम दंड 5 वर्ष के कारावास से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम के उल्लंघन के लिए अन्य मामलों में न्यूनतम दंड 6 माह का कारावास तथा तस्करी के मामलों में 2 वर्ष के न्यूनतम कारावास के दंड का विधान किया गया है। कारावास के दंड के अतिरिक्त अपराधियों द्वारा जुर्माना भी देय होगा जो तस्करी के मामलों में तस्करी में पकड़े गये माल के मूल्य के दुगने से कम न होगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी तस्करी में इस्तेमाल किये जाने वाले ट्रक आदि वाहनों की जब्ती के आदेश भी दे सकते हैं।

तस्करी रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस-चेकपोस्ट स्थापित की हैं। इनकी संख्या पहले 57 थी जो अब बढ़ाकर 90 कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त रिवर पैट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है और रेलगाड़ियों द्वारा तस्करी रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है। इन सब कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप 8 नवम्बर, 1973 से 8 जून, 1974 तक 1,444 व्यक्ति तस्करी में पकड़े गये, 608 को सजा हुई तथा 466 ट्रक आदि वाहन जब्त किये गये। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सीक्योरिटी ऐक्ट) के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई है उपर्युक्त से विदित होगा कि सरकार तस्करी रोकने के लिए कृतसंकल्प है और अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुई है।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तस्करी रोकने के लिए तत्परता से कार्य करने के निदेश दिये गये हैं। जहां पर किसी अधिकारी तथा कर्मचारी की कोताही पाई जाती है वहां पर उसके विरुद्ध तुरन्त कठोरता से कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार को ऐसी सूचना मिली कि कुछ लोग काफी दिनों से इस प्रकार के तस्करी के व्यापार में लगे हुए हैं। तो मिसा के अन्तगत एस 6 व्यक्तियों को

[डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]
पकड़ा गया। इनमें से एक वाराणसी का है, 2 (दो) आगरा के और 3 मेरठ के हैं। एक को छोड़कर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 1974 को रिलीज कर दिया और एक को हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया शेष डिटेन्शन में हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुझे तो इसमें कोई बहुत सवाल नहीं करने हैं। यह प्रदेश से काफी, बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी के सम्बन्ध में वक्तव्य है। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटे-छोटे लोग पकड़े गए, उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की गई, ठीक है, तस्करी को जाय तो तस्करी है, होना चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि छोटे तस्करी करने वालों की तो तुरन्त जांच और सजा हो जाती है पर अभी जो एक बहुत बड़ी तस्करी का घोटाला हमारे सामने आया जिसमें कुछ मन्त्री और मन्त्री के परिवार, रिश्तेदार सम्मिलित बतलाये जाते हैं और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों का भी अम्ब्रेला उनको प्राप्त है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिस में जब ऐसी बात आयी तो 21 मई को ही आदेश जारी किये गये कि इस प्रकार जो सार्टिफिकेट सीड के रूप में या ट्रुथफुल लेबिल सीड के रूप में जो हजारों टन अनाज यहां से चला जाता है उस पर लगा दी जाय और इस प्रकार सरकार ने कदम उठाया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

वक्तव्य में यह बतलाया है कि इतने आदमियों को सजा दी गयी, इतने ट्रक पकड़े गए। इसके अन्तिम पैराग्राफ में लिखा है कि जहां पर किसी अधिकारी तथा कर्मचारी की कोताही पायी जाती है वहां उसके विरुद्ध तुरन्त कठोरता से कार्यवाही की जाती है, लेकिन कितने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने तस्करी में सहायता की उनके खिलाफ कोई कदम आपने उठाया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी सूचना मैं सदन को किसी और अवसर पर दे दूंगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मन्त्री जी ने बतलाया कि तस्करी का जो माल पकड़ा जाता है उससे दुगना माल उससे वसूल किया जाता है जुरमाने के रूप में, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि वह मूल्य बाजार भाव है या कन्ट्रोल रेट है जिसके हिसाब से वह वसूल करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

जो कि हमारा रेट है उसके हिसाब से हम करते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

जिस प्रथम केस की चर्चा इस वक्तव्य में है, उससे स्पष्ट है कि जो गाड़ी आई वह देहरादून से आई और लखनऊ में वह चावल पकड़ा गया, तो क्या सरकार को विश्वास नहीं होता कि रेलवे कर्मचारी जो टी0 टी0 आई0 हैं वह भी उनमें संलग्न थे, उनको उनका भी सहयोग प्राप्त था, तो उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? दूसरे, यहां जो इतने व्यक्ति और ट्रक पकड़े गये उनसे कितना सामान पकड़ा गया अब तक, कितना जब्त किया गया, अब तक कितने दाम वसूल हुए ह ?

श्री अध्यक्ष—

पहला तो रेलवे कर्मचारियो से सम्बन्धित है। दूसरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो वक्तव्य में कह दिया है कि कितने का सामान पकड़ा गया और कितने रुपए का हुआ—3,824 रुपया होता है और इसी तरह अलग-अलग है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

608 को सजा हुई—तो इन व्यक्तियों से, तस्करी से, केवल सामान भी प्राप्त हुआ होगा, कुछ को सजा हुई होगी, कुछ के केस पेंडिग होंगे, तो जितना सामान जब्त किया गया उसकी सूची आपके पास होगी ?

दूसरे, आपने कहा कि रेलवे का मामला दूसरा है, तो कम से कम इतना तो सरकार कर सकती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सके कि प्रदेश में ये-ये आपके कर्मचारी तस्करी से सम्बन्धित हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, तो इस तरह की कोई कार्यवाही की सरकार ने ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

समय-समय पर जब ऐसी सूचना आती है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट लिखती भी है और सम्बन्धित अधिकारियों की जांच भी की जाती है इस सम्बन्ध में।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन लोगों की तादाद जो तस्कर व्यापारी, तस्कर व्यापार करने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए, क्या है और जो ट्रक गिरफ्तार नहीं हुए जिनमें सामान भर कर गया है, क्या होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र, कुमारी बाजपेयी—

इसकी सूचना तो नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

यह तो मैं जानता था कि जवाब यही होगा। अगर सरकार को यह नहीं मालूम है तो आप किस आधार पर यह कहती हैं कि गवर्नमेंट को तस्कर व्यापार रोकने में बहुत सफलता हुई है या काफी सफलता हुई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य इसे प्रश्न के रूप में करेंगे तो पूरी सूचना आपको दूंगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अम्बाला से जो ट्रिब्यून अखबार निकलता है उसमें 21 तारीख में लिखा है कि यहां पर तस्करों का एक गोल है जिससे यहां के माननीय मन्त्री के रिश्तेदारों का घनिष्ठ सम्बन्ध है और उस गोल ने उत्तर प्रदेश से तीन करोड़ का अनाज डैफिसिट प्रदेशों को भेजा है। जुलाई, 73 में इस गिरोह ने 1 हजार क्विटल यहां से राजस्थान को धान स्मगल किया जो वहां पकड़ा गया और केस रजिस्टर्ड है। उसी गिरोह न 22 हजार क्विटल गेहूं बोने के नाम पर बंगाल को भजा और वह भी वहां के किसानों ने सुवाई सरकार को लिखा कि उसका जरमिनेशन बिल्कुल नहीं हुआ। इस प्रकार एक बहुत बड़ पैमान पर स्मगलर्स का गोल काम कर रहा है जिसको मन्त्री महोदय और उच्चाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

राज्य सरकार ने उसकी उच्च स्तरीय जांच की है और सी० आई० डी० को भी इसकी जांच दे दी गयी है। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि किसी तस्कर व्यापार करने वाले गिरोह को माननीय मन्त्री जी का संरक्षण मिला हुआ है तो मैं यह बहुत स्पष्ट बताना चाहती हूं कि इस तरह का व्यापार करने वाले लोगों की मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूं।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि 608 लोगों को सजा हुई। तो जिन लोगों को सजा हुई उनमें ट्रक ड्राइवर हैं या मालिक हैं और जो सजा हुई तो जुर्माने की सजा हुई या जेल की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ये पकड़ लिये गये हैं जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

श्री राम सेवक यादव—

मेरा सवाल है कि सजा में जुर्माना भी आता है और जेल की भी सजा आती है। तो जुर्माने की सजा हुई या जेल की ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप सवाल भी कर सकते हैं।

19 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर का शोधन वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय,

सर्वश्री करन सिंह, कल्पनाथ सिंह, बंशीधर मिश्र व बंशीधर पांडे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में 19 जनवरी, 1973 को सदन में सूचना दी गई थी कि—

"जुर्माना की कुल धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गई जिसमें से जिले में बाढ़ के कारण वसूली स्थगित हो जाने के फलस्वरूप केवल 16,345.75 रुपया वसूल किया जा सका। शेष धन की वसूली अब आरम्भ की गई है। आवंटित भूमि पर से पुराने लोगों को बेदखल करके 3,523 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिया गया। 2,670 अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई है। प्रति व्यक्ति अधिकतम भूमि 3.12 एकड़ तथा न्यूनतम भूमि 1.00 एकड़ दी गई है।"

उक्त उत्तर में कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

"जुर्माना की कुल धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गई जिसमें से जिले में बाढ़ के कारण वसूली स्थगित हो जाने के फलस्वरूप केवल 16,345.75 रुपए वसूल किया जा सका। शेष धन की वसूली अब प्रारम्भ की गई है। आवंटित भूमि पर से पुराने लोगों को बेदखल करके 1,735 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिया गया। 2,856 अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई है। प्रति व्यक्ति अधिकतम भूमि 3.12 एकड़ तथा न्यूनतम भूमि 1.00 एकड़ दी गई।"

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों, सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पाण्डे एवं करन सिंह ने नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान की सूचना दी थी तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के करण संख्या 20/ की ओर तत्कालीन

राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था, जिलाधिकारी खीरी द्वारा मामले की जांच कराई गई, तथा वांछित सूचना सही रूप में आकलित न करने के आरोप में श्री रामकृष्ण लाल, नायब तहसीलदार की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है और श्री फतेह बहादुर, नायब रजिष्ट्रार कानूनगो की वार्षिक वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिये रोक दी गई है तथा उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 103 पर)

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 104 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक श्री दलसिंह यादव की है—ग्राम पिरोदर, थाना मैलानी जिला बांदा के श्री रमजानी की थानान्तर्गत थानेदार द्वारा मारे जाने से मृत्यु । इसका मैंने नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य देने के लिये स्वीकार किया है।

एक श्री मोतीलाल देहलवी की है—कानपुर के कबाड़ी व्यापारी श्री राम गुप्ता के यहां से बरामद बमों के बारे म इस पर लोक सभा में भी बहस हो चुकी है । बमों के विशेषज्ञों द्वारा बमों की जांच का काम भी हो रहा है । इस पर और वक्तव्य आप क्या चाहते हैं ....

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । कानपुर में ही एक जगह 26 बम सील्ड करके रखे गये हैं । यह जिन्दा बम हैं । इसके बारे में कहा जाता है कि यदि 6 बम ही फूट जायें तो वे पूरे कानपुर जिले का विनाश कर सकते हैं । तो ऐसी स्थिति में कानपुर की सुरक्षा का प्रश्न सामने है । कानपुर में खतरा बना हुआ है। यह बम एक कबाड़ी के यहां मिले हैं और सुरक्षा विभाग के यह बम हैं । इसलिये इस बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिये और इस सदन में उस पर विचार होना चाहिये।

एक सदस्य---

श्रीमन्, उन बमों को टैक्नीकल लोगों की राय से एक्सपर्ट्स लोगों के अधीन रखा गया है । कोई खतरा नहीं है उनके फटने का ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या यह मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे हैं ? मान्यवर, 26 बम रखे हैं । कानपुर में इससे कितना खतरा हो सकता है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । भारत सरकार के सुरक्षा मंत्री के एक रिश्तेदार कानपुर में रहते हैं जो लोहे का काम करते हैं, इसलिये यह मामला और भी गम्भीर है.... (हंसी)

श्री अध्यक्ष---

इसलिये गम्भीर कम है क्योंकि यदि कानपुर उड़ जायेगा तो उनके रिश्तेदार भी तो उड़ जायेंगे.... (हंसी)

आप सुने, कृपा करके । जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं उन लोगों की जिम्मेदारी में यह सब काम भारत सरकार कर रही है । इस पर यही हो सकता है कि हम भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा दें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

श्रीमन् तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहें कि वहां जो 26 बम रखे हैं उनसे कोई खतरा नहीं है। यह भी मामला यहां उठता है कि यह बम कबाड़ी मार्केट में कहां से आये और कितनी तादाद में कबाड़ी मार्केट में बम मिले ।

श्री अध्यक्ष---

यह सब बातें तो आपने कह दी हैं ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष जी, इस मसले पर लोक सभा में बहस हो चुकी है इसलिये यहां बहस नहीं हुयी मैं आपसे सहमत हूं । लेकिन माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि यह जो 26 बम अभी रखें हैं, और यह भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वह कैसे रखें, हैं और जनता को उनसे कोई खतरा नहीं है । कानपुर को उनसे कोई खतरा नहीं है तो इसमें हमारा भी इंटरेस्ट हो जाता है कि हम आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करें कि वह इस बात का इतमिनान कर लें कि वह बम वहां इस प्रकार से रखे गये हैं कि उनमें कोई विस्फोट नहीं होगा और उनसे जनता को कोई खतरा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

यह हम उनको कार्यवाही के लिये भेज देंगे ।

चौधरी चरण सिंह—

जब वह यहां बैठे हैं तो वह जवाब दें, बोल दें ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नंन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, जब चौधरी साहब का हुक्म आता है तो मैं धृष्टता करता हूं । उन्होंने आज्ञा दी कि कहूं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस पर हमारी पूरी नजर है और वहां कोई खतरा नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर) बनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि होने के बाद भी उपभोक्ताओं को घी न मिलना । इस पर आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें और खाद्य स्थिति पर जब विवाद चलेगा तब इस पर भाषण दे सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन् भाषण तो बहुत दे चुका हूं और भाषण देने के लिये तो हूं । श्रीमन् यह बड़ा महत्व पूर्ण प्रश्न है बनस्पति घी के बनाने वाले उद्योगों ने अब बनस्पति घी को न बनाकर केवल तेल पेराना शुरू कर दिया है और वह इसको बाहर भेज रहे हैं । वह कहते हैं कि इस तरह इसको ज्यादा फायदा हो रहा है । इस तरह से मान्यवर एक दिन आयेगा जब बनस्पति घी तैयार होना बन्द हो जायगा और बनस्पति घी का सूखा पड़ जायेगा । इसलिये इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष—

ऐशबाग, लखनऊ के बटाला इंजीनियरिंग वर्क्स में प्लाई व्हील का चक्का टूट जाने से मजदूरों की मृत्यु । नियम 51 के अन्तर्गत हम इसमें देख लेंगे।

(श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

तहसील मऊ तथा मानिकपुर जिला बांदा में भुखमरी । इस पर आज या कल, आगे बोल सकत हैं ।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

मान्यवर इस पर आगे बोलने पर कठिनाई है । मान्यवर भुखमरी फैली हुई है। लोग मर रहें हैं । आप भाषण देन का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको मौका मिलेगा । अभी कल एक बयान में मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम किसी को भूख से मरने नहीं दे सकते तो इसलिये आप इस पर बजट में भी बोल सकते हैं ।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं बार-बार कह रहा हूं, वहां कुछ भेजना चाहिये । आप बाजरा ही वहां भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1974–75 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार होगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, अभी मेरे ख्याल से 8–10 दिन हुये मुख्य मंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के सिलसिले में कुछ सवालात हुये थे। जब वह इलाहाबाद म थे तो मुख्य मंत्री ने उनको अपने पास दिल्ली बुला लिया था और जब वह लखनऊ आये तो उनको अपने साथ लखनऊ लाये और डिप्टी सेक्रटरी बनाया। तो सवाल यह था कि उनके खिलाफ कोई विजीलेन्स कमीशन इन्क्वायरी कर रही है, तो आपने जवाब दिया कि इस अवधि मे कोई ऐसी बात नहीं थी और जब वह इलाहाबाद में थे तो कोई इन्क्वायरी नहीं चल रही थी। पहले कहा कि मामले की तहकीकात हो रही है लेकिन बाद में उस बात को टाला गया। इन्होंने यह कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं कि काई इन्क्वायरी हो रही है या नहीं। मोहम्मद असरार अहमद तथा दूसरे श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने इस प्रश्न का शार्ट नोटिस पर दिया था परन्तु वह अभी तक टेबिल नहीं हुआ ह। तो मैं जानना चाहता हू कि वह क्यो टेबिल नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

अल्प सूचित प्रश्न एक-दो से अधिक नहीं रखे जा सकते।

चौधरी चरण सिंह—

आज कोई अल्प सूचित प्रश्न नहीं था तो भी आपने नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष—

एक-दो जो अल्प सूचित प्रश्न सरकार को भेजे जाते हैं तो उनका उन्हें जवाब भी देना होता है।

चौधरी चरण सिंह—

हमको सुबह होने लगा कि आपकी नजरे इनायत उधर होने लगी है।

श्री अध्यक्ष—

अगर नजरे उधर हैं तो इनायत इधर हैं। (हंसी)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, नजर और इनायत दोनों उधर रहे मुझको कोई शिकायत नहीं होगी।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं उस दल को जिस दल के माननीय सदस्य का व्यवहार इस प्रकार का होगा, सारी सुविधाओं को छीन लूंगा अगर वह अपने सदस्यों को अनुशासन के अन्दर नहीं रखेगा। दल के नेता को यह देखना चाहिये और उन्हें टोकना चाहिये था। आखिर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर इस तरह का नाटक और अविनय करेगा तो उसके लिये यह स्थान नहीं है। श्री हरिकेवल सिंह नियमों को पढ़े। इस तरह से आप सरकार को दबा नहीं सकते हैं। ऐसे लोग सरकार की ताकत में इजाफा करते हैं और जनता की कोई सहायता नहीं कर पाते। आप बहस में यह सब बाते कह सकते हैं। मैं उस दल को चेतावनी देना चाहता हू।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

जब मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था तो उसको आपको सदन में कहना चाहिये था।

[×××]श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू राजस्व, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता, अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर तथा अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,92,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,00,24,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,00,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—सहायता एवम् पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,69,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

प्वाइंट आफ आर्डर, सर । पेश्तर इसके कि बहस शुरू हो और माननीय सदस्य अच्छी प्रकार विचार प्रकट कर सकें जिससे जनता को लाभ हो, आवश्यक यह है कि डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट पिछले वर्ष की, इन सारे मामलों पर जिसके विषय में रुपये मंजूर कराने के लिये कहा गया है, आनी चाहिये जिससे सदस्य उसको देख सकें कि कितना काम हुआ है ।

अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि शायद आ गयी है । अगर आ गयी है तो मैं दरख्वास्त करूंगा आपके जरिये गवर्नमेंट से कि वह पहले मिलनी चाहिये थी । आज जब बहस होने वाली है उससे कोई लाभ नहीं है । इसे तकसीम पहले होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी राय से सहमत हूं कि इसे दो दिन पहले बंट जानी चाहिये मैं इसको देखूंगा । विवाद को सुगम और बोधगम्य बनाने के लिये यह आवश्यक है कि यह पहले से बंटे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी चरण सिंह—

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का परसों आने वाला है तो उसकी रिपोर्ट आज मिल जानी चाहिये ।

एक सदस्य—

वह भी आज मिल गयी है । पिजियन होल में रखी होगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं बहुत थोड़ी बात इस पर कहना चाहता हूं जिससे कि विरोधी दल के माननीय सदस्य अच्छे-अच्छे सुझाव दे सकें । जो अनुदान सं07 है उसमें भू अभिलेखों के रख-रखाव में 18,341 लेखपाल, 860 कानूनगो और उनका सुपरवाइजरी स्टाफ लगा हुआ है । यह लोग लगभग डेढ करोड़ कृषकों के खेतों के लेखा-जोखा रखते हैं और उसमें 3 फसलों में फसल की प्रविष्टि करते है । इनके कार्य की देख-रेख के लिये परिषद् स्तर से जिला स्तर तक स्टाफ की व्यवस्था है । इन्हीं लोगों की सहायता से खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल कार्य के आबंटन का कार्य किया गया था। अब तक लगभग सभी भूमि जो गांव सभा या सरकार के पास उपलब्ध थी उसमें से आबंटन किया जा चुका है और 9,?2,523 परिवारों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है शेष लगभग 2,30,00 0 परिवारों को भूमि अध्याप्त करके देनी होगी जिसके लिये इस वर्ष से व्यवस्था की जा रही है । इस भू अभिलेख अधिष्ठान पर लगभग 6,31,00,000 रु० वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय होने का अनुमान है । श्रीमन्, सामान्यतः इन्हीं के माध्यम से अधिकतम जोत सीमा का कार्य भी किया जाता रहता था, बहुत थोड़ा सा अतिरिक्त स्टाफ दे दिया गया था । नये संशोधन अधिनियम के बनाने के बाद अधिकतम जोत सीमा का कार्य तीव्र गति से करने का निर्णय लिया गया और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गयी है । यह स्टाफ इस वर्ष कार्य करेगा उस पर लगभग 60,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है ।

श्रीमन्, दूसरा बड़ा मद जिस पर व्यय होता है संग्रह स्टाफ का है। राजस्व विभाग मालगजारी और अपने अन्य देयों के अतिरिक्त उन देयों की वसूली भी करता है जिसके लिये अन्य विभागों से प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं । इस कार्य पर नियमित रूप से 7,246 अमीन लगे हुए हैं । उनके देखरेख के लिये नायब तहसीलदार और अन्य स्टाफ की व्यवस्था है । इस स्टाफ द्वारा पिछले राजस्व वर्ष में 47 करोड़ 26 लाख रु0 विभागीय देय की और 17 करोड़ 25 लाख रुपये प्रकीर्ण देयों की वसूली हुई । इतनी वसूली हो सकी यह संतोषजनक बात ह क्योंकि काफी सुविधा छोटे कृषकों को सूखा और अन्य आपदाओं के कारण की गयी थी । इस वर्ष यह आशा की जाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वसूली होगी । श्रीमन्, जहां तक चकबन्दी की बात है यह आयोजना का भी अंग ह । इसमें लगभग 23 हजार कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं जिसमें से लगभग 10 हजार पद स्थायी कछ दिये गये हैं । पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 5,59,000 हेक्टर था जबकि उपलब्धि कुस अधिक 5,62,000 हेक्टर रही । इस वर्ष का लक्ष्य 5,71,000 हेक्टर है और इस पर 6,23,00,000 रु0 व्यय होगा । चकबन्दी का कार्य निष्ठा और दक्षता के साथ हो सके, इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है और हाल ही में दो एफिसियेंसी स्क्वड्स का गठन किया गया है । बहुधा यह शिकायत रही है कि चक रोडों और गांव सभा की भूमि पर चिन्ह न होने के कारण अनधिकृत कब्जा आसानी से किया जाता रहा है । इस वर्ष से यह व्यवस्था की जा रही है कि कृषकों के चकों पर पत्थर गाड़ दिये जावेंगे, जिससे सारी भूमि अलग दीखती रहे और उस पर अनधिकृत कब्जों को रोका जा सके । इससे एक यह भी लाभ होगा कि कृषक एक-दूसरे के चकों पर भी अनधिकृत कब्जा नहीं कर सकेंगे । इस वर्ष के लिये भी बजट में 45,00,000 रु0 की व्यवस्था की जा रही ह । इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य मद ह जिनका खर्च इसी मांग में आता ह, जैसे विशेष भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान, सर्वेक्षण राजकीय अधिष्ठान ।

दूसरी मांग जो दैवी आपदाओं से संबंधित है । पिछले वर्ष तक दैवी आपदा पर किये जाने वाले खर्चे में ऋण केन्द्रीय सरकार अपना योगदान देती थी । इस वर्ष से केन्द्रीय सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है और उसके जनरल एलोकेशन में ही 2,18,00,000 रु0 की धनराशि निश्चित कर दी है जो इस कार्य के लिये प्रति वर्ष मिलेगी और इससे अधिक खर्च होने पर प्रदेश सरकार को अपने साधनों से व्यय करना होगा । दैवी आपदा पड़ने पर सामान्य रूप से भ-राजस्व में छूट और स्थगन की सुविधा के अतिरिक्त पीड़ित लोगों की सहायता अदेनक सहायता, गृह निर्माण अनुदान और राहत कार्य चलाकर किया जाता है । पिछले दो वर्ष प्रदेश के लिये इस मामले में काफी कष्टकारी रहे हैं और बहुत अधिक खर्च दैवी आने पर करना पड़ा है । इस वर्ष इसके लिये 6,00,36,200 रु0 की व्यवस्था बजट में की जा रही है।

तीसरी मांग का संबंध प्रतिकर से है जो मध्यवर्तियों के अधिकारों को सरकार द्वारा अध्याप्त करने पर देना आवश्यक है । उन जोतदारों को भी प्रतिकर देना है जिनकी भूमि जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत ली जावेगी । इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 67,50,100 रु0 व्यय होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा जो हमारी पुनर्वासन योजना के संबंध में भी बता देना चाहूं । सहायता तथा पुनर्वासन अनुभाग द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । अब सहायता तथा पुनर्वासन विभाग पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आये हुए विस्थापित परिवारों तथा बर्मा एवं युगान्डा से प्रत्यावर्तित भारतीयों को इस प्रदेश में भूमि अथवा रोजगार धंधे में बसाने का प्रयास कर रहा है । प्रदेश में जिला नैनीताल (रुद्रपुर) में मार्गस्थ शिविर स्थापित हैं, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आये परिवारों की संख्या 1320 और बर्मा से आये परिवारों की संख्या 70 है, इनमें से 67 परिवार स्थायी दायित्व के हैं इनके पालन पोषण का भार भारत सरकार वहन करती है।

उपरोक्त विस्थापितों को कृषि अथवा रोजगार धन्धे में बसाने के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है। जो परिवार कृषि पर बसाये जायेंगे, उनके लिये भूमि, उसकी जुताई, सफाई, भूमि संरक्षण, भूमि का विकास, सिंचाई, बीज हल-बैल उर्वरक, कीटाणु नाशक दवाइयां आदि की व्यवस्था की जाती है। सिंचाई साधन को छोड़कर कृषि सम्बन्धी अन्य सुविधाओं पर जो व्यय होता है, वह विस्थापितों को ऋण के रूप में दिया जाता है। इस संबन्ध में इस वर्ष 8,29,200 रु0 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय करने हेतु व्यवस्था की गयी है। संबंधित कृषक परिवारों को 1,13,200 रु0 जीवन निर्वाह के लिए रखा गया है ताकि जब तक यह दूसरी फसल पैदा करें तब तक उन्हें जीवन निर्वाह के लिये ऋण के रूप में सहायता मिलती रहे।

विस्थापित परिवारों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि विस्थापित होने के पूर्व किसी व्यवसाय में लगे हुए थे। ऐसे परिवारों के लिए व्यवसाय में बसाने हेतु 10,000 रु0 ऋण के रूप में देने हतु प्राविधान किया गया है ।

कुछ विस्थापित परिवार भारत में आने से पूर्व मत्स्य कार्य में लगे हुये थे। इन परिवारों को बसाने के लिय मत्स्य योजना के अन्तर्गत 1,600 रु0 की व्यवस्था की गयी है।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों को व्यवसायिक ऋण दिये जाने के लिये 2,50,000 रु0 की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में रखी गयी है और 100 रु0 की सांकेतिक धनराशि उन विस्थापितों

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

के लिये रखी गयी हैं, जो भमि पर बसना चाहेंगे। विस्थापितों को कृषि अथवा व्यवसाय में बसाने के साथ-साथ उनके रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था भी की जाती है इसके लिये ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में कुल 3 लाख रुपये की व्यवस्था इस वर्ष की गयी ह।

प्रदेश में भूमि के अभाव में पुनर्वासन के लिये पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त भूमि का न होना स्वाभाविक है। किन्त विभिन्न जिलों से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है कि यथा संभव कृषि के लिये भूमि प्राप्त कर ली जाय और विस्थापितों को बसाने के लिये प्रयास किया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को 5 योजनायें भेजी गयी हैं जिसमें दो को स्वीकृति मिल चकी है। इस तरह से मैंने सूक्ष्म रूप से सदन के सामने कुछ बातें रख दी हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिक समय मिले, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं, ताकि इस सदन को माननीय सदस्य अपने बहुत ही कीमती सुझाव दे सकें और उनको कार्य रूप म परित किया जा सके।

*चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7---भू-राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 39---दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 76---जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 90---ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सझाव देना। माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में बहुत संक्षिप्त भाषण सदन के सामने पेश किया और हमें दुख है कि इस प्रदेश की जनता की नस जिन लोगों के कारण दुखती है उनसे उन्होंने अपने भाषण को शरू किया यानी लेखपालों से। प्रदेश में 13 हजार लेखपाल हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण काम प्रदेश में कर रहे हैं। मैं यह बतला दूं उनको कि पलिस से भी पहले नम्बर पर भ्रष्टाचार के मामले में, फर्जी काम करने में अगर कोई विभाग है तो यह राजस्व विभाग ही है।

और राजस्व विभाग के कर्मचारी चाहे वह लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो या तहसीलदार हो सब अपनी-अपनी जगह पर गरीब किसान और जनता को लूटने पर जुटे हुये हैं। पहले थानों में जाने में लोगों को डर लगता था लेकिन अब तहसीलों में जाने में लोगों को डर लगता है क्योंकि आप देखेंगे कि तहसील के भीतर घुसते ही तहसील का चपरासी, नाजिर और पेशकार आदि सब के सब लोग, जैसे के गंगा के घाट पर कफन से भी पैसा लूटने के लिये बैठे रहते हैं, गरीब जनता को लूटने के लिये बैठे रहते हैं। वहां पर तहसीलों में गरीब जनता से पैसा घसीटने के लिये एक बहुत बड़ा काफिला रोजाना अपनी चौकी डालकर बैठ जाता है। ये लेखपाल मरे हुये आदमी के नाम भी जमीन दर्ज कर देते हैं। ये लोग जिन्दे आदमी को मरा हुआ कहते हैं और मरे हुये आदमी को जिन्दा कहते हैं। ये लोग विधवा औरतों के लूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगवाते है और बुद्धे आदमियों की नसबन्दी करते हैं । गरीब आदमी को झांसा देते है उनके साथ जालसाजी करते है कि तुम्हें जमीन का पट्टा देंगे । अभी मंत्री जी ने कहा कि लेखपालों द्वारा जमीन के पट्टे बटवा रहे है । जो सन् 70-71 में पट्टे हुये उसमें करीब-करीब 1 लाख 88 हजार पट्टे गैर-कानूनी बताये गये । मान्यवर, यह पट्टे कौन करता है ये सब पट्टे ग्राम समाजों के जरिये लेखपाल करते हैं ।

आज इस प्रदेश में लेखपाल नाम का एक बड़ा कीड़ा है जो सारी गरीब जनता को चुन रहा है । पता नहीं किस बुद्धि से पटवारी को खत्म करके लेखपाल को पैदा कर दिया गया था । यह कोई अच्छी बात नहीं थी । ये वही लोग है जिन्होंने अंग्रेजी राज में जनता का खून चूसा था, आज का हमारी समाजवादी व्यवस्था में इनको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये था । लेकिन पटवारी खत्म हुये, लेखपाल आया । यह लेखपाल तो आज पटवारी का भी चाचा निकला । सारे प्रदेश में आज लूट मची हुई है । इस राजस्व विभाग के साथ ही साथ हमारे मंत्री जी का इन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है । इसके बीच में एक राजस्व परिषद् भी बना हुई है जो कि इन सारे कर्मचारियों का संचालन करती है । मंत्री जी अगर यह चाहे कि इन कर्मचारियों को सीधे-सीधे कोई सजा दी जाय तो वह नहीं दे पाते क्यों कि वे पहले राजस्व परिषद् को लिखेंगे और तब वह चाहे तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते है ।

मान्यवर, इस प्रदेश में राजस्व परिषद् नाम की जो संस्था है वह भी बिलकुल गैर जरूरी है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । राजस्व परिषद् का तत्काल समाप्त होना चाहिये कई ऐसे प्रदेश है--करल, महाराष्ट्र आदि जहां पर कि राजस्व परिषद् नहीं है । आज राजस्व परिषद् में दो प्रकार की शाखायें है । एक प्रशासनिक शाखा जो लखनऊ में है और एक न्यायिक शाखा जो कि इलाहाबाद में है और इनमें बड़े-बड़े आई0सी0एस0आफिसर इस रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर है ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुये ।)

जिनको 35-35 सौ रुपया तनख्वाह मिल रही है । ये कमिश्नर रैंक के लोग हैं, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता की शक्ति को खो बैठते है, तब वे न्यायिक शाखा इलाहाबाद में जाकर बिठाल दिये जाते है और वहां न्याय करते है । मेरा निवेदन है कि यह जो इलाहाबाद की न्यायिक शाखा है, इसको तुरन्त समाप्त किया जाये और इसके अन्तर्गत जिन मुकदमों का निर्णय होता है वह कमिश्नरियों के कमिश्नरों के जरिये कराया जाये । फिर उसका अपील हाई कोर्ट में करने का किसानों को अधिकार होना चाहिये । मैं यह भी कहूंगा कि प्रशासनिक शाखा जो राजस्व विभाग में यहां है, उस प्रशासनिक शाखा की भी कोई जरूरत नहीं है । आज हमारे राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव है, उनके बीच में रोड़ा अटकाने वाली किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। हमें बताया गया है कि जब सन् 67 में संविद की सरकार थी, तो उस समय किसी राजस्व मंत्री ने राजस्व परिषद् के किसी मेम्बर को टेलीफोन किया । उनको इस पर गुस्सा आ गया और सानवाल साहब ने आदेश जारी किया रेवेन्यू बोर्ड के लोगों के लिये कि वे मंत्री जी से सीधे बात कर उनका पालन नहीं करेंगे । विभाग के माध्यम से जब आयेगा तो हम विचार करेंगे । तो ऐसा परिपत्र सानवाल साहब ने प्रसारित किया था । जब लखनऊ में राजस्व सचिव और राजस्व मंत्री है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी समाप्त करना चाहिये ।

मंत्री जी ने कहा कि सीलिंग की जमीनें जो निकली हैं, वे जनता में बांटी गई हैं । मैं इसके सम्बन्ध में श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित भूमि व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन 1972-74 के पृष्ठ 145 के एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं, जिससे आपको

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

वास्तविकता खुल जायगी । इसमें गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर के बारे में दिया है जिला मिर्जापुर में ग्राम गोपालपुर, बंदोली मे गोपालपुर फार्म के नाम स 4,532 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म हे । भू-अभिलेखों के अनुसार इस भूमि पर 14 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, जिनमें से अधिकांश वाराणसी के निवासी है । यदि इन 14 खातेदारोंके हिस्से सम्पूर्ण जोत में बराबर मान लिया जाय तो प्रत्येक हिस्से मे 323.71 एकड़ भूमि होती है । जिला कार्यालय से ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत इन खातेदारों की जोत के विषय में कोई कार्यवाही सीलिंग क्षेत्र अवधारण की नहीं की गई जबकि प्रत्येक के पास केवल इसी फार्म में ही अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि थी । कहा जाता ह कि इन फार्म होल्डरों का कोई सहकारी कृषि समिति है । यदि ऐसी कोई समिति बनाई भी गई हो तो भी उसे अधिनियम की पुरानी धारा 6(15) के अन्तर्गत छूट नहीं मिल सकती थी । खतौनी में अंकित इंदराज इस बात का सबूत है । यह सम्पूर्ण जोत 14 व्यक्तियों के नाम दर्ज थी । किसी सहकारी कृषि समिति का नाम दर्ज नहीं था । इस फार्म के सिलसिले में एक और दिलचस्प बात नोटिस में यह आई है कि जूडिशियल आफिसर के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1972, जो मुकदमा संख्या 246/10/16/350 में पारित किया गया, के आधार पर गोपालपुर फार्म की सम्पूर्ण भूमि पर 93 अन्य नाम बतौर सह खातेदार दर्ज कर दिये गये हैं । जिला कार्यालय से यह सूचना प्राप्त की गयी है । उक्त दावा 24 जनवरी, 1971 से पूर्व दायर किया गया । इसका नतीजा यह होगा कि इतने बड़े फार्म की जोत में से कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हो पायगी । मौके पर यह फार्म एक ही इकाई है और लगता है कि केवल एक ही परिवार के लाभ के लिये यह फार्म विद्यमान है । प्रदेश के कई जिले बिहार व नेपाल के लोगों के नाम फार्म में प्रत्यक्ष रूप से फर्जी दर्ज कराये गये हैं ताकि फार्म सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों की लपेट से बच जायं ।

मान्यवर, जब इस तरह से चार पांच हजार एकड़ का फार्म है और राजनीतिक नेताओं का अपना निजी फार्म है और 14 आदमियों के नाम से दर्ज है, सीलिंग ऐक्ट से वह बच गया । इस तरह की तमाम मिसालें ह । लोग आज जमीनें अपने कुत्तों के नाम करवा लेते ह । कुछ मरे हुये लोगों के नाम हैं । कुछ ऐसे लोगों के नाम भी जमीनें मिलेंगी जो धरती पर हैं ही नहीं । कुत्ते बिल्लियों के नाम से फार्म गोपालपुर फार्म वही फार्म है जिसके सम्बन्ध में यहां पर इसी सदन में सतिया कांड का मामला उठा था । एक हरिजन लड़की सतिया का शीलभंग किया गया था, गोली मारी गयी थी । तो सीलिंग का ऐक्ट इन पर लागू नहीं होता है । मंत्रियों पर लागू नहीं होता, बड़े-बड़े अमीरों पर, बड़े अफसरों पर लागू नहीं होता । तो सीलिंग ऐक्ट सारा का सारा ढोंग है । सीलिंग के अन्दर जितनी जमीन निकली है उसमें लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जो आज तक बांट नहीं पाये । करीब ढाई लाख एकड़ जमीन निकली थी । उसमें करीब 14 हजार एकड़ सह। मानों में पट्टे किये गये । बाकी जमीन का अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने आज तक कोइ हिसाब किताब नहीं किया । सारी की सारी जमीन लोग जबरदस्ती जोते हुये हैं । दूसरों के नाम बनी हुई है । तो यह सीलिंग का ऐक्ट बिलकुल धोखे का ऐक्ट है ।

हमारा यह संशोधन है कि जमीने उसके नाम से रहे जो जमीन को जोते । अगर यह जोत नहीं सकता और आज जमीन उनके नाम से चढ़ी हुई है, जो सेक्रेटेरिएट में बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर हैं, तीन-तीन हजार रुपये तनख्वाह पाते हैं, करीब 50 हजार एकड़ जमीन टाटा, बिड़ला के नाम पर इस देश में चल रही है, राजा महाराजाओं के कुत्ते बिल्ली के नाम पर जमीन चल रही है । इसमें करना पड़गा कि अगर कोइ व्यक्ति अपने हाथ से नहीं जोतता है, तो वह जमीन उससे निकाल ली जाय । अगर कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक खेती नहीं करता तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाय ।

(इस समय 1 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुये ।) जब आप करेंगे तब होगा । नियम भी बना हुआ है लेकिन पालन नहीं करते । पालन करने वाले आपके विभाग के कर्मचारी हैं । तो जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मौजूदा राजस्व मंत्री इसमें अपना कदम बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ा रहे हैं लेकिन इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, प्रदेश के और किसी विभाग में नहीं है । चकबन्दी की मिसाल ले लीजिये 1953 से चकबन्दी हुई । 20–25 वर्ष हो गये आधे सूबे में चकबन्दी नहीं हो पायी । क्या चकबन्दी 50 साल में पूरी होगी । और पचास साल में पूरी होती है तो फिर दोबारा चकबन्दी करानी पड़ेगी । पांच वर्ष के अन्दर चकबन्दी समाप्त हो जानी चाहिये थी । अभी तक 21 जिलों में चकबन्दी हुई है 27 जिलों में बाकी पड़ी है । इस तरह से कानूनों को घसीट-घसीट कर चलाने से प्रदेश का कोई फायदा नहीं हो सकता ।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं और एक मिसाल में चकबन्दी को आपके सामने रख रहा हूं। कानपुर में एक एस0ओ0सी0 है, वह पहले एस0डी0एम0 थे । डेरापुर तहसील में 69–71 में चार हजार पट्टे उन्होंने गरीबों और हरिजनों के किये । लेकिन अपनी अदालत में दाखिल खारिज नहीं किया । जब चकबन्दी की घोषणा हो गई तो उन्होंने फाइल दफ्तर में दाखिल कर दी । तत्कालीन राजस्व मंत्री की कृपा से वे एस0 ओ0 सी0 बना दिये गये। जब वह कानपुर के एस0ओ0सी0 बन गये तो साल डेढ़ साल में उन्होंने सात लाख रुपया लोगों से वसूल किया ।

पिछले दिनों हमारे क्षेत्र के लोग यहां आये । हम लोग मंत्री जी के पास गये लेकिन वह मिले नहीं । तब हम सी0 आई0डी0 के डी0आई0जी0 से मिले । उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की । झींझक में 500 रुपये लेते हुये इनके ही एक लाडले जो कानूनगो था और खाली रुपया बटोरने के लिये ही इन्होंने उसको रखा था, पकड़ा गया । उसे 20 दिन जेल में रहना पड़ा । इनके पास सरकारी जीप है । उससे वे कव्वाली सुनने चले गये । रात में इनकी जीप चोरी चली गई और यह कव्वाली ही सुनते रह गये । 3–4 दिन बाद वह जीप कहीं पड़ी हुई जिसके सारे पुर्जे गायब थे । उसमें हजारों रुपये का नुकसान हुआ ।

हमने मंत्री जी से कहा तो उन्होंने इंक्वायरी कराई । जो सज्जन वहां इंक्वायरी करने गये उनको एस0ओ0सी0 महोदय ने नवीन मारकेट से 450 रुपये का कपड़ा खरीदवाया वह चले आये और सारी रिपोर्ट गड़बड़ कर दी । इसके लिये मुख्य मंत्री को दरखवास्त दी गई और हजारों लोगों ने कहा । इस पर इंक्वायरी कराई गई । जिन सज्जन की इंक्वायरी के लिये भेजा गया वह पहले तो बड़े गरम दिखाई दिये लेकिन कानपुर-पहुंचते पहुंचते ठंडे पड़ गये मालूम हुआ कि वे कई हजार रुपया डकार गये । इनकी भी गोलमाल रिपोर्ट आ गई । इन्हीं एस0ओ0सी0 ने पिछले दिनों एक लेखपाल को चक काटने के लिये रख दिया । उसने सैकड़ों उल्टे सीधे चक काट दिये और लोगों से तमाम रुपया ले लिया । मंत्री जी ने इसकी इंक्वायरी कराई और उनका ट्रांसफर हुआ । लेकिन आज भी वे सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं और उनकी सिफारिशें मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी के पास पंहुच रही हैं । हमने कहा था कि यह भ्रष्टाचारी आदमी है । अगर आपने इसको रोक दिया तो आपका पूरा प्रशासन कमलापति राज्य के स्तर पर पहुंच जायगा । इसलिये रोकिये नहीं । एक डेढ़ माह हो गया लेकिन इसने अभी तक अपना चर्चा नहीं छोड़ा है । मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी जब बोलें तो अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण करें । क्या शासन इसके मातहत हैं? क्या शासन के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य नहीं है? क्या वह इस बात की जांच करायेंगे कि इस तरह का मामला चकबन्दी में चल रहा है कोई।

श्री अधिष्ठाता—
माननीय सदस्य और कितना समय चाहेंगे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
मान्यवर, बहुत दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—
आपको अन्त में फिर बोलना है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
वह तो बोलूंगा ही। मुझे इसी में समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—
10 मिनट में आप समाप्त करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
मान्यवर, इसको जो लगा दिया है । इन्होंने भूमि विकास कर लगा दिया है । भूमि का कोई विकास नहीं, लोग भूखों मर रहे हैं । नाम है जटाधारी और सर पर एक भी बाल नहीं। नाम है तोसमार खां मारी एक भी चिड़िया नहीं है । नाम है विकास कर और यह विनाश कर रहा है । इसे सरकार ने अपनी दुर्नीतियों के कारण लगाया है और किसान इसके कारण परेशान है । वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट में यह कहा कि टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे । वह देखेंगे कि किस-किस पर टैक्स लगाया जाये । जब वह रिपोर्ट आयेगी तब इसी सदन में झगड़ा होगा । संविद की सरकार ने सवा छः एकड़ का लगान माफ करके किसानों को राहत पहुंचायी थी । यह सवाल आज सत्ता की ओर से तथा अन्य कुछ लोगों की ओर से उठ खड़ा हुआ है कि सवा छः एकड़ पर लगान लगा दिया जाये । अगर ऐसा किया गया तो मेरा दल इसका विरोध करेगा । बहुत से लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं । जो समाजवादी हैं वह कभी भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के सामने झुकेंगे नहीं । उनकी अपनी लाइन है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—
चौधरी साहब ने तो कहा कि खाद के दाम आधे, पानी के दाम आध किये जायें । जहां तक और लोगों का सवाल है वह उसके विरोधी भी हैं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
किसान को खाद मुफ्त दो, पानी मुफ्त दो, और लगान भी माफ हो । क्यों नहीं ऐसा करते । इधर का सुना उधर निकल जाये तो इससे क्या फायदा होगा । आप एक बोरी खाद दिलवायेंगे तो उसे कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसका पानी मुफ्त न हो, लगान माफ न हो। उसको और सुविधायें न मिलें । इसलिए यह कोई अच्छी दलील नहीं है कि खाद पानी मिलेगा इसलिए लगान लगाया जाये । मान्यवर, आज तहसीलों में जो 10 गना और बीस गुना के बाद 4–4 वर्ष तक लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं मिलते । आपने यह नया कानून बना दिया कि 10 गुना या 20 गुना जमा करने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है । इससे चार सौ बीसी बहुत हो रही है । वैसे तो 10 गुना या 20 गुना का कोई सवाल ही नहीं था । जब जमींदारी समाप्त हुई तो जमींदारों को भूमिधर बना दिया गया वैसे ही किसानों को भी बना देना चाहिए लेकिन नहीं हुआ । इस तरह का कानून समाप्त होना चाहिए ।

आज हरिजनों के लिये जमीन की व्यवस्था आप कर रहे हैं । आप उनको कितनी जमीन दे रहे हैं । दे रहें हैं 100 वर्ग गज । उसमें एक झोपड़ी भी हरिजन नहीं बना सकता । यह क्या तमाशा हो रहा है । अगर हरिजनों को मकान बनान के लिए जमीन देनी है तो दीजिए। उसमें वह अपना मकान बनायगा, अपन जानवर भी उसमें रखगा, अपना और भी उसमें विस्तार

करेगा । मान्यवर, 100 वर्गगज जमीन इतनी भी नहीं है जितनी कि इस सदन के बीच का खाली स्थान पड़ा हुआ है । तो इसलिए अगर हरिजनों को जमीन देनी है, उसको मकान बनाने के लिए तो इतनी जमीन दीजिए जिसमें उसकी आवश्यकता के लिए मकान बन सके । ऐसी जमीन मत दीजिए जिससे कि कोई अपनी झोपड़ी भी न बन पाये ।

आज चकबंदी में भ्रष्टाचार है, तहसीलों में भ्रष्टाचार है, किसी भी अदालत में आप चले जाइये दिन भर बैठे रहिए, पेशकार की मर्जी पर शाम को जब 2 रु0 मिलेगा तब पुकार करेगा । क्यों नहीं आप करते कि किसी भी अदालत में चाहे वह तहसील की हो या एस0डी0एम0 की हो, कोई भी मुकदमा 3 महीने से ज्यादा आगे नहीं चलेगा । 3 महीने में खत्म हो । पहली पेशी में, पहले महीने में सबूत हों, दूसरे में बयान हो और तीसरे महीने में सफाई तथा फैसला हो जाय । अदालतों में उतने ही मुकदमें एक तारीख में लगाये जायं जितने उस दिन निस्तारण हो सकें । आज देहातों में लोग परेशान है । देहात से लोग कचेहरी आते हैं और जब पेशकार को 2–2, 4–4 रु0 देते हैं तब उनकी पुकार होती है । यह पूजा जब तक कोई नहीं चढ़ाता है तब तक उसको तारीख नहीं मिल पाती है । आज यह तरीका बदलना चाहिये । यह करना चाहिए कि सारे मुकदमें 3 महीने में निस्तारित हो जायं । सारे मुकदमें जो लिये जायं वह तीन महीने से अधिक दिनों तक पेंडिंग न रहें । जितने मुकदमें एक दिन में किये जा सकें उतने की बराबर लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 जिससे उसी हिसाब से लोग अदालतों में आकर अपने मुकदमें कर सकें । लगान के बारे में जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हम लोगों के साथ थी, जब हम लोग एक साथ थे तब हम लोगों ने कहा था कि लगान नाम की चीज खत्म कर दी जाय और अगर जरूरत पड़े तो कृषि आय-कर लगायें ।

अधिष्ठाता महोदय, आप भी जानते हैं कि आपका भी यही इरादा शुरू से रहा है कि यह जो लगान है यह मुकदमें की वृद्धि है । इसकी जगह पर अगर शासन को जरूरत है तो जो बड़े किसान है जिनसे खेती की आमदनी हो रही है उससे कृषि आय-कर लिया जाय । यह सिस्टम मालगुजारी का खत्म कर दिया जाय । मान्यवर, जब जमींदार प्रदेश से 22 करोड़ रुपया वसूल करते थे और 7 करोड़ रुपया सरकार को देते थे । आज जब यह सरकार आई तो किसानों से सीधे 22 करोड़ रुपया वसूल होने लगा और अमीन आज उस पैसे को वसूल कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इसमें आधी के करीब वसूली में खर्च हो जाता है । हम तो कहते है कि जैसे बिजली का बिल है, बिल भेज दिया गया और वह आदमी बिल अदा कर देता है । इसी तरह से किसान को कह दिया जाय कि फलां-फलां तारीख को या फलां-फलां तारीख के दर्मियान लगान दे दिया जायगा तो इतनी तुम्हें छूट रहेगी । 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत तुम्हें छूट रहेगी । तो वह उस छूट की लालच में और उसको यह जानकारी भी रहेगी कि फलां महीने में उसे जमा करना है । आपका जो यह वसूली में रुपया चला जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी । आपके अमीन लोग, चपरासी लोग जो लगान वसूल करते हैं इन पर वसूली का बहुत साधन चला जाता है । आपके राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी है । यह राजस्व विभाग कोई उत्पादन का काम नहीं करता है । यह केवल इन्तजाम का ही काम करता है । चटरू का नाम हटा कर मटरू का नाम लिख देते हैं तो इस सारी मशीनरी को नियोजित ढंग से लगाया जाय । जो लोग अनुत्पादक काम कर रहे हैं, केवल कलम घिसने का काम कर रहे हैं, उनको इस विभाग से हटाकर ऐसी जगह लगाया जाय, जहां पर निर्माण का काम हो। लेखपाल और कानूनगो की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सनवाल साहब ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उनका कहना था कि गांव में एक ही सरकारी आदमी रहना चाहिए । आज वहां पर पतरौल भी है, लेखपाल भी है, मंत्री भी है और ग्राम सेवक

[चौधरी राम पाल सिंह यादव]
भी है । यदि नहर कट जाती है तो लेखपाल कहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और अगर किसी का नाम गलत इन्दराज हो गया तो पतरौल कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है । कोई एक दूसरे की बात का जिम्मेदार नहीं समझता है । इसलिये मैं कहता हूं कि गांव में सरकार की ओर से केवल एक आदमी रहे जो आबपाशी, जिसवार, गांव पंचायत की मीटिंग, खाद और बीज बांटने का भी काम करे । इस प्रकार से हर गांव में एक सरकारी आदमी हो रहे । अगर वहां पर 8–8 और 10–10 की फौज रहेगी तो कोई निर्माण का काम नहीं होने वाला है । उनमें कोई तालमेल नहीं होता है ।

बजट के साथ जो अन्य लिट्रेचर बंटा है, उसमें कहा गया है कि गांवों में भूमि समिति बने और उसका सचिव लेखपाल रहेगा । ऐसा सचिव जैसे यहां पर सचिव रहते हैं । अभी तक इस लेखपाल ने कितने-कितने झूठे पट्टे कराये हैं । 1 लाख 88 हजार पट्टे कैन्सिल हो गये तो क्या फायदा है आपको ऐसी समिति बनाने का जिसमें यह लेखपाल सर्वे सर्वा रहेगा । मेरा सुझाव है कि इसके अन्दर ऐसी समितियां बनायी जायं जिनमें जनता के प्रतिनिधि और गांव के हरिजन लोग हों, दस्तकार लोग हों और वे लोग हों जिनको गांवों की समस्याओं का थोड़ा सा भी ज्ञान हो । आज लेखपाल तो बरबाद कर ही रहा है । इन सारी चीजों के बारे में राजस्व विभाग को भी सोचना पड़ेगा और माननीय मंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा । अगर वे चाहते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, जो जमीन का जो उनका अधिनियम है, कानून है, जो अंग्रेजों ने बनाया था और 1 1/2–2 सौ वर्षों से पहले था, वही कानून उनका आज भी चल रहा है, उसमें ये कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा पेवन्द लगाते जा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इनको पूरे तरीके से रेवेन्यू ऐक्ट बदलना चाहिये । इसको नये सिरे से नयी मान्यताओं के आधार पर, नयी समस्याओं के आधार पर, बनाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता––

अब माननीय सदस्यों को इस पर अपने-अपने विचार रखने के लिए 10-10 मिनट का समय होगा ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय राम पाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

अपने भाषण के दरमियान माननीय राम पाल सिंह यादव ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि माननीय राजस्व मंत्री जी थोड़ी हिम्मत के साथ कदम बढ़ा रहे हैं । इसका मतलब यह है कि जो बातें माननीय रामपाल सिंह जी ने कहीं, उनके बावजूद भी वे इस बजट का समर्थन करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री जी की बातों को सही मानते हैं । मैं उनकी इस बात से जरूर सहमत हूं जो लगान माफी हुयी है, छोटे किसानों पर, वह लगान फिर उन पर नहीं लगाना चाहिए ।

मान्यवर, हम इसमें बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन उनसे यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि जो उधर के बैठने वाले भाई हैं, उनसे भी बात करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो छोटे किसान हैं और जिनकी लगान माफी की गयी है वह लगने न पावे । जमींदारी उन्मूलन के बाद प्रदेश में 115 लाख एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में आयी थी, इसमें से 93 लाख एकड़ जमीन ग्राम सभाओं में निहित हुई थी और शेष जमीन वन विभाग को दे दी गयी थी । 93 लाख एकड़ में से 60.44 लाख एकड़ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दे दी गयी थी गांव में और 32.56 लाख एकड़ भूमि आबंटन के लिए दी गयी थी उसमें से 24.49 लाख एकड़ आवंटित की गयी 30 सितम्बर 1972 तक और 8.17 लाख एकड़ जमीन बाकी है गांव में । इसमें से 5.49 लाख एकड़

जमीन कृषि योग्य नहीं है। 1.24 लाख एकड़ जमीन पर अनधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है और 15 लाख एकड़ जमीन विवादग्रस्त है, उसके संबंध में मुकदमे चल रहे हैं। 1.29 लाख एकड़ जमीन कृषि के योग्य है, इसे मान्यवर, बांटना है। इस तरह से आप देखें कि जो जमीन गांव में है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसपर अनधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा हैं।

यह जो श्री मंगलदेव विशारद समिति की रिपोर्ट है इसमें भी कई जगहों पर जिलेवार ये आंकड़े दिये गये हैं कि किस जिले में कितनी जमीनें अनधिकृत रूप से कब्जे में लोगों के हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कठोर कदम उठाये और जिन भी व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनसे कड़ाई क साथ जमीनें सरकार निकाले। कागज में तो मान्यवर, वह बंजर है, पड़ती है, लेकिन मौके पर यदि गांव में जाकर देखा जाय तो कहीं भी कोई जमीन खाली पड़ी हुई नहीं है। जो लोग दबंग टाइप के हैं उन्होंने ज्यादातर कब्जा कर रखा है और इसके विषय में समिति की रिपोर्ट में उन्होंने पृष्ठ 82 पर सुझाव दिया है कि किस तरह से कितनी कड़ाई की जाय ऐसे अपराध की कागनिजेबिल अपराध की श्रेणी में रखा जाय। ऐसी व्यवस्था की जाय कि केवल अनधिकृत रूप से कब्जा करने के आधार पर ही फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सके तभी अनधिकृत रूप से कब्जा लेने की प्रथा खत्म होगी और ऐसा करने वाले को 3 वर्ष तक कठोर कारावास का दंड तथा एक हजार रुपया जुर्माना होना चाहिए। यह चोरी के रूप में जो लोग अमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करें समझना चाहिये तभी ये जो अनधिकृत से लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वह बन्द हो सकते हैं।

इस संबंध में कहीं-कहीं पर किसानों के चकों के बीच में आधा एकड़ जमीन और मिल गयी है तो उनका इन्तजाम कर दिया जाय और 3 1/8 एकड़ जमीन और किसी गरीब किसानकी कुल मिलाकर होती है तो मेरा सुझाव है कि उस जमीन का इन्तजाम ऐसे छोटे किसानों के साथ कर दिया जाय। लेकिन जो बड़े-बड़े किसान हैं उन्होंने जो कब्जा कर रखा है वह उनसे निकाली जाय। नैनीताल में ऐसी 52 हजार एकड़ जमीन पर अनधिकृत रूप से बड़े किसानों ने कब्जा कर रखा है और मिर्जापुर में ऐसी 42 हजार एकड़ पर कर रखा है। इस संबंध में कठोर कदम उठाने को आवश्यकता है जिससे वह जमीन खाली करायी जा सके।

सरकार ने आवास स्थल के लिये अभी पिछले सालों में बड़े जरूरी कदम उठाये हैं। उसमें कुछ जमीनें दी गयी हैं लेकिन इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि कब्जे ज्यादातर जो दिये गये हैं, जो आवास स्थल आवंटित किये गये हैं वे कागजात में तो जमीन खाली है पर मौके पर खाली नहीं है। मौके पर जब वह जाता है जिसको जमीन आवंटित की गयी है तो कुछ लोग उस पर 229 (बी) का मुकदमा दायर कर देते हैं कि इस जमीन पर तो हमारा कब्जा है। अब वह दो-दो साल तक मुकदमा लड़ रहा है। इसमें जितना पैसा उसका खर्च होता है अगर वह चाहे तो उससे जमीन स्वयं खरीद सकता है। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि इस तरह की जमीनों पर अगर कोई मुकदमा चलता है तो उसकी पैरवी सरकार करे जिस व्यक्ति को जमीन आवंटित की गयी हो उसको वह तुरन्त कब्जा दिला दे और वहीं उसको इन्तखाब दिला दिया जाय। बहुत से मामले ऐसे हैं कि कागज में तो बहुत सी जमीन आवंटित की गयी है लेकिन वह उपयुक्त स्थान पर नहीं दी गयी है। इसीलिये उनकी आबादी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। आज भी बहुत सी जगहों पर बाग में बसे हुए हैं खासतौर से हरिजन। लेकिन वह जमीन आबादी की दर्ज नहीं है। वह दर्ज होती है जिस व्यक्ति का क भी बाग रहा होग और जो आज नहीं है उसी के बाग के नाम से। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत तुरन्त ही इस तरह की जमीन का अर्जन करके, जमीन के मालिक को कुछ पैसा देकर, जो हरिजन और गरीब लोग वहां आबाद हैं उनको जमीन दी जाय।

[श्री माता प्रसाद]

इसके अलावा मालगुजारी का निर्धारण नये सिरे से होना चाहिये क्योंकि देखने में यह आया है कि जो पहले के बड़े-बड़े व्यक्ति या जमींदार थे उन्होंने कम मालगुजारी लगवायी और छोटे किसानों की जमीनों का रेट ज्यादा । अभी हमारे साथी राम सुन्दर जी ने बताया कि आजमगढ़ जिले में मगुबन गांव में जहां जमीन बहुत अच्छी है वहां साढ़े तीन और चार रुपये का रेट है और उसी जिले के मझौआ ग्राम की जमीन जो बहुत खराब है और बलुही है उसका रेट साढ़े 13 रुपये एकड़ है । नये सिरे से पूरी जमीन का वर्गीकरण करके सरकार को लगान तय करना चाहिये । इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी भूमि सुधार क कार्य हो रहे हैं वह वहां लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार के द्वारा कराये जाते हैं जिनके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा काम है । अगर इसके लिये अलग से स्पेशल स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गयी तो जितनी हमारी भूमि सुधार की योजनायें चल रही हैं वह सफल नहीं होंगी ।

इसके अलावा जहां पहले चकबन्दी हुई थी 1954 में, जैसे शाहगंज में हमारे यहां हुई थी और भी बहुत सी जगहों में हुई थी, वह बहुत ही खराब हुई थी क्योंकि शुरू के कानूनों में बहुत गलतियां रह गयी थीं । इसलिये फिर से सब जगह चकबन्दी करायी जाय ।

इसके अलावा 229(बी) के मुकदमों, वर्ग 4 और वर्ग 9 के मुकदमों से साधारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है । गांव के बड़े-बड़े लोग ही उस जमीन का फायदा उठा लेते हैं और छोटे किसानों को वह नहीं मिल पाता है । इसी तरह से वर्ग 9 और वर्ग 4 की बात भी है । इससे छोटे किसान बहुत परेशान रहते हैं । जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा 198 में परिवर्तन कर किसानों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में श्री मंगलदेव विशारद की जो रिपोर्ट है, उसकी सिफारिशों पर विचार करना चाहिये और उसमें वरीयता सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये हैं उसको सरकार को मान लेना चाहिये ।

अन्त में, मैं जौनपुर जिले के कुछ ग्रामों में जहां हरिजनों की आबादी वर्षों से आबाद है, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के ग्राम मदारीपुर, गंगौली, भदरहा मड़ियाहूं के खुदरीचक, इस्लामगंज, जौनपुर तहसील के पमेरदहा चक, मछली शहर के ग्राम करियांव में हरिजनों की आबादी दर्ज करने की ओर सरकार ध्यान दे क्योंकि वहां हरिजन कई वर्षों से लगातार रहते चले आ रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राम सेवक यादव---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय राजस्व-मन्त्री से उम्मीद करता हूं कि वे जब जवाब देंगे तो मेरे सवालों का उत्तर भी देंगे । ऐसी मैं मन्त्री जी से आशा करता हूं क्योंकि यह बहस जमीन की है और मन्त्री जी जमीन के ही आदमी हैं, लेकिन इन दिनों कुछ बुझे हुए से लगते हैं ।

मैं उनके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं । प्रश्न नीति और नीयत का है । नीति आपकी जमीन बांटने की जरूर है, मगर नीयत नहीं है और जब नीति और नियत में टकराव हो जाता है तो फिर खराब स्थिति सामने आ जाती है । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय का जो सम्बोधन है उसमें बताया गया है कि 1960 में जो जोत सीमा निर्धारित हुई उसके अनुसार 1 लाख 18 हजार एकड़ जमीन मिली, लेकिन राजस्व विभाग का जो अब विवरण मिला है उसमें बताया गया है कि 1 लाख 17 हजार 348 एकड़ जमीन मिलेगी, इस तरह से 750 एकड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमीन निकल गयी । कौन सा आंकड़ा सही है । अगर यही रफ्तार रही तो पता नहीं यह घटते-घटते कहां पहुंच जाय । सन् 60 के कानून के मुताबिक जो जमीन आपको एक लाख 18 हजार एकड़ मिली, वह मैं समझता हूं कि कागज पर ही होगी । यह सही आंकड़े नहीं होंगे । जमींदारी विनाश का जब कानून बना था अगर आपकी नीयत जमीन बांटने की होती तो तब से अब तक हरिजनों को जमीन मिल गयी होती । मगर इस सरकार की तो पीनक की तरह नशा होता है । पहले सन् 52 में पीनक आया, उसके बाद कई बार आया . . . (व्यवधान) आपकी दावत है, आप आ जाइये । (व्यवधान)

सन् 52 के बाद फिर सन् 60 में आपको पीनक आयी कि जमीन को बांटना चाहिये । जमीन तो नहीं बांटी गयी पर इसी चीज में जमींदारी उन्मूलन में जमीन लोगों ने बांट ली और फिर इसके बाद कन्सालीडेशन (चकबन्दी) में जमीन लोगों को वितरित हो गयी। सन् 60 के बाद फिर 12 बरस बाद में आपको पीनक आयी कि जमीन को जिनके पास जमीन नहीं है उनमें बांटना चाहिये, इस बात का विचार हुआ । मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं मैं तो नीति और नियत की बात कर रहा हूं । मैं तो कहता हूं कि यदि आपकी नियत आपके प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म क्या बने हुये हैं, कैसे बने हुये हैं । क्या आप जांच करायेंगे ? आप किस अधिकारी द्वारा करायेंगे । और कैसे आपके यह 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, के फार्म बने हुये हैं । जब कि सन् 60 के कानून के तहत भी यह नहीं रह सकते और सन् 72 के कानून के मुताबिक यह तो हरगिज रह ही नहीं सकते । आप जांच कराके इनको रवान कर दीजिये । आप बिला वजह लोगों को स्वप्न जाल में, सुन्दर भविष्य की कल्पना में जीवित रखन का प्रयास कर रह हैं । और मैं तो साफ कहता हूं कि जमीन मिलने वाली नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी सीलिंग के जरिये जमीन मिलने वाली नहीं है । यदि आप चाहते हैं कि जमीन मिले तो आप स्वयं जाकर जांच करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है । लखनऊ से ही आप जांच शुरू करें । अगर इधर के लोगों में जमीन मिले तो आप इन्हें पकड़ें और आपके मंत्रिमंडल में जिनके पास मिले, तो आप इसकी शुरुआत करें । तभी मैं यह कहूंगा कि आपकी नीति भी है और नियत भी है । मान्यवर, मैं छोटी सी बात और कहता हूं कि यह जो फार्मस हैं, यह जमीन किसके पास है क्या वह हमारे गरीब किसान के पास है, भूमिहीन मजदूर के पास है । जमीन आज प्रदेश की जा रही है बड़े अफसरों के पास, आपके प्रदेश की जमीन जा रही हैं बड़े-बड़े सेठों के पास । आपके प्रदेश की जमीन जा रही है राजनैतिक नेताओं के हाथ म । इन्हीं तीन लोगों क हाथों म जमीन की यह भागदौड़ मची है और अगर इस बात को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइये, आप इसका तात्कालिक सबूत चाहते है तो आप लखनऊ के चारों तरफ 12–15 मील सड़कों पर चले जाइये । आप सर्वेक्षण करें तो आपको मालूम होगा कि यह जमीनें किसकी हैं । यह तो लहलहाती फसलें आपको मिलेंगी वह किसकी मेहनत का नतीजा है । यह फसलें आपके अधिकारियों ने नहीं, सेठों ने नहीं बल्कि उसी गरीब किसान, खेतिहर मजदूर की खून–पसीने की मेहनत का फल है । तो अधिष्ठाता महोदय, आजादी के बाद आज भी जमीनों का सही इंतजाम नहीं हुआ है । और सरकारी जमीन का इंतजाम बिगड़ा है । अगर आप चाहते तो देख सकते ह कि यह जमीनें कसे गरीब किसानों के हाथ से निकल कर आपक बड़े-बड़े अधिकारियों के, पुलिस अफसरों के सेक्रेटरियों क, सुपरिटेंडट इन्जीनियरों क, मंत्रियों के हाथ में आती ह । आप बाराबंकी या कानपुर रोड पर चले जाइये, वाराणसी रोड पर चल जाइये आपको पता चल जायगा कि यह बड़े-बड़े फार्म्स किसके ह । शहरों की जमीनों की बात में नहीं करता, यहां जमीनों का और भी बुरा हाल होगा ।

[श्री राम सेवक यादव]

दूसरी बात जोत बही की करता हूं। जोत बही का क्या मकसद है। इसका मकसद है कि गरीब, साधारण अनपढ़ किसान आपके लेखपालों, तहसीलदारों का शिकार बने। अधिष्ठाता महोदय, मैं विनम्र निवेदन करते हुये एक जबर्दस्त भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम सेवक यादव—

श्रीमन्, 2–3 मिनट और भी दे दें। अधिष्ठाता महोदय, मैं जोत बही के बारे में बताना चाहता हूं कि आज सबको जोत बही नहीं दी जा रही है। यह काम क्यों ढीला पड़ा हुआ है? यह काम इसलिये ढीला पड़ा हुआ है कि जोत बही के अभाव में किसान को लेखपाल के पास जाना पड़ता है और उसे रिश्वत देना पड़ती है। जोत बही में इन्द्राज सही नहीं होते हैं। ऐसा न होने से 145 के मुकदमे दर्ज करवाते हैं और इस तरह से लेखपाल फायदा उठाते हैं। इसी प्रकार जोत बही में उत्तराधिकार के गलत इन्द्राज होते हैं। एक गांव में जमीन का सीरदार कोई दूसरा आदमी है और उत्तराधिकारी दूसरा आदमी है। इस तरह लेखपाल गलत इन्द्राज करके उत्तराधिकार के फायदे उठाता है। इसे दफा 9 के अन्तर्गत इन्द्राज करते हैं। सरकार को चाहिये कि लैन्ड ऐक्ट में नरमीम करे।

अब मैं मौजूदा कानून के बारे में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप टेंनेंसी ऐक्ट को पढ़ें, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट को पढ़ें, कन्सालीडेशन ऐक्ट को पढ़ें, तो इन सब में कितनी कम है और उन कमियों के कारण झगड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी कानूनों में फिर से नये ढंग से नरमीम करें जिससे जमीरदारों के दीवानी, फौजदारी, आदि अदालतों के झगड़े दूर हो सकें। इसी प्रकार जो झगड़े बेदखली तथा माल रेवेन्यू के हैं उनको तहसीलदार व कलेक्टर से लेकर मुंसिफ तथा मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिये जायं जो एक साथ इन झगड़ों का निपटारा कर सकें। इन कानूनों को आपको बनाना चाहिये जिससे किसानों की सेवा हो सके। लेकिन आज कहीं नहीं होता है। आपक पास आफिसर नहीं हैं। रिटायर आदमी का आप बैठाते हैं। एक रिटायर आदमी जाने के बाद दूसरा रिटायर आफिसर को बिठा देते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तहसीलों में तकावी तथा बाढ़ का मामला है, ग्राम समाज की जमीन का मामला है। सभी में गलत काम हो रहे हैं। आबादी की जमीन चाहे हो या चकरोड की जमीन हो सभी जगह गांव में प्रधान या प्रधान की साजिश से दूसरा व्यक्ति अथवा गांव के लठैत लोग जबर्दस्ती अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं। पूरे सूबे में चक रोडों पर नाजायज कब्जा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि तहसील फतेहपर में कोढवा गांव में हमारे एस0 डी0 एम0 के स्तर पर एक मामला पड़ा ह जिसमें चक रोड नहीं बना और झगड़ा हो गया। य सारे मामले आपकी असफलता और भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। आपने दैवी आपदाओं और सूखा तथा बाढ़ में धनराशि सहायता के रूप में रखी है। अच्छी खासी रकम उन लागों की गई थी तकावी के लिये, लकिन वह तकावी की रकम की खूब लूट हुई। मैं तो मंत्री जी को चुनौती दना चाहता हूं कि आप अपनी पसन्द को सूबे में कोई तहसील ले लें और वहां इस बात की जांच करावें कि तकावी के धन का वितरण किस तरह से हुआ है। और अगर उस तहसील में सब ठीक नजर आ जाय तो म मान लूंगा कि आपके प्रशासन में कोई बइमानी नहीं हुई है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कौन सी तहसील ली जाय। आप नाम बतायें।

श्री राम सेवक यादव–

यह मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहें तो रामसनेही घाट ले लें, नवाबगंज ले लें। यह आप तय कर लें। जिस प्रकार मरने के बाद महापात्र आते हैं उसी प्रकार के अधिकारी हैं आपके, उनकी मनोवृत्ति वैसी हो गई है। वह तो मनाते हैं कि बाढ़ और सूखा आवे ताकि उस रकम को हड़पने का उनको मौका लगे। यह है आपके महापात्रों की मनोवृत्ति।

मान्यवर, एक भ्रष्टाचार का मामला और रखूंगा आपके जरिये माननीय मंत्री जी के सामने। बड़ा विचित्र हाल है। तहसील में स्टाम्प लगाये जाते हैं। जो स्टाम्प इस्तेमाल हो जाते हैं उनको फिर से बेच दिया जाता है। इस तरह से रेवेन्यू का लास किया जा रहा है। यह सन् 1965 का मामला है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

क्या आप सन् 1965 में एम0 एल0 ए0 थे ?

श्री राम सेवक यादव––

यह तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एम0 एल0 ए0 था या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। इसकी जब जानकारी दी गई तब इसमें जांच-पड़ताल हुई। इसमें हजारों रुपयों के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। एक कर्मचारी है श्री बजनाथ श्रीवास्तव उसने इस प्रकार की सूचना दी। कानून यह है कि जो इस प्रकार की सूचना दे उसे इनाम मिले, लेकिन उल्टा हुआ। उस व्यक्ति की 17 साल पुरानी नौकरी को खतम कर दिया गया और जो अफसर जिम्मेदार था उसे ऊंचा पद मिला।

एक और सुन लीजिये। वह आपके शासनकाल का ही है। अधिष्ठाता महोदय, इसे मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। इसमें बहुत बड़े अफसर का मामला है। यह 15 सितम्बर, 1971 के अखबार में निकला है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

मैं 71 में राजस्व मंत्री नहीं था।

श्री राम सेवक यादव––

आप ही रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अखबार में निकला था कि "वर्तमान चकबन्दी आयुक्त श्री मोहम्मद जहीर ने सैकड़ों बीघा भूमि चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को अनुचित सहायता स प्राप्त कर ली है"। इसका एक उदाहरण ग्राम गुगौ, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में देखन को मिला जिसमें ग्राम समाज को लगभग नत्बे बीघा भूमि का पट्टा उन्होंने ग्राम प्रधान से अनुचित और अवधानिक रूप से लिखा लिया और बाद में सीलिंग कानून से बचने के लिये उस भूमि का बहुत सा क्षेत्रफल उन्होंने पुत्र, पत्नी, पुत्रियों तथा बहुओं आदि क नाम लिखा दिया। चकबन्दी कार्यवाही में कुछ भूमि खलिहान और चरागाह आदि के लिये छोड़ दी गई थी उसको स्वयं लेकर अपनी खराब भूमि उन्होंने चरागाह आदि के लिये चकबन्दी अधिकारियों की मदद से छोड़वा दी। यह भी ज्ञात हुआ है कि सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारियों की पदोन्नति भी कर दी गई। जो सी0 ओ0 था वह एस0 ओ0 सी0 और जो एस0ओ0सी0 था वह डिप्टी डाइरेक्टर और जो कमिश्नर थ वह आज कल मेम्बर बोड आफ रेवेन्यू हैं।

[श्री राम सेवक यादव]

मैं, मान्यवर, डरता हूं कि कहीं किसी मामले को उठाया जाय तो कहीं ऐसा न हो कि सम्बन्धित अधिकारियों को तरक्की मिल जाय। जब आयुक्त ट्रांसफर हुए तो जो दस्तावेज थे उनको मंगवाया गया। तो वह बस्ता भी गायब है और जो फैसले हुए स्थानान्तरण के वह गलत। यह सब फैसले हमारे पास मौजूद हैं। मंत्री जी भी जानत ह और बार एसोसियेशन में आश्वासन भी दिया था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
किस साल का है।

श्री रामसेवक यादव—
उस समय जहीर साहब आयुक्त थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
तब न आप एम0 एल0 ए0 थे और न मैं था।

श्री रामसेवक यादव—
17-4-71 का है। आप बार एसोसिएशन में गये और आश्वासन दिया था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
मैं 8 नवम्बर, 1973 को राजस्व मंत्री बना हूं।

श्री रामसेवक यादव—
आप 71 में मंत्री थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
आबकारी मंत्री था। आप गलत इंफारमेशन दे रहे हैं। मैं राजस्व मंत्री नहीं था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय रामसेवक यादव जी रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित गड़बड़ी की बात कर रहे हैं चाहे वह 73 की हो या 74 की हो। चाहे यह मिनिस्टर रहे हों या न रहे हों। सवाल माल विभाग का है। इसमें यह प्रश्न नहीं आता कि आप सदस्य नहीं रहे और मैं मंत्री नहीं रहा। मंत्री जी बार-बार उठ कर टोक रहे हैं तो यह गलत और अवैधानिक है। यादव जी तो माल विभाग की शिकायत रख रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
आप झूठा भाषण देते हैं कि मैं राजस्व मंत्री था।

श्री राम सेवक यादव—
हम झूठा भाषण दे रहे हैं तो यह कहना अगर उनको शोभा देता है तो उनको मुबारक। लेकिन आप मंत्री थे और आप वहां गये और लोगों ने आप से बात की। मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। आप स्वयं राजस्व मंत्री हैं। आज हम आपके सामने रख रहे हैं कि आपक चकबन्दी आयुक्त ने गड़बड़ी की, एस0 ओ0 सी0 ने गड़ बड़ी की।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—
एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने आवेश में आकर कहा कि आप झूठा भाषण कर रहे हैं। आप जानत हैं कि संसद में झूठा शब्द का प्रयोग किस सन्दर्भ में होता है असंसदीय घोषित हुआ है। शब्द "गलत" कह सकत थे लेकिन "झूठा" शब्द कैसे कहा।

श्री रामसेवक यादव—

मुझे कोई एतराज नहीं है । इसको रहने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने केवल 'तथ्यों को सत्य से परे हैं' झूठा कहा है, माननीय सदस्य को झूठा नहीं कहा है । यह कहने का अधिकार उनको है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब मैंने कहा कि सन् 71 में मैं राजस्व मंत्री नहीं था तो आपने कहा कि आप ही राजस्व मंत्री थे, और आपको यह प्रतिवेदन दिया गया । मैं उस समय आबकारी मंत्री था । राजस्व मंत्री नहीं था । बाद में जाने का सवाल नहीं उठता । यह ठीक है कि कलेक्टिव रेसपोन्सीबिलिटी है । राजस्व विभाग संभालने के बाद अगर आप मामला दिये होते तो मैं स्पष्टीकरण कर देता और कार्यवाही भी कर देता ।

श्री राम सेवक यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी की या हमारी जानकारी गलत हो सकती है । उसमें विवाद नहीं करते । हमारा मतलब तथ्यों से है । आप आबकारी मंत्री के रूप में गये, लोगों से मिले । आपने क्या कार्यवाही की, मैं नहीं जानता । लेकिन नतीजा उसमें क्या हुआ ? जहीर साहब परिषद् के सदस्य हैं और दूसरे अधिकारियों की भी तरक्की हुई है ।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान का लेखा-जोखा रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । आज देश और प्रदेश में जमीन के प्रश्न को लेकर एक भारी क्रान्ति और आशंका दिखाई दे रही है । मैं सारी जमीन के राष्ट्रीयकरण करने का समर्थक हूं लेकिन अभी ऐसा दिन आने में देर लगेगी । लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में वह नये ढंग से रचनात्मक कार्य करें । कभी पटवारी के ट्रांसफर या कभी तहसीलदार के ट्रांसफर से काम नहीं होने वाला । अभी माननीय रामसेवक यादव जी ने जहीर साहब का प्रश्न सामने रखा । इस तरह के अनेकों सवाल दश में और प्रदश में हैं । हमें एक क्रान्तिकारी कदम उठाना है । जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में कहा था हमें जमीन का नया बन्दोवस्त करना है । जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वह केवल राजस्व विभाग में है और अन्य विभागों में नहीं है, ऐसी बात नहीं है । चाहे राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, प्रशासन विभाग हो, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करें, इसके लिये हमें क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा । नये संविधान की रचना के बारे में विचार करना होगा । 25 सालों में हमारा देश आगे बढ़ा है, या पीछे ? मैं तो कहना चाहता हूं कि कुछ पूंजीपति हमार देश को निगल रहे हैं । देश की नौकरशाही गरीबों का शोषण कर रही है । सन् 52 में जब मैं यहां चुन कर आया था उस समय के विरोधी दल के थोड़े से सदस्य रह गये हैं । कभी हम इधर बैठते हैं और कभी वे इधर बैठते हैं । त्रिभुवन सिंह की सरकार आई और फिर चौधरी साहब की सरकार आयी । हमें सोचना तो यह है कि किस प्रकार से हम, इस समाज के रोग को समाप्त कर सकते हैं । हम जिलाधिकारियों के ट्रांसफर से या दूसरे अफसरों के ट्रांसफर से इसको नहीं हटा सकते । जिस तरह से विज्ञान में हम अणु बम बना कर तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह से समाजीकरण में भी हमें क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा । इसलिये मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि उनको यह नया मौका मिला है कि वह राजस्व विभाग में क्रान्तिकारी कदम उठायें, बन्दोबस्त

[श्री प्रभुदयाल]

के लिये नये फैसले करें। अगर वह ऐसा नहीं करते, तो क्रान्ति की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, उसको रोक नहीं सकते, गांवों में जो आग भड़क रही है, उसको शान्त नहीं कर सकते। गरीबों की आवाज को न पुलिस दबा सकती है, और न फौज। क्रान्ति देश देश में आ रही है। उसको सारे नेता मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि इस देश में जो जमीन पर हल चलाये उसी की जमीन होनी चाहिये। आप देखें जो जमीन नहीं जोतता है उसके पास हजारों, सैकड़ों एकड़ जमीन है। बन्दोबस्त के जरिये आप उसे रोक सकते हैं। अगर बन्दोबस्त आप नहीं करते हैं तो आप सारे देश को धोखा देंगे। राजस्व मंत्री से मैं अपील करूंगा कि नये ढंग से वह बन्दोवस्त करें तभी गरीबों के साथ न्याय हो सकता है।

कहा जाता है कि गरीबों पर टैक्स लगाया जायगा तो हंगामा हो जायगा। मैं बतला दूं कि गरीब टैक्स देने को तैयार है। आप सवा 6 एकड़ पर भी लगान लगाइये और वोटों का बखेड़ा भी नहीं होगा। रूस में भी बड़े टैक्स किसान को देने पड़े थे, फटे कपड़े पहनने पड़े और मुसीबत के दिन देखने पड़े। आप गरीबी का नारा देकर लगान माफ करते हैं तो रुपया आयेगा कहां से? हर किसान आज लगान देने को तैयार है। लगान दो पैसा होता है। उसके न लेने से गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी मिटेगी पानी देने से, शिक्षा देने से, न्याय देने से। आज किसान जो थोड़ा बहुत कमाता है उसे सरकार छीन लेती है, सरमायेदार छीन लेता है। उन रास्तों को खत्म करना होगा जिनसे रोटी छीन ली जाती है। मैं शोहरतगढ़ से आया हूं जो नैपालगंज की सरहद पर है। मेरे क्षेत्र में ढबरुआ में ग्राम जमधरा है। वहां दो किसान गोली से भून दिये गये। हजारों किसान खेत वहां जोतते हैं लेकिन उनके नाम से जमीन नहीं होती। पट्टे पर जमीन उनको मिली होती है। बटाई पर जो खेत हैं उसे जब्त करके पट्टेदार को मौरूसी हक उस पर मिल जाना चाहिये। राजस्व मंत्री को तेजी से इस ओर कदम उठाना चाहिये। विरोधी दल भी इसका समर्थन करेगा कि जो पट्टेदार हैं उसे मौरूसी हक मिलना चाहिये। लखनऊ में बैठ कर बटाई पर खेत दिये जाते रहे, बाग लगवाये जाते रहे तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। सवा 6 एकड़ पर लगान माफी से कुछ नहीं होगा। किसान चाहता है न्याय और उसका नाम उसके खेत पर हो, जो मेहनत करे उसी की जमीन हो।

चकबन्दी में जहां भ्रष्टाचार है वहां उससे कुछ सुधार भी हुआ है, किसान को फायदा भी हुआ है। यह एक क्रान्तिकारी कदम था। छोटे किसानों की जमीन जो बिखरी पड़ी थी वह यकजा हुई और उससे उसे फायदा हुआ। सरकार ने एक नई दिशा की ओर ऐसा करके कदम उठाया है। मैं आपका ध्वान आकर्षित करूंगा पुनः यह निवेदन करते हुए कि जमीन का नया बन्दोवस्त हो तभी इस प्रदेश का भला होगा, किसानों, गरीबों तथा हरिजनों का भला होगा।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, यह अनुदान जो आज सदन में पेश किया गया है उस पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह अनुदान बहुत महत्वपूर्ण है और सारे प्रदेश की जनता इससे सम्बन्धित है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण यह विभाग है उतना ही उपेक्षित भी है। इस सारे विभाग की जड़ में एक छोटा कर्मचारी है जिसको लेखपाल के नाम से जाना जाता है जिसकी एक एन्ट्री पर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे फैसले होते हैं। लेखपाल की ही एन्ट्री की विवेचना तहसीलदार और एस0 डी0 ओ0 मुकदमें में करते हैं। पूरा रेवेन्यू बोर्ड उसकी एन्ट्री पर ही निर्भर करता है और सारे विभाग का स्ट्रक्चर उसी पर आधारित है अतः मेरा सुझाव है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यह बहुत पुरानी व्यवस्था हो गई है। अतः इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। तब तक विशेष न्याय किसी को मिलने वाला नहीं है। इस कर्मचारी के फैसले पर ही सारा विभाग निर्भर रहता है और जब यह Entry गलत साबित हो जाती है तो उसके लिये सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है सिवाय इसके कि 218 रेवेन्यू ऐक्ट के तहत उस पर मुकदमा

चलाया जाय। वह भी आज तक किसी पर दावा नहीं हुआ है किसी को सजा नहीं दी गई है। हाई कोर्ट तक उसी की एन्ट्री जाती है जिसके गलत होने पर अन्याय भी हो सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि हम इस व्यवस्था को बदलें।

चौधरी साहब ने पटवारियों की जगह को तोड़कर लेखपाल बना दिये। केवल नाम ही बदला काम वही है। वर्किंग सिस्टम में कोई अन्तर नहीं आया। साथ ही इन लेखपालों को इस काम के अलावा फेमिली प्लानिंग तथा स्माल सेविंग्स का काम भी दे दिया गया। यहीं से भ्रष्टाचार की जड़ शुरू होती है। मेरे जिले में यही हाल है और मैं समझता हूं कि अन्य जिलों में भी यही स्थिति होगा। जिलों में यह होता है कि स्माल सेविंग्स और State loans का कोटा जिलेवार बांट दिया जाता है। जिले से तहसीलों में कोटा बांट दिया जाता है और उसके बाद लेखपाल को सर्किल वाइज यह काम दे दिया जाता है। इस State loans की स्कीम में बड़े-बड़े पूंजीपतियों से धन जमा कराया जाता है। जो अधिक commission के लेकर cheque द्वारा धन जमा करते हैं। लेखपाल के लिये एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और वह इधर-उधर से इन्तजाम करके उस commission को अदा करके अपना कोटा पूरा करता है। उसके वेतन से 2 सौ 3 सौ रुपया इसी commission निमित्त तहसील पर काट लिया जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कह दिया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जायेगा। इसके साथ ही फेमिली प्लानिंग का कार्य भी वह देखता है। उससे कहा जाता है कि तुमको इतनी नसबन्दी करानी पड़ेगी। वह बेचारा आदमियों को ढूंढ़ता ह और अपने पास से 100–100 रुपये देकर लोगों को राजी करवा कर उनकी नसबन्दी करवाता है। तब उसकी जान छूटती है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई शिकायत का मौका उसे नहीं।

अतः मेरा सुझाव है कि इस पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय और रेवेन्यू ऐक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब अधिकारी लोग उसके सर्किल का दौरा करते हैं एस0 डी0 ओ0 या डी0 एम0 वहां मौके पर जाते हैं तो वे उन सभी की खातिरदारी उसे करनी पड़ती है। अधिकारी का खाना वगैरह मान लिया घर से आता हो किन्तु फिर भी जो उसके साथ स्टेनों और गार्ड आदि लोग होते हैं उनके लिये भोजन आदि की व्यवस्था उसी लेखपाल को करनी पड़ती है। यह प्रथा अंग्रेजों के राज से चली आ रही है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। सारा रोना आज इसी बात का है। तो जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा कोई लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन आदि में जो इतने रुपये का खर्च दिखाया गया है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है कि एक तहसीलदार के अन्डर में 3/4 नायब-तहसीलदार होते हैं जो कि कलेक्शन का काम देखते हैं तथा तहसीलदार के ऊपर एस0 डी0 ओ0 होते हैं उनकी संख्या कम की जाय। दो-दो आफीसरों की क्या जरूरत है। इन पर वेतन आदि में जो खर्च करना पड़ता है उसकी बचत हो सकती है। और जनता जो तरह तरह के अफसरों के चक्कर में फंसी रहती है, उससे उसे छुटकारा मिल सकता ह। तहसीलों में जो भ्रष्टाचार ह, उसके बारे में जैसा पूर्ववक्ता ने कहा कि मंत्री जी उसको बहुत सख्ती से दबाने की चष्टा कर रहे ह, उसक लिय मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लकिन निवेदन यह ह कि इसे लोह क हाथ से जब तक नहीं दबाया जायगा, तब तक ठीक नहीं होगा।

म्यूटेशन के जो केसेज होते हैं, उसमें आज ग्रामीणों को रुपया देना पड़ता है। मेरे जिले में इसका रेट 18 रुपया है, जो 18 रुपये न द उसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है। यदि

[श्री वीर सिंह सेंगर]

कोई बिना 18 रुपया दिये म्युटेशन कराना चाहे तो उसके केस पर तरह तरह के नुक्ते लगा दिये जाएंगे । कहा जाता है under valution है । अगर म्युटेशन कांटेस्टेड है, तब तो उनके पौ बारह ही हो जाते हैं, उस स्थिति में जो ज्यादा भुगतान कर सकता है वही जीतता है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि म्यूटेशन केसेज में समरी ट्रायल नहीं, फुल ट्रायल होना चाहिए । साथ ही यह प्राविजन कर दें कि यदि किसी काश्तकार को यह आशंका हो जाए कि इसको यहां से न्याय नहीं मिलने वाला है तो वह सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और वहां से वह म्युटेशन करा ले । भले ही इसके लिए सरकार यदि चाहे तो कोई फीस प्रेस्क्राईब्ड कर दे । उसको अधिकार होना चाहिए कि किसी stage में वह चाहे तो वहां से अपना केस हटवा कर सिविल कोर्ट से करा ले, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इससे भूमि व्यवस्था में भी सुधार की पर्याप्त सम्भावना है ।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि रेवेन्य का एक अंश गांव सभाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि धनाभाव के कारण गांव पंचायतों की हालत बहुत ही शोचनीय है । हालत यहां तक खराब है कि वे अपने पंचायत मंत्रियों का वेतन तक भी नहीं दे पाती हैं । तो आप कुछ मुकर्रर कर दीजिए कि उसका एक सरटेन परसेन्टेज उस ग्राम समाज में उसके विकास के लिए खर्च किया जायगा, जिससे वहां पर नाले परनाले आदि के निर्माण का कार्य हो सके । इससे गांव पंचायतों को भी पता चल जाएगा कि हमारी इतनी आमदनी है, और उससे वे अपने लिए एक निश्चित विकास का कार्यक्रम बना सकेंगी ।

पंचायत टैक्स की वसूली का जहां तक संबंध है, वह भी रेवेन्यु डिपार्टमेंट करे, भले ही वह अपने व्यय का हिस्सा उसमें से काट ले । क्योंकि पंचायत टैक्स पंचायत के प्रधान वसूल नहीं कर पाते हैं । आज जाने कितना पैसा पंचायतों का एरियर में पड़ा है । पंचायत टक्स वसूलने के लिए न उनके पास समय होता है और न उनको कोई देता है ।

बुन्देलखण्ड में तरह तरह के तालाब हैं । कुछ पंचायतों ने उनको नीलाम कर दिया है, लेकिन अधिकांश पंचायतें धार्मिक कारणों या अन्य कारणों से नीलामी नहीं करती हैं । कुछ कुछ लोग खुद और जबरदस्ती उनकी मछली मरवाया करते हैं और उनसे हजारों रुपये की आमदनी करते हैं । इससे सरकार की और गांव पंचायतों की हजारों रुपये की आमदनी मारी जाती है । मेरा कहना है कि तहसीलदार उनकी लिस्ट बना लें—और उन सभी को नीलाम कर दिया करें, जैसे वे नदियों से मछली पकड़ने का नीलाम करते ह । तालाबों की मछलियां नियमित रूप से नीलाम हों, इससे गांव पंचायतों की आदमनी बढ़ जाएगी ।

हम देखते हैं कि भूमिहीनों, हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों को भूमि का बंटवारा सही नहीं हो पाता, उसी को भूमि मिल पाती है जो रुपये खर्च कर पाता है । यह शिकायत सभी की रही है । इस संबंध में मेरा सुझाव ह कि इसके लिए हर तहसील में एक कमेटी बना दी जाए जिसमें 1–2 नान आफिशियल रख दिए जाएं । उसमें जिला परिषद् के मेम्बर, ब्लाक प्रमुख' विधायक आदि रहें रेवेयु अफसर भी उसमें रहें, वह कमेटी भूमि के आबंटन का काम करे, जिससे केवल रेवे अधिकारियों के रिपोर्ट पर फैसला न होने पाये । हमारे क्षेत्र में दों गांव हैं, पहला शहीदनगर तहसील कालपी, जिला जालौन यहाँ की ग्राम समाज की जमीन लेखपाल और प्रधान ने मिलकर हड़प ली है और इसमें एक विधायक का लड़का भी शामिल है, ग्राम भेंडी और रकीना में पट्टों में इसमें 10/10 हजार रुपया लेखपाल और कानूनगो ने पैदा, किया है पट्टा करने में । मंत्री जी इसकी जांच करा लें । दूसरा क्षेत्र बावनी स्टेट (हिज हाइनेस) है, जिसका सर्किल रेट कम नहीं हुआ, जो होना चाहिए, क्योंकि यह स्टेट अब यू0 पी0 में मर्ज हो गई । तो यू0 पी0 के बराबर circle rate होना चाहिये । रामपुर स्टेट का आपने कम किया फिर बावनी स्टेट का कभी कम नहीं कर सकते ।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि गांव में जो भूमिहीन या खेतिहर लोग हैं जो बटाई पर जमीन जोतते हैं। इस तरह के लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए जो पंचायत द्वारा अनुमोदित हो। तहसील में एक लिस्ट रही, उसकी कापी पंचायत में हो। जब कभी भूमि आबंटन का प्रश्न आये उस लिस्ट को देख कर कि उस ग्राम में कौन भूमिहीन है उसमें से छांट कर आबंटन किया जाय।

श्रीमान् जी, तकावी का रुपया ठीक रूप से नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए स्पष्ट नियम होना चाहिए कि जो तकावी जाती है सूखे, बाढ़ की वह किन लोगों को दी जायगी। उसको भी कमेटी के जरिए बटवाना चाहिए। दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपये तकावी का बांटा गया, पांच में पन्द्रह परसेंट तहसीलदार ने लेखपाल के जरिये ले लिया। जिसने तीन सौ पर 15–20 रुपये लेखपाल को दे दिये उसको तकावी मिल गयी। बाकी को नहीं मिली।

श्रीमान् जी, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कालपी के तहसीलदार पांच वर्षो से मौजूद हैं। कई बार तबादला हुआ, रोक दिया गया। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं। मुकदमों की यह हालत है कि 115 (सी) और (डी) के केसेज को दबाये पड़े हुए हैं। लोगों से रुपया ले लिया है फैसला नहीं कर रहे हैं। अनेकों वर्षो से फाइलें रखे हुए हैं। यही हालत भूमिधरी के मामलों की है। बन्दूक के लाइसेंस का यह हाल है कि 50 रुपये बंधे हुए हैं। पता नहीं बन्दूक के लाइसेंस के लिए तहसीलदार से क्या तसदीक करायी जाती है जब कि पुलिस से तस्दीक करायी जाती है। तहसीलदार को एक घी की पिपिया या पचास रुपये दिये जाते हैं तो वह लिख देगा। इसको रोकना पड़ेगा। अगर इस तरीके को नहीं रोकते तो काम नहीं चल सकता।

ग्रामों की दशा बहुत है। ग्राम समाज की सारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। बस्ती के अन्दर यह दशा है कि बगैर पूछे पाछे जोर जबरदस्ती लोग रास्ता बन्द कर देते हैं। जो चकबन्दी में रोड्स मिली हैं उन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहां बैलगाड़ी नहीं निकल सकती। इसके लिए आप ऐसा नियम बनाये जिसमें ग्राम प्रधानों को कुछ अधिकार दिये जायं। ग्राम प्रधान मुकदमा लड़ नहीं सकता। कोई ग्राम प्रधान अपने पास से पसा खर्च नहीं कर सकता। मुकदमा सरकारी वकील करता है। विपक्षियों ने सरकारी वकील से बात कर लिया, अपने मुकदमे में अच्छा वकील कर लिया, वह जीत जाते हैं। मैं दावा करता हूं कि जितने पंचायत के खिलाफ मुकदमें होते ह आम तौर पर पंचायत मुकदमा हार जाती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राम प्रधानों को अधिकार देना पड़ेगा। जिस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया का चेयरमैन को अधिकार है कि अगर कोई सड़क के किनारे पड़ी हुई जमीन में मकान या झोपड़ी बनाता है उसका नक्शा पास करवाये अन्यथा वह उसको नोटिस देता है कि वह उसको हटा ले अगर वह नहीं हटाता है तो उसको खुदवा देता है इसी तरह का अधिकार ग्राम प्रधानों को दें। अगर यह अधिकार नहीं देंगे तो नाजायज कब्जा जो होते चले जा रहे हैं उनकी कोई रोक थाम नहीं है।

चकबन्दी का काफी जिक्र हुआ। मैं माननीय सदस्यों को चकबन्दी के बारे में सुनता रहा। चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए आप एक कमीशन इस तरह का बनाएं जो इस विभाग से अलग हो। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, एक आदमी को जांच करने के लिए भेजा। वह अपनी गोलमाल रिपोर्ट करके चला आया। वह विभाग के लोग होते हैं। अपने विभाग के लोगों का साथ देते हैं। आप एक कमीशन बनाएं जो जिलों में जाकर भ्रष्टाचार सम्बन्धी हियरिंग करें। लोगों को पहले से मालूम हो कि हमारे जिले में कमीशन किस तारीख में आने वाला और चकबन्दी के विभाग से कोई मतलब न हों तब भ्रष्टाचार

[श्री बीर सिंह सेंगर]

रुक सकता है। वरना ए0 सी0 ओ0 की शिकायत की जांच करने के लिए कोई सी0 ओ0 रखा गया वह उसके साथ काम किये हुए होता हो सकता ह या एस0 ओ0 सी0 के नीचे, कोई सी0 ओ0 काम किये हुये हो सकता है, वही अधिकारी जांच में आते हैं। कुछ काम बनता नहीं इसको अलग से करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री वीर सिंह सेंगर—

श्रीमन्, मुझे थोड़ा समय और दे दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभाओं की जमीनों के भी चक बनाये जायं। आम तौर पर यह होता है कि उनकी जमीन स्थान-स्थान पर अलग-अलग, छोटे-छोटे हिस्सों में छोड़ दी जाती है। उस पर लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं। यदि इनकी भूमि में चक बना दिये जायंगे तो गांव सभाओं की आमदनी बढ़ जायेगी।

इसके अलावा जो बाजार, मेले वगैरा लगते हैं उनको अभी तक सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है। उनका सरकारीकरण किया जाना चाहिये। इससे सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। भूमि के बारे में सारे ऐक्ट्स को एक जगह कर देना चाहिये। आज कल बहुत सी जमीन स्कूल तथा मन्दिर मस्जिद के नाम से गांवों में होती हैं। उसके लिये आपको कोई न कोई कानून बनाना पड़गा। इन संस्थाओं के नाम से जो जमीन होती हैं उससे लोग निजी फायदा उठा रहे हैं। ऐसी जमीनों की देखरेख सरकारी माल अफसरों को करनी चाहिये। उसका वार्षिक चिट्ठा अधिकारियों के पास आना चाहिये जिससे उसके ऊपर ठीक तरह से देखरेख हो सके। इनके ऊपर अंकुश रहे। ये लोग सारा रुपया आज कल डकार जाते हैं। इससे उन संस्थाओं को जिनकी जमीन होती है, हानि होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय समाप्त हो गया।

श्री वीर सिंह सेंगर—

अभी तो श्रीमन्, मुझे काफी कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय का अन्वाज नहीं है। आपको काफी समय दिया जा चुका है।

श्री वीर सिंह सेंगर—

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन मुझे जो राजस्व के संबंध में पुस्तिका प्राप्त हुई है उसको मैंने पढ़ा है उससे मुझे मालूम हुआ है कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत से ऐसे कार्य किये हैं जो प्रशंसा के योग्य हैं। पिछले साल सूखा पड़ा था, बाढ़ आई थी और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी राजस्व की वसूली हुई ह वह काफी सन्तोषजनक है। यह पिछले 5 साल में सब से ज्यादा है। सिंचाई वगैरा के अन्य कई देय थे बावजूद कठिनाइयों के उनकी वसूली काफी हुई है। इसके लिये मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरी बात जो आबंटन की प्रणाली है यानी जो आवासहीन लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है उसके आंकड़े देखने से मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ग्रामीण शिल्पकार हैं, खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी गई है। 14 लाख परिवारों में से 8 लाख 52 हजार परिवारों को जमीन दी जा चुकी है यह हमारी 58 प्रतिशत उपलब्धि है जो प्रशंसा के योग्य है।

माननीय मंगलदेव विशारद जी की आंकड़ों सहित पुस्तिका छपी है। उन्होंने जो सुझाव दिया है उसके संबंध में मैं आशा करता हूं कि आवासहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिये जमीन दी जायेगी। दूसरी बात यह है कि अभी 2-3 बार हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है उसमें हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। उनके लिये प्रदेश स्तर पर लखनऊ में प्रशिक्षण तथा सेवा योजन कार्यालय है। उसमें एक सैल खोल दिया गया है। वह जो अपंग सैनिक हैं उनके लिये नौकरियों में रखने के लिये कुछ रिजर्वेशन रख दिया है। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लोगों को दस परसेंट रिजर्वेशन देकर आश्वासन दिया है कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि लोगों की सुरक्षा होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिक व जिन्होंने नेफा में, लद्दाख में और बंगला देश की लड़ाई में कुर्बानी की है, उनके बच्चों को कम से कम हाई स्कूल तक शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो आज का राजस्व बजट पेश किया गया है उसमें माननीय मंत्री जी ने हर जिले में भूमि व्यवस्था के प्रबन्ध के लिए एक समिति का निर्माण करने की बात कही है जो 2-3 जिलों को छोड़कर किसी ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली है। कम से कम इस समिति की मीटिंग 2 महीने में की जाये। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर इस प्रकार की कमेटी सरकार द्वारा बनायी जाती तो उसकी देखभाल उचित ढंग से होनी चाहिए। हरिजनों के संरक्षण के लिए शासन का ध्यान रखना चाहिए, तभी उसकी अहमियत होगी तभी उसका महत्व बढ़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में 1948 में कुमायूं नामाबाद एण्ड वेस्ट लैंड ऐक्ट बनाया गया था जो 2 साल पहले तक लागू था। इस ऐक्ट के कारण जमीन की रक्षा होती थी, परन्तु 2 साल से सरकार ने इस ऐक्ट को समाप्त करने की सोची है और उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। आज डालूदार जमीन को बचाने की आवश्यकता है। माननीय मंगलदेव विशारद ने अपनी पुस्तक भूमि-व्यवस्था में दिया है कि नैनीताल में 1300 एकड़ तक के प्लान्ट बड़े-बड़े लोगों ने अनधिकृत रूप से ले लिए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए यह उन्होंने रिपोर्ट दी है।

तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को समाप्त न किया जाये। इसे वहां के हित के लिए लागू रखना चाहिए। टेहरी व उत्तर काशी सोयम जंगलात के कोई नियम नहीं हैं कोई कानून नहीं है इसलिए वन पंचायत नियमावली को लागू कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 1959 के पब्लिक लैंड एविक्सन ऐक्ट को हाई कोर्ट में अवैध 69 में घोषित कर दिया था उसके बाद भी सन् 72 में विधान सभा ने इसको पास कर दिया। श्री मंगल देव विशारद ने कहा कि इस ऐक्ट में अभी खामियां हैं और शक है कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो इसको देख लिया जाये और इसमें संशोधन कर दिया जाये और जो बड़े-बड़े लोगों ने जमीन को हथिया लिया है उसको खाली करा कर हरिजनों को जमीन दी जाये। अधिष्ठाता महोदय, जो जोत-बही दी गयी है उससे जनता में काफी असंतोष है। तकाबी रूल्स में संशोधन आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । उस जोत बही से कर्जा लेने में दिक्कत होती है । इसके आधार पर बैंकों से कर्जा नहीं लिया जा सकता है । इससे किसानों को दिक्कत हो रही है । आज उस जोत बही को लेकर हमको कर्जा नहीं मिलता । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में संशोधन कर जोतबही ऐसी बनाई जाय, जिसमें इस बात का उल्लेख रहे कि उसने कितनी जमीन हस्तान्तरण की है वह कितना कर्जा लिया है और कितना कर्जा अदा किया है । इन चन्द शब्दों के साथ म माननीय राजस्व मन्त्री जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री लक्ष्मी नरायन (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । जहां तक इस अनुदान के सम्बन्ध में और इस विभाग के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की चर्चा है, यह विभाग भ्रष्टाचार से लुप्त है और उसके सम्बन्ध में जितनी बातें कही जायें और जितने भी आंकड़े दिये जायें और उसका जितना उल्लेख किया जाय कम होगा । लेकिन मैं एक बात की तरफ जो हमारे देश की आजादी का आन्दोलन का नारा रहा है और हमारे प्रदेश का नारा है कि जितनी जमीन दी जाय और इसी नारे को लेकर हमारी यह राष्ट्रीय लड़ाई लड़ी गई । लेकिन 27 साल के बाद भी यह नारा चरितार्थ नहीं हुआ । आज तक भूमि सुधार कानून बनाने के बाद भी 1972 में जो सीलिंग का कानून बनने का सवाल आया, उससे आज भी हमारे प्रदेश में 54 लाख ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं जिनको जमीन अभी तक किसी भी तरह से आवंटित नहीं की गई बल्कि हुआ यह है कि इन वर्षों के दौरान पूंजीपति के हाथ जमीन गई, अफसरों, कर्मचारियों, राजनैतिक नेताओं आदि के हाथ में जमीनें गई । अभी हमारे सरकारी पक्ष के एक साथी ने कहा कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और इधर के पक्ष के लोगों की बात मैंने सुनी तो उसमें हमको कहीं इशारा नहीं मिला जमीन के वितरण के बारे में, जमीन की सीलिंग को घटाने के बारे में या जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस अनुदान के सम्बन्ध में क्या हमारे विचार हों इस पर कोई सुझाव नहीं आया ।

अगर आप अपने प्रदेश की जनता के साथ जो जनता 86 प्रतिशत देहातों में रहती है, जिसमें कि 72 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनका जमीन से संबंध है, उसके अन्दर 54 लाख परिवार को आप उनकी गरीबी मिटाना चाहते हैं, उनको अच्छी जिन्दगी देना चाहते हैं, तो आपको सीलिंग की सीमा को घटाना पड़ेगा । उस नारे को आपको चरितार्थ करना पड़ेगा । यह आप को मुश्किल है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, या दूसरा पक्ष हो । जमीन जोतने वालों को ही जमीन मिलनी चाहिये ।

मैं आपको एक तस्किरा देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले डांगे साहब मिर्जापुर गये थे वहां पर उनको बताया गया कि यहां पर मुख्य मन्त्री जी का 900 एकड़ का फार्म है और यह 900 एकड़ का फार्म यह आजादी के बाद फार्म बनाया गया है। जिस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमन्त्री चौधरी चरण सिंह थे, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब 1969 में भूमि का आन्दोलन कर रहे थे और हमारे डांगे साहब जब वहां पर गये हुए थे तो यही चौधरी साहब ने उनको गिरफ्तार किया था । हर तरह का जोर-जुल्म जो कांग्रेस के जमाने में नहीं किया गया था वह सारा काम चौधरी साहब के जमाने में किया गया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और जेलों में लोग मारे भी गये । इस प्रकार से कार्रवाई हुई । आज आप गरीबी मिटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं । प्रदेश और देश से गरीबी तब तक नहीं मिटती जब तक जमीनों का बंटवारा नहीं होता है और भ्रष्टाचार का केवल वर्णन करने से भ्रष्टाचार नहीं मिटता है । जब तक यह जो पूंजीपतियों का तबका है, उसका उन्मूलन नहीं होता तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है । भ्रष्टाचार मिटाने का आपका वोट लेने का नारा हो सकता है । कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आते ही भ्रष्टाचार मिट जायेगा लेकिन वे मुख्य-मन्त्री भी रहे और मन्त्री भी रहे लेकिन भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया । अगर आप गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो आपको इन बड़े बड़े फार्मों को तोड़ना पड़ेगा यह जो प्रति-वेदन पेश किया गया, यह आंख खोल देने वाला प्रतिवेदन है कि किस तरह से 2-2 हजार और 3–3 हजार एकड़ के बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं । यह कहना कि हम जनता की खुशाली चाहते हैं, जोतने वालों को खेत देना चाहते हैं 54,00,000 परिवारों को अच्छी जिन्दगी देना चाहते हैं तो आपको सीलिंग की सीमायें घटानी पड़ेंगी, उस हद तक घटानी पड़ेंगी जिससे इन 54 लाख परिवारों को कम से कम 3 1/4 एकड़ जमीन जरूर मिल जाय । अगर यह स्थिति होती है तो गांव में जो सामन्तशाही प्रभाव है, सामन्ती तत्व हैं, वह कम हो जाय । उससे भ्रष्टाचार भी कम करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है, उन्मूलन तो नहीं हो सकता है ।

श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)---

आपका इस सम्बन्ध में क्या सुझाव है, कितनी सीलिंग होनी चाहिये ?

श्री लक्ष्मी नरायन---

11 1/2 एकड़, जमीन तक ही हो जिसमें बाग भी हों, हर तरह की जमीन हों और सारी भूमि रखी जाय ।

गांव में जो चकबंदी हुई, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को मालूम होगा, उनके पास दरख्वास्तें भी आयीं होंगी । छोटे और गरीब लोगों को उनको उनके चक आबादी के नजदीक और बड़े लोगों को आबादी के दूर चक दिये जायं और हरिजनों को जहां पर उनका टोला हो, उसके नजदीक चक दिये जायें । लेकिन हुआ क्या है कि बड़े बड़े लोगों को आबादी के पास चक दिये गये जबकि गरीब लोगों को और छोटे लोगों को दूर दिये गये । इसी प्रकार से हरिजनों को आबादी से दूर और कई लोगों के चकों के बीच में आवास के लिये जमीनें दी गयी हैं । चक रोड्स भी आबादी तक नहीं बनायी गयी हैं ।

(माननीय राजेन्द्र कुमार गर्ग के माननीय लक्ष्मी नरायन पाण्डे के समक्ष खड़े होने पर और चौधरी रामपाल सिंह यादव जी से बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता---

यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनके सामने खड़ा होना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

मैं माफी चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मी नरायन---

तो उस योजना का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है । आज भी गांवों के अन्दर जो चक रोड्स हैं, वे आबादी तक नहीं मिलाये गये हैं, बेकार पड़े हुए हैं । बड़े बड़े लोग इन चक रोड्स पर कब्जा किये हुए हैं । उन्होंने इन चक रोड्स में ट्यूबवेल्स की नालियों को बनवा रखा है और जो गांव समाज की जमीनें छोड़ी गयी हैं, उनको हरिजन और गरीब लोगों को न देकर,

[श्री लक्ष्मी नरायण]

उसमें हलवाही करवाते हैं। इस प्रकार की गड़बड़ी और अव्यवस्था इस चकबन्दी को हमारे क्षेत्र में फैली हुई है।

एक और बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें जो पत्थर गाड़े गये हैं, जो चकों का निर्माण हुआ है, वह नक्शे में कुछ है और वास्तव में कुछ और है। जो जमीन नक्शे में अगर 2 एकड़ दिखायी गयी है तो वह मौके पर 3 एकड़ है और अगर नक्शे में 3 एकड़ है तो मौके पर 1 एकड़ ही जमीन है। गांवों में इससे एक ऐसा झगड़ा हो गया है कि उनमें मुकदमें चल रहे हैं, कमजोर लोग इसमें मारे जा रहे हैं। अगर जमीन नक्शे से ज्यादा है तो उन पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और अगर कम है तो गरीबों को मुकदमेंबाजी का शिकार होना पड़ रहा है।

एक बात इसमें कही गयी है कि यह जो जमीन है गांव समाज की इसका आवंटन करने के लिये जिला स्तर पर कमेटियां बना दी गयी हैं, ग्राम स्तर पर बना दी गयी हैं और इसके बारे में जुलाई 1973 में ही आदेश जारी कर दिये गये हैं। मैं और जिलों की बात नहीं जानता, अपने जिले को जानता हूं कि इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनी है—न जिला स्तर पर न तहसील स्तर पर, न ग्राम स्तर पर। यदि इस तरह की कमेटी के निर्माण की बात है तो इसमें—ऐसे दलों को भी रखिये जो प्रतिबद्ध हैं कि भूमिहीनों को जमीन का आवंटन हो, उनको जमीन मिले, जमीन का बटवारा हो। तो ऐसे जन-संगठनों को भी ऐसी कमेटियों में स्थान देने की बात होनी चाहिये और जो कमेटियों का ढांचा बनाया गया है वह ऐसा है कि जो सुधार की बात कही जाती है वह अमल में नहीं आती। इसलिये इन कमेटियों में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाय जैसे खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि, किसान सभा के नुमाइन्दे हैं, वह उसमें रखे जाने चाहिये।

अब मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसके अन्दर, फरेंदा में, एक ऐसा इलाका है जहां पर बाढ़ के समय में 20 मील लम्बा, 14 मील चौड़ा क्षेत्र पानी से घिरा रहता है और 27 सालों के अन्दर इस बाढ़ क्षेत्र में कोई भी निर्माण का काम नहीं हुआ। थोड़े से टेस्ट वर्क्स के जो बंधे बने हुए ह वह ऐसे लोगों के जरिये बनाये जाते हैं कि लाखों रुपया खर्च होता है और बंधे नहीं बनते। तो इस तरह की दुर्गति उस क्षेत्र की है। उसको बचाने के लिये बांध और रेगुलेटर का लगाना निहायत जरूरी है।

एक और और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हमारे बहुत से साथी चाहे सत्ता पक्ष के या विरोध पक्ष के, एक समझ उनके अन्दर बन रही है कि लगान लगा दिया जाय तो काश्तकार को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। यह लगान सामन्ती व्यवस्था की देन है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इसे लगाया था। ब्रिटिश साम्राज्य-शाही चली गयी, सामन्ती व्यवस्था को आप खत्म करना चाहते हैं। बड़े आन्दोलन के बाद यह लगान कुछ समय तक कम किया गया। यह पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिये और पूर्ण रूप से खत्म करके जो सामन्ती अवशेष हैं उसको खत्म करके कृषि आय-कर लगाइये। आप इनकम पर टैक्स लगाइये। चाहे कोई कमेटी हो, कुमारप्पा कमेटी हो या किसी की हो आपको कृषि आय पर कर लगाना चाहिये।

एक दलील आती है कि पैदावार बढ़ गयी, खेती की उपज बढ़ गयी। अगर खेती की उपज बढ़ गयी तो उसके मुताबिक बाजारों के सामान के मूल्य भी देखिये जो किसानों को बाजारों में खरीदने पड़ते हैं। उनके मुकाबले में अनाज की कीमत कम है, बाजार के सामान की कीमत ज्यादा है। तो बड़े आन्दोलनों के बाद जो थोड़ी सी रिआयत मिली थी उसको कायम रखते हुए और पूरे लगान को माफ करके कृषि आयकर लगाया जाय, यह मेरा सुझाव है। आशा है कि सरकार उसको स्वीकार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामसमुझ तिवारी (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मन्त्री के इस अनुदान का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध कर रहा हूं ।

माननीय, मैं तो नया विधायक हूं, अभी सदन में आने का पहला अवसर मिला और जब से आया हूं, जिस तारीख से तो तभी से सुन रहा हूं भ्रष्टाचार,भ्रष्टाचार,भ्रष्टाचार। मैं नहीं समझा कि इलेक्शन में हूं, विधान सभा में नहीं हूं । अगर लोटे में भांग हो तो उलट दिया जाय, कुएं मे भांग हो तो दूसरे कुएं का पानी पिया जाय लेकिन जब सेहटा मे ही भांग पड़ गयी हो तो इसके चिल्लाने से क्या होने वाला है । क्या सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार मिटाने की । आप कहेंगे राजस्व पर बोलिये । मेरा अपना विचार है कि जब से जमींदारी टूटी है, लोग कहते हैं कि 27 वर्षों में सुधार नहीं हुआ, मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूं जहां पर राजे, महाराजे, बड़े बड़े ताल्लुकेदार और अंग्रेज, जिनका निवास स्थान इंग्लैण्ड में था,वे जमींदार थे और उनके जुल्म और ज्यादतियों को देखा है और जमींदारी टूटने के बाद किसानों को जो राहत मिली है उसको भी देखा है । माननीय चौधरी साहब जो हमारे उस समय रेवेन्यू मन्त्री थे, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया और उसका पालन कराया । चौधरी साहब को मैं नेता मानता हूं चाहे उस दल में हों या इस दल में । उनकी बुद्धि और दृढ़ता की सराहना हमारे मुख्यमन्त्री भी करते हैं । पर इतना बुद्धिमान आदमी वह कानून बनाने में गलती कर गया । मेरा सरौली का इलाका है, हमारे चौधरी लखनचन्द का इलाका है, वहां एक-एक गांव में लाखों रुपये की सम्पत्ति थी जिसमें लकड़ी थी, ताल थे, पोखरे थे, उन सबको इतना अरक्षित छोड़ दिया कि वे सब हज्म कर गये गांव के प्रधान और सेक्रेटरी । चौधरी साहब की बुद्धि ने वहां काम नहीं किया । जब इतने विद्वान आदमी द्वारा बनाये गये महल में इतनी कमी साबित हुई तो आप चाहे जितने कानून बनाइये अगर आप उसको तत्काल लागू कर दीजिये तो नतीजा कुछ निकल सकता है नहीं तो पांच साल बाद वह लागू होता है और तब तक कुछ नहीं रहता ।

विधान सभा में आप बोलिये, पत्रकार लोग आपका नाम छाप दें, हमारे गांव के लोग सुन लें कि राम समुझ को चुन कर भेजा, बहुत बोलते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है । तो आपके द्वारा राजस्व मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो कानून बनाया जाय, देर मत करिये, देर करने का जमाना निकल गया, उसे तुरन्त लागू करिये । आप कहते हैं कि मुख्य मन्त्री हवाई जहाज पर जाते हैं । हम तो कहते हैं कि सब लोगों को हवाई जहाज पर चलने का अवसर हो अगर यह प्रदेश तरक्की करे । क्या आप भैंसा गाड़ी पर चलेंगे? तो हमारे जो राजस्व के कानून हैं, चाहे वह सीलिंग का कानून हो, चाहे 18 एकड़ हो, चाहे 22 एकड़ हो और चाहे 5 एकड़ हो, उसको तत्काल लागू करिये । जो अधिक वोट पाये हैं वह गरीब के वोट से ही यहां पर आये हैं । हम कलेक्टर के यहां जाते हैं तो वह डिप्टी से कहता है, डिप्टी के यहां जाते हैं तो वह तहसीलदार से कहता है और तहसीलदार के यहां जाते हैं तो वह पटवारी से कहता है । इस तरह वह गरीब आदमी दौड़-दौड़ कर हार जाता है ।

आज जो चकरोड बनाये गये हैं चक निकलते ही जोरदार लोगों ने दोनों तरफ से उनको तोड़ लिये हैं । चकबन्दी वाले कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं है, रेवेन्यू वाले कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, अभी चकबन्दी हो रही है और पुलिस वाले कहते हैं कि यह हमारी दखल-अन्दाजी में आता नहीं है । इसलिये आप उसका इन्तजाम करिये । आप सरकार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राम समुझ तिवारी]
गालियां देते हैं। आप भी सरकार में रहे हो। मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानता, अपने जिले के माधव बाबू को जानता हूं। और वे भी मन्त्री रहे हैं, शायद उद्योग मन्त्री रहे हैं, मैं पूछता हूं कि उन्होंने कौन सा सुधार किया।

चौधरी साहब की इस बात के लिये मैं सराहना करता हूं कि उनके शासनकाल में बड़ी कड़ाई बरती गयी। लेखपालों को उन्होंने बरखास्त कर दिया। माननीय बहुगुणा जी से भी मेरा निवेदन है कि वे भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, जब तक कड़ाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। चकबन्दी में जो खराबियां हैं उनको ठीक करें। राजस्व एक मूलमन्त्र है जिससे सारा शासन चलता है। इसलिए इस विभाग में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। इस विभाग के मन्त्री जी बड़े अच्छे हैं, सचिव भी अच्छे और ईमानदार हैं, वे गन्ना आयुक्त भी रह चुके हैं, उनके समय में मुझे आशा है यह विभाग सुधरेगा। तत्काल खराबियां दूर होंगी और प्रशासन ठीक होगा।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसमें सबसे मुख्य बात जो कहीं गयी है वह हरिजनों की है, उनके लिये जमीन के आवंटन की बात कहीं गयी है, बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता देने की बात कही गयी है। जहां तक मान्यवर, हरिजनों को भूमि देने की बात कही गयी है, वह केवल कागजी ही है। मौके पर अगर जाकर देखा जाय तो एक भी हरिजन ऐसा नहीं मिलेगा जिसे जमीन मिली हो। कागज में भले ही मिल जायेगा कि इतनी भूमि हरिजनों में बांटी गयी। बहुत से ऐसे अवसर भी आये हैं कि हम लोगों ने लिख कर सरकार को सूचित भी किया है कि अमुक अमुक ग्रामों में हरिजनों को भूमि नहीं मिली है। जैसे गोरखपुर के सहजनवां ब्लाक के ग्राम भरसांड में करीब 100 हरिजन परिवार ऐसे हैं जिनका नाम दर्ज है, पर जमीन नहीं मिली है। वहां की जमीन अभी भी प्रधान के कब्जे में है। प्रधान ही वहां की सारी जमीन पर कब्जा किये हुआ बैठा है। एक भी हरिजन को जरा सी भी जमीन आज तक नहीं मिली है। पिछले वर्ष मैंने वहां के जिलाधिकारी महोदय को एक दखवास्त दिया, जिलाधिकारी महोदय ने जांच करायी। लेकिन अनवरत प्रयासों के बावजूद भी वह ज्यों की त्यों रह गयी। इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाली ब्लाक में एक गांव नियामतगंज में 100 एकड़ बंजर भूमि है, रिठवांखोर इसी के पास एक मौजा है इसको भी मिलाकर यह जो 100 एकड़ बंजर भूमि थी उसका कोई आबंटन हरिजनों में नहीं हुआ। और न तो इस तरफ किसी अधिकारी ने प्रयास किया। इसी प्रकार से सूखा एवं बाढ़ की बात है। सूखा और बाढ़ में सहायता के लिये आप बीज देते हैं, आपने बीज की व्यवस्था की थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बीज आपने इन दो ब्लाकों पाली- और सहजनवां में दिये वहां बुवाई जब समाप्त हो गयी तब वह मिले। जनवरी और फरवरी और मार्च तक आपके बीजों का वितरण हुआ। यह मैं सहजनवां ब्लाक की बात कह रहा हूं।

एक दुखद घटना यह है, वर्णन करता हूं। आमी और राप्ती नदी में बाढ़ सन् 1971 में ज्यादा आयी थी, जिसको सरकारी पक्ष ने और सरकारी अधिकारियों ने भी माना है। पर हकीकत यह थी कि 1973 में बाढ़ पहले से भी पेज आयी और साथ ही साथ पानी भी ज्यादा दिनों तक वहां पर रुका रहा और फसल भी पहले से ज्यादा वहां पर बरबाद हुयी। जो गांव सन् 71 में बाढ़ ग्रस्त था जबकि बाढ़ कम आयी थी वही गांव सन् 1973 में जब बाढ़ ज्यादा आयी थी, इसलिये सहायता लिस्ट से निकाल दिया गया कि पटवारी को उस गांव के सहायता पाने वाले लोग हिस्सा देने को तैयार नहीं थे। जो सहायता दी जाती है उसका कुछ हिस्सा पटवारी और नायब

तहसीलदार को भी मिलता है। जब इस गांव के लोगों ने दरख्वास्त दिया तो कोई नतीजा नहीं निकला जब नवम्बर के महीने में एक एस0डी एम0 सदर जो तकाबी के संबंध में पैसा बांटने गये थे उनके समक्ष तमाम शिकायतें पेश की गयी थीं। गांव के प्रधान भी आये और सैकड़ों आदमियों की कोई सुनवायी नहीं हुयी। उसी समय उनके समक्ष 2 ऐसे काश्तकार पेश हुये जिन्होंने यह कहा कि साहब मुझे जब खाद मिलने वाली थी उसका फर्जी परमिट बनवा करके सहजनवां के क्षेत्र विकास अधिकारी उसको ब्लैक करने जा रहे हैं। मैं भी मौजूद था। एस0 डी0 एम0 ने फर्टीलाइजर क्लर्क को बुलवाया था, वह आफिस छोड़कर भाग गया। इसके बाद भी कार्यवाही हुयी किन्तु बराबर लिखने पढ़ने के बावजूद कोई रिजल्ट अभी नहीं निकला है। हालांकि यह विषय से संबंधित नहीं है पर चूंकि एस0डी0एम0 आपके विभाग के थे इसलिये मैं उसकी लापरवाही की बात कर रहा हूं।

आज चक रोडों का प्रश्न सारे गांवों में फैला हुआ है। शायद कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें चकरोड को नालियों में न मिला दिया गया हो। शायद ऐसा महसूस कर लिया गया है कि चक रोड के लिये जो जमीन छोड़ी गयी है वह नालियों में इस्तेमाल होनी चाहिये। इस संबंध में ग्राम प्रधानों ने दर्खावास्तें दी हैं लेकिन तहसील स्तर से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न तो कोई पैमाइश हुयी है और न चक रोड छोड़े ही गये हैं। चक रोडों की ओर जो भूमि आबादी के लिये छोड़ी गयी थी उनको आज लोग जोत रहे हैं। इस तरह बहुत से गांवों के प्रधानों ने रिपोर्ट किया है लेकिन तहसील स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है न उन पर ही कोई कार्यवाही हुयी है।

आपने सिंचित-असिंचित भूमि का जो आधार रखा है, सीलिंग से जमीन निकलने के बाद आपके सामने बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि लेखपाल को मिला करके, कानूनगो को मिला करके लोगों ने भूमि को जो सिंचित थी असिंचित करार दे दिया और ट्यूबवेल को उखाड़ दिया गया। जिन लोगों से लेखपाल असंतुष्ट थे कानूनगो असंतुष्ट थे उनकी असिंचित जमीनों को सिंचित लिखा दिया गया है। मेरे गांव में बहुत से ऐसे मामले आये, जिनके पास ज्यादा जोतें थीं, लेखपाल ने उनकी जमीन को असिंचित लिख दिया और ट्यूबवेल उखाड़ दिये गये। सिंचाई के लिये सरकार के न कोई ट्यूबववेल हैं और न पम्पिंग सेट की कोई व्यवस्था है परन्तु ऐसे खातों को सिंचित लिख दिया गया। आपके विभाग द्वारा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें सहायता का जो मापदंड है वह अनिश्चित है। वह केवल लेखपाल और कानूनगो की मरजी पर है जिसको चाहे सहायता दे और जिसको चाहे सहायता न दे। उच्च अधिकारियों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि अमुक गांव बाढ़ एरिया का है कि नहीं। दो गांव सुरगना और मधवापुर ऐसे हैं जहां जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं।

यहां के विद्यार्थियों को जो सहायता की बात थी तो उन विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के कानूनगो से लिखवाना पड़ता है कि वह गांव बाढ़ ग्रस्त हैं कि नहीं। तो एक गांव के दो लड़के दो स्कूलों में पढ़ने जाते थे। एक लड़के को एक विद्यालय ने फीस माफी की सुविधा दे दी परन्तु दूसरे लड़के को दूसरे विद्यालय ने यह सुविधा नहीं दी क्योंकि इस लड़के को दूसरे कानूनगो से लिखाना पड़ा कि वह गांव बाढ़ग्रस्त है कि नहीं और कानूनगो ने उसे बाढ़ग्रस्त नहीं लिखा है। इस तरह स कानूनगो व लेखपाल अनियमियतायें बरतते ह। इसी तरह से सिंचाई, चक तथा कितनी फसल को नुकसान हुआ है आदि बातों का निश्चय कानूनगो तथा लेखपाल करते हैं। तो ये लोग जिनसे फायदा होने वाला होता है केवल उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और छोटे किसानों को तथा जिनकी पहुंच नहीं है उनको नुकसान होता है। इसके संबंध में आपसे गुजारिश है कि आप इन अनिय-

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

मितताओं की जांच करवायें और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जिन्होंने जान बूझकर जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनको बाढ़ग्रस्त नहीं दिलखाया है उनके लिये सख्त से सख्त कड़ी कार्यवाही करवायें जिससे भ्रष्टाचार मिट सके।

जहां तक बन्दोबस्त का सवाल है आपने चकबन्दी 1956 में कराई थी। जिन गांवों में कानूनगो के जरिये चकबन्दी कराई वह एक तरह से अपूर्ण थी। उसमें लोगों को 4–4 तथा 5–5 चक दिये गये। परन्तु हाल की चकबन्दी से काफी फायदा हुआ जैसे कि 25 एकड़ के प्लाट बनाकर चक बांटे गये तथा उसमें हरिजनों को तथा भूमिहीन लोगों को भी जमीन देने के लिये प्रबन्ध किया गया। जबकि 1956 की चकबन्दी में ये कमियां रह गई थीं। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये तथा ऐसे गांव की चकबन्दी करिये जहां छोटे-छोटे चक हैं। आबादी के लिये जमीन छुड़वायें तथा हरिजन एवं भूमिहीन लोगों के लिये जमीन की व्यवस्था करायें। बन्दोबस्त वाले गांव में जो बाढ़ एरिया के हैं और गलत तरीके से दूसरे गांवों को बाढ़ एरिया दिखलाया गया है तथा उसकी जांच होनी चाहिये। जैसे कि सुरगना गांव है जिसको पहले बाढ़-ग्रस्त दिखलाया गया परन्तु बाद में उसे खत्म कर दिया गया। वहां गड़बड़ी हुई है। अब बन्दोबस्त की कार्यवाही समाप्त हो गई है तो मैं चाहूंगा कि इसके नियम में परिवर्तन किया जाय और बाढ़ तथा सूखे आदि के नये नियम बनाये जायं जिससे कि इस व्यवस्था में धांधलेबाजी न हो सके और दूसरे लोग जो निशान के खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं व सीरदारी बन्दोबस्त के अन्तर्गत ऐसा न कर सकें। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रसाद––

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1973 तक भूमिहीनों को जो भूमि देने के संबंध में लिखा है उसमें 31 दिसम्बर, 1973 तक 2,06,133 एकड़ भूमि पर सरकार ने विधिवत कब्जा किया जिसमें से 1,17,348 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया जा चुका है और शेष भूमि में से 46,500 एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा लगभग 42 हजार एकड़ भूमि विवादित होने के कारण या अन्य कारणों से पड़ी हुई है। लेकिन 285 एकड़ भूमि का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन इसमें 285 एकड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसका क्या किया जाय?

अधिष्ठाता––

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब मंत्री महोदय बोलेंगे तब इसका जवाब दे देंगे।

श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं 1969 में जीतकर आया और सन् 1974 में भी जीतकर आया हूं। मैंने देखा कि 1969 से 1974 तक चार मुख्य मंत्री रहे यहां। जब हम उधर बैठते हैं तो दूसरे की अकल हो जाती है और जब उधर बैठते हैं तो दूसरी किस्म की हो जाती है। मालूम होता है उन कुर्सियों में कोई यंत्र फिट है।

मान्यवर, चकबन्दी हो जाने के बाद इतना फायदा हुआ कि जो खेत 20 जगह बंटे हुये थे, एक एक जगह हो गये। खेत एक जगह हो जाने के कारण किसानों ने पानी का साधन वहां बना लिया, नलकूप बना लिये, रहट लगवा ली और साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ी है। चकबन्दी से काफी फायदे हुये हैं। हरिजनों को, गरीबों को मकान बनाने के लिये जगह मिली और उन पर मकान भी बनाये गये हैं। मान्यवर, जब से चकबन्दी हुई हरिजनों को जमीन मिली है। चकरोड छुड़वा दिये गये हैं। लेकिन मान्यवर, जो चकरोड हैं वह कितना ही चाहें वह अमीर हो या गरीब जिसके किनारे चक रोड है वह उन सबने मिलकर जोत लिया है और उसमें नाली ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं और उसके लिये गांव का जो प्रधान है वह जिम्मेदार है। किसानों की भी

जिम्मेदारी होती है कि चक रोड को बरबाद न करें। लेकिन मान्यवर देखा ऐसा गया है कि कोई भी एसा गांव नहीं है जहां चक रोड का बेजा इस्तेमाल न हुआ हो। लोगों ने खोदकर नाली वगैरा बना लिया है और इस तरह से उसे बरबाद कर दिया है। मान्यवर, हमारे यहां दो ब्लाक हैं कटेहरी और भीटी। भीटी फैजाबाद के नजदीक लगता है और कटहरी अकबरपुर के नजदीक पड़ता है। कटेहरी ब्लाक के जितने भी कागजात हैं वह सब फैजाबाद से तहसील अकबरपुर में भेज दिये जायें। वहां किसानों को आने जाने में दिक्कत पड़ती है। जिलाधिकारी से भी हमने निवेदन किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कटहरी सर्किल सी0 ओ0 के कितने कागजात हैं वह फैजाबाद से अकबरपुर कर दिये जायं।

मान्यवर, कुछ ऐसा भी है कि कर्मचारी ढ़ीले रहते हैं। अचकवा ग्रामसभा पुरवा वियारेपुरवा है जहां हरिजनों के दरवाजे पर बड़े आदमियों के खेत हैं। हरिजनों को काफी दूर दूर खेत दिये गये हैं जबकि उनको दरवाजे पर मिलना चाहिये। मौरापयरा गांव सभा में हरिजनों को जमीन ही नहीं बांटी गयी है। मेरा निवेदन है कि वहां हरिजनों को जमीन बंटवाने की कृपा करें। मान्यवर, चकबन्दी से बहुत लाभ हुआ है यह मानना पड़ेगा। अगर चकबन्दी न हुई होती तो इतनी पैदावार न बढ़ती।

हमारे मंत्री जी बहुत ईमानदार, परिश्रमी और हर मायने में काम करने वाले हैं। चकबन्दी का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कई बार खड़े होने के बाद मुझे भाई रामपाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा न कह कर दो एक बातें ही कहूंगा। सत्ता पक्ष के दोस्तों ने कहा कि जब उधर लोग बैठते हैं तो पता नहीं नशा खा लेते हैं। यह भाव है। लेकिन यह सत्य है कि दुनियां में, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश की विधान सभा से लेकर जहां पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था होती है तो सत्ता पक्ष के लोग इतना बड़ा नशा खा लेते हैं जैसे हमारे राजस्व मंत्री जी ने आज रामसेवक जी के भाषण के बीच में बराबर उस तरह से टोकाटाकी की जिस प्रकार से कोई सदस्य किसी जिम्मेदार मिनिस्टर से प्रश्न करता है। उनको तो विरोधी पक्ष की बात धैर्य से सुननी चाहिये और फिर उसका उचित जवाब देना चाहिए। आज सारे प्रदेश की जिन्दगी, साधारण और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की जिदन्गी का मूल पाइन्ट राजस्व विभाग के हाथ में है। और सारे पाइन्ट आयेंगे लेकिन आप देखेंगे कि चकबन्दी में कितना भ्रष्टाचार है। सभी ने इसके बारे में बात कही। मैं सदन के सामने और राजस्व मंत्रीजी के सामने बात कहता हूं कि मैं जौनपुर गया था। वहां मैंने देखा कि चकबन्दी किस तरह से की गयी है। जहां से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी चुनकर आये हैं, उस क्षेत्र में एक अरारी गांव है। वहां मैंने देखा कि साढ़े चार बीघा एक व्यक्ति राम आसरे जमीन है और 3 बीघा एक दूसरे किसान की जमीन है। लेकिन इनके 6 बिस्वे से ज्यादा के चक नहीं बने।

एक दूसरी घटना बताऊं। गोंडा में एक ए0 सी0 ओ0 हैं। वह बहिन राम रती के इलाके के हैं, हमारे इलाके के नहीं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ उनके यहां गया। मैंने उनके यहां बड़े-बड़े बैल देखा। मैंने पूछा कि बड़े उम्दा बैल हैं। उन्होंने मुझको अलग बुलाकर कहा मेरा लड़का ए0सी0ओ0 है, जो गोंडा में है। एक धोबी के बैल हैं। उन्होंने कहा कि घूस में मिले हैं। उन्होंने कहा कि चकबन्दी का अधिकारी अपने पास इतनी दौलत ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता है। इसलिये थोड़ा-थोड़ा पैसा लाते हैं। फैजाबाद जिले की बात बताई गई। भूमि के आवंटन का प्रश्न उठाया गया। प्रियदर्शी जी यहां मौजूद हैं। हजारों रुपये श्रम से

[श्री भगवती प्रसाद]
खर्च करके हरिजनों के घर बसे हैं। लेकिन जयराम जी को हराने के लिये हरिजनों को उजाड़ दिया गया। इन्दिरा महारानी वहां चुनाव के दौरे में गयी थीं। सरकार कान की बहरी तो होती है, लेकिन आंख की अंधी नहीं होती। हमारे एक विरोधी पक्ष के भाई ने बाराबंकी वाली बात कही।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

मैं प्रूफ देना चाहता हूं। अगर मेरी बात सत्य हो तो राजस्व मंत्री जी इस्तीफा दे दें और मेरी बात झूठ साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्टिपुलयार्न कारखाने के लिये गरीबों की जमीन ली जा रही है। वहीं पर भगवती प्रसाद शुक्ल के बगल में एक हजार एकड़ का बहुत बड़ा फार्म है, जिसमें तीन अमेरिकन पादरियों का परिवार रहता है। इसमें फार्म में ब्रिटेन के लिये केवल दवाइयां, उगाई जाती हैं। इसको लिया जा सकता था। दूसरा उदाहरण दे दूं। लोरपुर के मजदूरों ने मेड़ बंदी की। उन्होंने कितनी मेहनत किया। सरकार करवाती तो लाखों रुपये खर्च होता। लेकिन इन्दिरा महारानी ने जमीन को तोड़ा और हरिजनों के उस पूरे प्लाट को तबाह कर दिया और आज उन हरिजनों की हिम्मत नहीं है कि उस जमीन पर जा सकें और वहां केवल चन्द ईटों की इमारत आज खड़ी हुई है।

हमारे साथी यादव जी ने कहा कि सवा 6 एकड़ पर से लगान पुनः लगा दिया जाय। मेरा तो कहना है कि बजाय सवा 6 एकड़ के अब यह 10 एकड़ हो जाना चाहिये और हमारी तो मांग यह है कि 10 एकड़ से ज्यादा भूमि किसी के कब्जे में नहीं होनी चाहिये लेकिन सदन में बैठ कर राजसत्ता का मोह आ गया है। सत्ता पक्ष में बैठे विधायक अथवा मिनिस्टर कोई ऐसा न होगा जिसके रिश्तेदारों के पास 200 बीघे जमीन न हो वर्ना वह जीत कर नहीं आ सकते। अधिष्ठाता महोदय, आज गांव की जनता कराह रही है। पीपल के पते पर नमक रख कर पिछड़ी जाति के लोग उसे खाते हैं इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। केवट तथा मरों ऐसी आबादी है जिनकी औरतें सैकड़ों की तादाद में घास में से दाने बीनने के लिये जाती हैं लेकिन सामन्त लोग अपने खेत व चारागाह में से उनको वे दाने भी बीनने नहीं देते और उसको खाने के लिये भी वे मोहताज हैं। इस प्रदेश की सरकार में बैठने वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने अपने कान मूंद लिये हैं और अक्ल भी 5 साल तक गिरवी रख दी है। जनता का वे शोषण देखते रहते हैं।

अपने जिले की बात मैं बतला दूं जहां-जहां कालेज खुलता है जमीन कोई मैनेजर अपनी जमीन में से नहीं देता है, कोई बड़ा भू-स्वामी नहीं देता है। बंजर जमीन जो हरिजनों को दी जानी चाहिये जिनके लिये यह सरकार दावा करती है कि इतनी जमीन उनको दी गयी वह सारी की सारी जमीन कालेज को बांटी जा रही है। क्या तरीका है ? आचार्य नरेन्द्र देव इंटर कालेज तथा सुभाष राष्ट्रीय महाविद्यालय फैजाबाद में है, आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में है। वहां इन कालेजेज को बंजर की जमीन प्रधान ने पट्टे पर दी। गोरखपुर का एक पंजाबी है उसका नाम मैं इस समय भूल रहा हूं उसका नाम लिख कर टाग दिया गया। शिक्षा मिलेगी हमारी जमीन ले कर, खाना मिलेगा हमारा तन गलवा कर। इसी क्षेत्र से 400 लोग आन्दोलन कर जेल गये थे। मधुपुर गांव के जमींदारों ने 10 हरिजन औरतों के हाथ पैर तोड़ दिये थे लेकिन हो यह रहा है कि उस जमीन पर भी कालेज खोला जा रहा है। उस जमीन पर कालेज खड़ा है। 10 मर्तबे कलेक्टर को लिखने के बाद भी हरिजनों को वह जमीन नहीं मिली।

मेरे इलाके में टूंडी में एक दरिया है जिसमें हर साल सैलाब आता है और अगस्त से सितम्बर तक तो ज्यादा बाढ़ आती है। सैलाब से वहां के लोगों की घर जमीन बह जाती है और नमक और बाजरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सैलाब से वहां की जनता तड़पती मर जाती है। लेकिन कोई नहीं सुनता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने आज वहां लोगों को घास का दाना खिलाया, गरीबों के साथ अन्याय किया, जमीन का पुनर्वितरण नहीं किया तो आने वाला भविष्य

में भी इनको नमक बाजरा खिलायेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक जमीन का पुन बंटवारा नहीं होता है तब तक प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी चाहे आप कितनी ही मोठी-मोठी बातों से विरोध पक्ष को प्रभावित कर लें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 10 से 12 एकड़ तक को लगान माफ होनी चाहिये। यदि यह नहीं होती है तो विरोध पक्ष के भाई हमें चाहे सपोर्ट करें या न करें सोशलिस्ट पार्टी और सी0पी0आई0 (मार्क्सिस्ट) पूरे प्रदेश में आन्दोलन करेंगे।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)––

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों के समर्थन में मैं अपनी कुछ बातें बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके जरिये कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहां का जो लैन्ड रेवेन्यू है वह हमारे यहां सोरदारी खुदकाश्त जमींदारों के जमाने से चला आ रहा था उनके लिये पुराना लैंड रेवेन्यू है और जो नये सर्किल रेट से लगाया जाता है उसमें लैंड रेवेन्यु ज्यादा होता है। तो मेरा सुझाव यह है कि इसकी जांच करवायी जाय और सभी का लैंड रेवेन्यू एक समान किया जाय।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की जो 33/39 की दफा है वह भी बेकार हो गई है क्योंकि जहां चकबन्दी हो गई है वहां सिविल और रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बात आ जाती है। तो इसकी तरफ मंत्री महोदय ध्यान दें। क्योंकि अमूमन यह कह दिया जाता है कि नम्बरी दावा दायर करके फैसला करवा लो। जब कि दोनों फरीकेन रजामन्द होते हैं।

धारा 40 जो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की है उसमें यह है कि मौके पर जमीन का कब्जा दिलाया जायगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके हक में फैसला होता है उसको नहीं दिलाया जाता, उसे परेशान किया जाता है। इसलिये इस किस्म के आदेश जारी होने चाहिये कि पुलिस फोर्स के जरिये से जिसका हक हो, जिसके नाम दाखिल खारिज हो उसको कब्जा दिलाया जाय।

इसी प्रकार 122 (Z. A. L. R. Act) है जो कि बोनाफाइडी क्वेश्चन आफटाइटिल को है। अगर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन Bonafide question of title involve प्रूफ नहीं होता है तो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को यह पावर दे दी गई है कि वह उसे खारिज कर सकता है। लेकिन ऐसा आमूनन नहीं होता है। इसलिले मंत्री महोदय तहसीलदारों को आदेश दें कि वह इस पर कड़ाई से पालन करें। यह जो लेखपालों की रिपोर्ट है, 115 रूल में, उसमें कोई नियम नहीं है। जो लेखपाल के मन में आता है, वह कर देता है। तो कोई इसके लिये नियम होना चाहिये और उन्हीं नियमों के हिसाब से हर्जा लगना चाहिये। यह भी शिकायत है कि लेखपाल प्रधानों की मीटिंग्स में जाते नहीं, हैं, इसलिये प्रधान लोग अगर पट्टा देना चाहते हैं तो मजबूर हो जाते हैं और वह पट्टा नहीं करपाते हैं। लेखपालों को ऊपर उनका कोई जोर दबाव नहीं है। मेरा यह भी कहना है कि एस0डी0ओ0 कोर्ट, तहसील कोर्ट में होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने की वजह से आदमी जो जाता है, उसका बहुत ज्यादा खर्चा और हर्जा होता है। इसलिए तहसील में ही एस0डी0ओ0 का कोर्ट होना चाहिये।

रिवोजंस नियम 34 में दाखिल खारिज के जो होते हैं, इनके लिये पहले अपील का प्राविजन था किन्तु अब नहीं। इसका नतीजा यह है कि नीचे कोर्ट में जो व्यूज ले लेते हैं, वह उसके फैक्ट्स में जाते ही नहीं हैं, जबकि अपील में पूरे टैक्स भी दे देते हैं। रिवोजन में दे देते हैं कि इस तरह का केस है नहीं इसलिये गलत है। इसलिये अपील का जो प्राविजन धारा 34 में था, उसको फिर से बहाल करें। ये जो कमिश्नर के यहां से बोर्ड आफ रेवेन्यु में केसेज जाते हैं, जो पूरी कमिश्नरियों की अपील केवल बोर्ड आफ रेवेन्यु, लखनऊ में सुनी जाती है, उसके बारे में मेरी

[श्री अनवर जमील]

दरखवास्त है कि इलाहाबाद के बोर्ड में भी इनको सुनवाई का प्रबन्ध होना चाहिय जमींदारी को एबालिश हुई, रूरल एरियाज को जो हुई, तो उसमें टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड को जबान मिलना चाहिये था, लेकिब, अरबन, एरिया का हुआ तो कोई भी जमीन उनको नहीं मिलो। इस तरह से लाखों रुपये को जायदाद आज बेदखल हो रही है। इस पर लोग बेजा एन्क्रोचमेन्ट कर रहे हैं। किन्तु नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के अधिकारी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस किस्म का अधिकार नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री जो इस पर विचार करें और इस तरह को जमीनों को रिलीज करायें।

चकबन्दी के बारे में ही मैं कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं। मैं तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं। वहां पर इस तरह के चक बने हैं, जिसको सिर्फ सीधा ही जोत सकते हैं बेड़ा नहीं। इसलिये आप दुबारा छिबरामऊ तहसील में चकबन्दी करायें। यहां जो चकबन्दी हुई है, उसमें जो रास्ते दिये गये हैं, उसमें बहुत ज्यादा एन्क्रोचमेन्ट है, वह खत्म होना चाहिये।

इस समय पाले और ओले से हमारे फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 70 परसेंट खड़ी फ्राप खराब हो चुकी है। इसलिये मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस तरह ध्यान दें और वहां का लैण्ड वेल्यु जल्दी से जल्दी माफ करें और ज्यादा से ज्यादा तकावा फर्रुखाबाद जिले को मिलनी चाहिये। और इसके लिये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिये एल0एल0 एज0 का कोआपरेशन लिया जाए। मेरे जिले के 7 विधायक हैं, यह कार्य या तो उनके जरिये किया जाय या उनको इन्फर्म करने के बाद इस काम को किया जाय, ताकि गलत आदमी को न मिल सके, सही आदमी को ही मिले।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपको बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से जो कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज मुझे राजस्व विभाग का कार्य-विवरण पढ़ने को मिला। इसमें भूमि विकास पर अधिनियम के बारे में लिखा है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिये तथा सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पेयजल, सड़कों के निर्माण और विद्युतीकरण के क्षेत्र में विस्तार के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से लगाया गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के शर्मनाक विवरण सरकार आइन्दा न छापने की हिम्मत करे, वरना इस देश का किसान और नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। तिकड़म और बेईमानी की सरकार क्या चलेगी? जब से विकास कर लगा है क्या विकास हुआ है? चिकित्सा में पेयजल में, बिजली में तब से कितनी वृद्धि हुई है। शर्म की बात है कि इस तरह का विवरण दे दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से राजस्व विभाग की बातें राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं। आप 9 फीसदी ब्याज लेते हैं जो तकावी और ऋण किसान को देते हैं और किसान से जो ऋण लेते हैं उसको चार फीसदी देते हैं। क्या समाजवादी सरकार का यही कर्तव्य है? गरीब किसान से 9 फीसदी व्यय लें और उसको चार फीसदी व्याज दिया जाय? यह उनका समाजवाद है।

नदी किनारे जो जमीनें हैं बहुधा हर साल लाठी से खत्म हो जाती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ है। गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं है। वहां जमीन किसी की है, कब्जा किसी का है। लगान किस को पड़ता है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि ऐसे इलाके के लिये कोई पांच साला योजना बनायें जिससे दबे वर्ग के लोग अपनी जमीन पर सुरक्षित रूप से खेती कर सकें। मैं इस सिलसिले में अपने जिल और जिला गोंडा

क सीमा विवाद के संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 25–30 साल से जमीन का सीमा विवाद है। सैकड़ों एकड़ जमीन बाराबंकी और गोंडा दोनों जिलों के नक्शों में दर्ज है। दोनों जिलों के राजस्व विभाग के कर्मचारी किसान से लगान वसूल करते हैं। वहां के डिप्टी कलेक्टर को दरख्वातें दी जाती हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। लगान उनसे वसूल किया जाता है। लेकिन चूंकि नदी के किनारे जमीन है, सरयू और घाघरा के बीच में है, इसलिये उन बेचारों का उस पर कब्जा भी नहीं है और लगान भी देते हैं।

जो आप तकावी देते हैं आपके यहां के मुकद्दमे के लोग, आपका कलेक्टर, एस० डी० एम०, तहसीलदार किस तरह से लागों के नाम से फर्जी दर्जा करके निकलवा कर अपने ऐशोआराम में खर्च करते हैं। इस प्रकार जो बाढ़ और वर्षा के लिये यहां से पैसा दिया जाता है उससे गरीबों को कोई राहत नहीं मिलती है और अगर होती है भी है तो बहुत कम। उससे आपके अफसर, आपके चापलूस लोग, या तहसील में जो आपके दलाल, जो आपके कर्मचारियों के माध्यम से पलते हैं, वही फायदा उठाते हैं। मैं दावा करता हूं, चुनौती देता हूं आप इस सिलसिले में नवाबगंज और राम सनेही घाट तहसील की जांच करा लें किस तरह से पुराने वर्षों तक तकावी बांटी है। किस तरह से एस० डी० एम० और तहसीलदार कमाई की है। लेखपाल और कानूनगो ने कितना फर्जी रुपया निकाल करके आधा तिहाई कितना लिया। आप को पता चल जायगा कि आपके विभाग में क्या हो रहा है। गरीब जनता, दबती, पिसती रहती है। उसकी स्थित में सुधार नहीं होता। आपकी राजनीतिक कमजोरियां हैं। चूंकि जनता गरीब है, चूंकि उसमें शिक्षा नहीं है, इसलिये आपकी गलत नीतियों पर उसकी नजर नहीं जायगी। आपके रेडियो और अखबार हैं और जितने चंट लोग हैं वह आपकी मुट्ठी में हैं। आप समझते हैं कि गरीब आपकी चाल में फंसता रहेगा जैसे हरिजन फंसता रहा है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि जनता के द्वारा दी गयी गद्दी किसी की बपौती नहीं होती है। आप भी अमरौती खा कर नहीं आये हैं। अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम होगा। जो बदनामी हो रही है, उसको आज से भूल जांय और प्रशासन को सुधारने की कोशिश करें जांय तो शायद अच्छा नतीजा निकले। लेकिन आप भ्रष्टाचार के चंगुल में इतना फंस गये हैं कि आप भ्रष्ट प्रशासन को भ्रष्टतर बनायेंगे।

यहां की जनता को आप शिक्षित नहीं होने देंगे अब देखिये जो कुछ भी आगे हो। चकबन्दी कमिश्नर के बारे में आपके द्वारा राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्राम जुगगौड़, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के एक मुहम्मद जहीर हैं। वह चकबन्दी कमिश्नर थे। उन्होंने सारे पट्टे अपने खानदान के लोगों के नाम ही करवा लिये हैं। इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पट्टे जिनके नाम हैं वे यह हैं। मुसम्मात अनवर जहीर, जरीना खातून, शाइन्दा खातून, मुहम्मद जहीर (ये चकबन्दी कमिश्नर थे) परवीज खातून, मुसम्मात जैनब, निरंजन, फरीदा परवेश खां और मु० शबीर।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

यह किस जिले का मामला है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

यह जिला बाराबंकी का मामला है। चकबन्दी कमिश्नर ने अपने खानदान वालों के नाम ही पट्टे करवा लिये हैं। एस० डी० एम० तहसीलदार इन दोनों को आपने एक ही काम के लिये रख छोड़ा है। अगर इन दोनों में से आप एक को खत्म कर देती एक ही रह जायगा। एक के पास जाते हैं तो वह दूसरे को फारवर्ड कर देता है। इस तरह से लोग परेशान होते हैं। इन दोनों के बीच में भ्रष्टाचार पलता है। दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। जो

[बेनी प्रसाद वर्मा--
फरियाद होती है वे इन दोनों के बीच में ही पड़ी रहती हैं और वर्षों तक फैसला नहीं होता है। मैं राजस्व मन्त्री से कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। गरीब किसानों तथा हरिजनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। लेखपाल ही राजा बना हुआ है।

बाराबंकी और गोंडा की सीमा पर यह हालत है कि वहां आपके अफिसर कभी नहीं जाते हैं। छोटी नाव से वे नहीं जा सकते और लेखपाल ही वहां सब कुछ है। कमियार ग्राम सभा है उसकी हजारों बीघे जमीन जिसके कई बार पट्टे हुए परन्तु अमल दरामद कभी नहीं हुआ। लेखपाल रुपया ले लेता है। उसके रिश्तेदारों के नाम जमीन दर्ज है और वह खेती करता है। आप वहां का दौरा करें तो आपको हिन्दुस्तान के गांवों की असली तस्वीर नजर आ जायगी। वहां एक भी पक्का कुंआं पानी पीने का नहीं मिलेगा। एक भी पक्की ईंट का मकान नहीं मिलेगा। कच्चे कुओं में लोग पानी पीते हैं। फूस के मकानों में रहते हैं। वहां लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारी तानाशाह बने हुए हैं। कोई भी वहां पर आपके शासन की ओर से तरक्की का काम नहीं हुआ है। मैं दावा करता हूं कि कोई यह साबित कर दे कि वहां पर तरक्की का काम हुआ है तो मैं इस विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं। 26 साल के शासन में कोई भी तरक्की का काम नहीं हुआ है। तरक्की उन्हीं लोगों की हुई है जिनको आपका सहयोग प्राप्त है। आप सहयोग देंगे बड़े लोगों को। आपके दलालों को फायदा हो रहा है। गरीब जनता पिसती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष--
समाप्त करें आप।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--
ठीक है अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री शिव सम्पत्ति (जिला मिर्जापुर)--
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौता के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसके साथ ही साथ कुछ सुझाव और परेशानियां हैं कि जो रेवेन्यू आपके माध्यम से सरकार तक भेजना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह सरकार द्वारा वसूल किया जाता है उसका कुछ हिस्सा ग्राम सभाओं का मिलना चाहिये ताकि वे उन्नति के काम को करने में सक्षम हो सकें। दूसरा यह है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त कर देना चाहिये। तीसरा यह है कि जो वर्ग 4 की जमीन है और जिस पर काश्तकारों का कब्जा पहले से चला आ रहा है किन्तु कागजात में उसका इन्दराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको अविलम्ब निबटाया जाये और उनको कब्जा चाहे सीरदारी का हो या भूमिधरी का हो दिया जाये। यह हक उनको मिलना चाहिये।

शहरी क्षेत्र में जमींदारी समाप्त हो गयी है लेकिन वहां के नक्शे नहीं बने हैं। उनको अविलम्ब बनाया जाये। सिंगरौली में तथा अवेरा में लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है इस कारण वहां घोर असंतोष व्याप्त है। राजापुर जिला बांदा में जमींदारी खत्म नहीं हुई है वहां के लोग हरिजनों को धमकी देते हैं कि तुमको निकाल देंगे। मान्यवर, उनके लिये ठोस प्रबन्ध किया जाये ताकि उनको परेशान न किया जा सके। मेरा मत है कि भूमि विकास कर जो समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जमीन पर कब्जा हरिजनों को नहीं मिलता है। उनको अविलम्ब दिया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की बात भी कहना चाहता हूं कि वहां पर पानी बरसे हुए 2 या तीन दिन हो गये हैं और वहां के हरिजनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब अंग्रेजी शासन था तो वहां के लोगों को हल और जुवां की लकड़ी मिलती थी लेकिन आजकल तो वहां के वन रक्षक हैं या इनके माध्यम से जो अधिकारी वहां रहते हैं वे उनको सामान नहीं देते हैं। वह सूखाग्रस्त एरिया है फिर भी मदद नहीं दे रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वन रक्षक पैसा लेकर जंगल बेंच देते हैं और जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। वहां के लोगों को सूखी लकड़ी नहीं मिल पाती है जो व्यक्ति लकड़ी काटने जाते हों उनकी कुल्हाड़ी वहां के वन रक्षक छीन लेते हैं और अगर वह कुल्हाड़ी नहीं देते हैं तो उनको बन्द कर देते हैं। इसलिये मैं आपसे यह कहूंगा कि आप सबको रोकने का प्रबन्ध करें।

तीसरी बात जो है कि वहां पर जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाय। ठेमा जो दुद्धी से 6 मील पर स्थान है। वहां पर रेंज आफिस दो मील पर है। वहां के जंगल सब साफ कर दिये गये। क्या सरकार इसकी पता लगाने की कृपा करेगी? उन वनों की देख-रेख के लिये वन रक्षक रहते हैं, डी0 एफ0 ओ0 भी दौड़ा करते हैं। हिण्डालको ने जो जमीन लिया है उसका भी पूरा मोआवजा नहीं मिल पाया है। फारेस्ट की कोई बाउन्डरी नहीं है।

चौथी बात सबसे जरूरी यह है कि हमारे क्षेत्र में सूखा है जिसके लिये हम लोगों ने हजारों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन वहां पर गेहूं वसूली के बहाने जो भी काश्तकार दो सेर या चार किलो बाजार से खरीद लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके पास जो भी सामान होता है, उनको छीन लिया जाता है। आज वहां पर तीन रुपये किलो चावल और ढाई रुपये किलो गेहूं 2 रुपये किलो जौ बिक रहा है। हमारे यहां लोग पत्ती और जड़ खा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर रही है। अब वहां पर पत्ती भी समाप्त हो गई है। अब सरकार बतायेगी कि वहां पर लोग क्या खायेंगे।

हरिजनों को कागज पर जमीनें बांटी गई हैं लेकिन आज तक किसी को भी मकान बनाने के लिये जमीन नहीं मिली है। जब दुद्धी ऐसे इलाके में जहां पर सड़कें नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का साधन वहां पर नहीं है तो सरकार और जगह क्या इन्तजाम करेगी। रायबरेली, इलाहाबाद तथा इसी तरह से सब जगह यही मामले चल रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि जहां पर इतनी भारी गरीबी है वहां पर गल्ला तथा हल का इन्तजार करे, जिससे जब अपने खेतों को बो जोत सकें। जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका तो मैंने पहले ही समर्थन कर दिया है। साथ ही साथ मैने कुछ सुझाव भी दिये हैं, जो परेशानियां हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार कोई इन्तजाम नहीं करती है तो वहां पर खेती करना बन्द हो जायगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी माननीय वन मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि जिस प्रकार से पहले लोगों को लकड़ वहां के वन विभाग से मिलती थी, मुफ्त में उसी प्रकार से अब भी सुविधा प्रदान की जाय। सरकार इसका प्रबन्ध करे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के ऊपर हमारे साथी माननीय रामपाल सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समथन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद]

ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे साथी ने तथा अन्य लोगों ने जो यह कहा है कि भूमि की चोरी बड़े-बड़े लोगों ने की है, भूमि की चोरी सरकारी अधिकारियों ने की है, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि बड़े लोगों ने जमीन की चोरी तो की है लेकिन अगर सरकार अपनी की चोरी करेगी तो इस देश का क्या होगा?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अधीकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 में आया । मई 1972 में जो प्रस्तावित संशोधन था, उसको सरकार ने क्यों वापस ले लिया? उसमें यह कहा गया था कि 24 जनवरी, 1970 से जितने हस्तान्तरण हुए हैं, वे अबैध घोषित होंगे लेकिन आप देखेंगे कि उस प्रस्ताव को बिदड्रा कर लिया गया और 12 दिसम्बर, 1972 को जो संशोधन का प्रस्ताव पेश हुआ, उसके अनुसार यह हुआ कि 14 जनवरी 1971 के बाद जो जमीनों का हस्तान्तरण हुआ है, वे अवैध होंगे । मिर्जापुर में जिस फार्म की यहां पर चर्चा की जा रही है या और जो इस प्रकार की जमीनें हैं, संशोधन के वापस होने के कारण लोगों ने हस्तान्तरण करा लिये हैं । सरकार ने जो इस सम्बन्ध में छूट दी है, उससे जाहिर होता है कि सरकार की बदनीयत है, उनकी नीयत खराब है ।]

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे मकान बनाने के लिये हरिजनों को जमीन देना चाहते हैं और भूमिहीनों को खेती के लिये जमीन देना चाहते हैं तो जहां पर चकबन्दी हो रही है, वहां पर हरिजनों की बस्ती के लिये जमीन छुड़वा दें । आज कल जहां पर चकबन्दी चल रही है, वहां भी इसका पालन नहीं होता है और गांव प्रधान कभी एक हरिजन को और फिर दूसरे हरिजन को कह देता है कि तुम इस पर कब्जा कर लो । उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और उसका दुष्परिणाम वहां के हरिजनों को भुगतना पड़ता है । मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सख्ती से निर्देश दें कि हरिजनों के लिये जमीन छोड़ दी जाय और जिन लोगों को जमीन देना आवश्यक हो, उन्हें दिलवायी जाय ।

इस पुस्तिका में 11 लाख 52 हजार 562 हरिजन परिवारों के आंकड़े दिये हुए हैं जिनको भूमि की आवश्यकता है लेकिन मेरा निश्चित मत है कि ये आंकड़े गलत हैं । जब हरिजनों के आवास के लिये यहां से आदेश गया तो जिलाधीश, परगना अधिकारी या लेखपाल द्वारा इन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है । अगर इनकी जांच की जाय तो ये बिलकुल गलत साबित होंगे और मालूम होगा कि ये बिल्कुल फरजी है । इनसे कहीं अधिक हरिजनों के परिवार हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है । मैं पुनः माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पुनः निर्देश देकर इसका सर्वेक्षण करा लें कि वास्तव में हरिजनों के कितने परिवार हैं, जिनको जमीन की आवश्यकता है ।

अभी-अभी कुछ हमारे साथियों ने भ्रष्टाचार की बात कहीं । दोनों पक्ष के साथियों ने, सत्ता दल के और विरोध पक्ष के, भ्रष्टाचार की बात कही । मैं इन सबसे बड़े अदब के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली से 'सेवा ग्रामीण' पत्रिका निकली है, वह कृषि विशेषांक है, जिसमें हमारे माननीय मुख्य मन्त्री का फोटो मुख्य पृष्ठ पर है । इसमें और दूसरे माननीय मन्त्री के भी हैं । हमारे चौधरी साहब का बयान है । मुझे आशा है कि हमारे माननीय सदस्यों को भी इसे पढ़ने का मौका मिला होगा ।

आप कहते हैं कि ये विरोध पक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । आपको ताज्जुब होगा कि उसमें हमारे माननीय राजस्व मन्त्री का बयान है कि ये आई० ए० एस० आफिसर्स, पी० सी० एस० आफिसर्स मेरे अधिकार में नहीं ह, ये तो नियुक्त विभाग के अधिकार में हैं और राजस्व परिषद् चीफ सेक्रेटरी के अधिकार में है । फिर मैं कसे नियंत्रण करूं, सारा

भ्रष्टाचार है। तो जिस बात का विरोधियों पर इलजाम लगाते हैं और आपके माननीय मन्त्री जी ही कहते हैं और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार है तो हम पर क्यों आक्षेप किया जाता है? अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो हमें तो बड़ी खुशी होगी कि आपका दृष्टिकोण कितना न्यायसंगत है, आप कैसे उसको देखते हैं। लेकिन यह तो आपके मन्त्री जी का बयान है। मुझे ताज्जुब होता है। जबकि चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत हैं और बोर्ड आफ रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी के मातहत है तो कैसे कहते हैं कि हमारा उनपर नियंत्रण नहीं है? यह बड़े शर्म की बात है और अपने अधिकारों को जानने की बात नहीं है। यदि राजस्व परिषद् आपके नियंत्रण, में नहीं है और नियमों में संशोधन की आवश्यकता है तो जैसे सरकार प्रस्ताव लाती हैं, संशोधन लाती है तो वह संशोधन किया जा सकता है जिससे आपके नियंत्रण में आकर वह भ्रष्टाचार दूर हो और आपको स्वस्थ शासन करने का अवसर मिले।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, यह राजस्व विभाग सारे भ्रष्टाचार का केन्द्र है। हमें दुख होता है कि एक विद्वान आदमी जिसको हम वध,के मक्खन की तरह से जानते हैं कि जिसकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये जिले में होती है और वह आई० ए० एस० आफिसर सारे जिले के अफसरों के कामों को कोआर्डिनेन्ट करता है, वही रेवेन्यू विभाग, कलेक्टर का दफ्तर भ्रष्टाचार का केन्द्र है। मैं भी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम इस रेवेन्यू विभाग के, इस जिलाधीश की छाया में जो भ्रष्टाचार हैं अगर हम इसको मिटा दें तो हम समझते हैं कि सभी विभागों सेभ्रिष्टाचार मिटाने में हम सक्षम हो जायेंगे क्योंकि यही भ्रष्टाचार का केन्द्र है। जिलाधीश ही जिले पर छाया हीता है। सारे अफसरों के सारे विभागों को वही कोआर्डिनेट करता है। उससे अच्छा असर पड़ेगा।

एक और निवेदन करना चाहता हूं बहुत सी जमीनें पड़ी हुई हैं तराई में जहां बड़े-बड़े फार्म हैं। रामपुर जिले में, नैनीताल जिले में आप देख सकते हैं। वहां लोगों ने जमीनें बेच दी है, सेल डीड कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने रुपया लेकर के उसका कब्जा छोड़ दिया और दूसरे लोगों ने जोत लिया। वह किसी सेल डीड से सिद्ध नहीं कर सकते कि विक्रीनामा हुआ है, लेकिन आपसी समझौते की शकल में ऐसे अनेक ट्रांसफर्स, हस्तान्तरण हुए हैं जहां राजनीतिक पीड़ितों ने जमीनें बेच दीं और ऐसे भी लोग हैं, खास करके नैनीताल जिले में कि एक बार जिन्होंने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, दूसरों को बेच दिया और फिर दूसरी जमीनों पर कब्जा कर लिया राजनीतिक पीड़ित होने के नाते दरख्वास्त देकर, दूसरी जमीन ले लीं। ऐसे भी घटनायें हैं। तो मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी सभी जमीनों को वापस लेकर, इन सब मामलों को देख कर, उन जमीनों को इकट्ठा करके गरीबों को दें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माध्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले साथियों ने जो विचार रखे उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। दोनों पक्ष के लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर आरोप लगाये हैं और यह कहा है कि राजस्व विभाग भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है और जब तक ष्टाचार मिटाया नहीं जाता तब तक गरीबों की भलाई हो नहीं सकती। शासन की कोई योजना कारगर हो नहीं सकती।

श्री रामसेवक यादव—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मन्त्री जी ने तो कोई उत्तर दिया नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव का उत्तर माननीय रामपाल सिंह दे रहे हैं और सम्पूर्ण अनुदान के सम्बन्ध में मन्त्री जी उत्तर देंगे ।

श्री राम सेवक यादव—

मन्त्री जी किसका जवाब देंगे? हम सब का या इनका ?

श्री अध्यक्ष,—

मन्त्री जी सभी का जवाब देंगे । यह ठीक है, बड़ा विलक्षण सवाल है । यह अनुदान की मांग रखी है। माननीय राजस्व मन्त्री ने और कटौती का प्रस्ताव रखा है। चौधरीरामपालसिंह कटौती के प्रस्ताव पर जो बहस हुई है, उसका जवाब दे रहे हैं । चौधरी रामपाल सिंह जी और सब का पूरा जवाब मूल प्रस्ताव पर राजस्व मन्त्री देंगे ।

श्री राम सेवक यादव—

आखिर इस कटौती के प्रस्ताव पर मन्त्री महोदय का कोई दृष्टिकोण होगा और अधिकृत दृष्टिकोण वही है । वह दृष्टिकोण जब आ जाय तभी तो उसका उचित जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप यहां की परम्परा से शायद परिचित नहीं । मन्त्री जी जवाब देंगे तो फिर पूछेंगे कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ? फिर वह वापस लेना चाहेंगे तो वापस लेंगे नहीं तो इस पर वोट हो जायगा । यही यहां होता है जो पुराने माननीय सदस्य हैं वे सब जानते हैं । एसा हर साल होता है । नियम भी ऐसा है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे अफसर और विधान सभा के कुछ सदस्यों को मिला कर एक कमेटी बनायी जाय जो सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगाये । आज प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और उनके पास कुल जमीन का केवल 33 प्रतिशत रकबा है । 20 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन का 67 प्रतिशत रकबा है । जैसे अधिनियम रोज-ब-रोज लाये जाते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है । सन् 50 के बाद के सभी भूमि के तबादले अब रद्द कर दिये जाने चाहिये और इसके लिये एक आयोग बनाया जाय जो इसकी जांच करे कि सन् 50 के बाद किन-किन लोगों ने अपनी जमीन को किन-किन के नाम ट्रांसफर किया। तभी जमीन निकलगी । ऐसे छोटे-छोटे अधिनियमों को पास कर के जमीन निकलने वाली नहीं और गरीब को मिलने वाली नहीं ।

आज इस प्रदेश में एक लाख से कुछ अधिक गांव हैं और गांवों की दशा ऐसी है कि एक-एक गांव 5—5, 6—6 मील तक फैला हुआ है जिनको मजरा कहते हैं । गांवों का कोई सर्वे नहीं हुआ है । सरकार अब गांवों का सर्वे कराये और ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाई सौ से अधिक है उनको नम्बरी गांव बना दिया जाय और बहुतसे गैर आबाद गांव जो सरकारी कागजों में दर्ज हैं उनको खारिज किया जाय । जिससे उनको भी सारी सुविधायें मिलें । जो गांव सभायें बनें वे कारगर साबित हों ।

गांव के नाम भी अंग्रेजों के समय के बहुत पुराने चले आ रहे हैं जो अजीबो गरीब हैं । जैसे किसी गांव का नाम है चिरइया, किसी का खेड़ा,किसी का पांडेनिबहा, यद्यपि वहां को पांडे नहीं रहता है, किसी का कुड़ियान, यद्यपि वहां कोई कोढ़ी नहीं रहता है । तो मेरा सुझाव है कि पुराने नाम जो चले आ रहे ह इनको भी बदला जाय और ऐसे नाम रखे जाये जो हमारी प्रगति का बोधक हों ।

दाखिल खारिज के मुकदमें पहले तहसीलदार करता है, फिर सारे कागजात हाकिम परगना के यहां जाते हैं। वह दाखिल खारिज के मुकदमें करता है। छोटे-छोटे किसानों को हाकिम परगना के यहां तक दौड़ना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे मुकदमें हाकिम परगना के यहां न होकर तहसीलदार के यहां ही होना चाहिये। इसके अलावा अभी तक तहसीलदार जिन मुकदमों को कर देता है उनकी अपील का नियम नहीं है। उसको रिवीजन में जाना पड़ता है अपील का अधिकार ऐक्ट में होना चाहिये।

बयनामे के बाद दाखिल खारिज के लिये किसानों को बहुत अधिक इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जब बयनामा हो तो उसकी प्रतियां तैयार की जायं और एक प्रति उनमें से तहसीलदार के यहां जाया करे और तहसीलदार उसी के बेसिस पर दाखिल खारिज कर दे, किसान को उसके लिये दौड़ना न पड़े।

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 171 के अनुसार यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जमीन उसके लड़कों के नाम हो जाती है, मृतक की पत्नी के नाम नहीं होती एक लड़का है और दूसरे की बहू है, तो भी उन दोनों के नाम तो जमीन हो जाये मृतक की पत्नी के नाम नहीं होगी। जो ऐक्ट में ऐसा संशोधन होना चाहिये जिससे कि मृतक की पत्नी के नाम भी जमीन हो सके।

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के परगनाधिकारी फैसले बिलकुल भी नहीं करते। वे हर वक्त मन्त्री जी की चापलूसी में ही लगे रहते हैं। हजारों फाइलों का उनके यहां ढेर लगा रहता है। लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में भी मन्त्री जी देखें और जो मुकदमें उनके यहां पड़े हैं उनका फैसला जल्दी करवायें।

जमीन के बारे में जो अलग-अलग तरह के अधिनियम बने हुए हैं, मेरा सुझाव है कि उन सभी अधिनियमों का एक करके एक ऐसा अधिनियम बनाया जाय जिसमें यह सारे अधिनियम आ जायं, एक रेवेन्यू ऐक्ट बन जाये। मंगलदेव विशारद कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको भी लागू किया जाय। उस पर माननीय राजस्व मन्त्री जी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हम लोग मांग करेंगे कि सदन को इसका विश्वास दें कि राजस्व विभाग के यह जो कार्य हैं इसमें जिन चीजों को उठाया गया है उन चीजों के बारे में तत्काल ही अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करें और यह दिखायें कि हमने कुछ किया है। आज कुछ नहीं हो रहा है।

मान्यवर, यह राजस्व विभाग कई हिस्सों में बंटा है। इससे पहले भी कई सरकारें इस प्रदेश पर शासन कर चुकी हैं पर शासन से इस प्रदेश का गरीब आदमी बराबर गरीब होता चला जा रहा है। तो मान्यवर, हमने जैसा सवाल उठाया था, उन्होंने जो भूमि विकास टैक्स लगाया है उसको तुरन्त माफ कर देना चाहिये। क्योंकि यह टैक्स भूमि विकास लिये नहीं लगाया गया है। यह तो खाली सरकारी खजाने में जमा करने और सरकारी नौकरों को तनख्वाहें देने के लिये लगाया गया है। तो भूमि विकास टैक्स को समाप्त करें। और माल-गुजारी को अब लगाने की हिम्मत न करें। इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगान के नाम को ही खत्म कर दीजिये इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप आय कर लगाइये, बड़े बड़े आदमियों के ऊपर। ऐसी ही बहुत सी चीजों में आप परिवर्तन करें, आपको सुधार करना चाहिये।

हमारे मन्त्री महोदय ने बार-बार यह बात कही है कि हमने तो आदेश भेज दिया है, नियुक्ति विभाग में। जैसे हमारे यहां एक एस० ओ० सी० का आदेश नियुक्ति विभाग में पड़ा हुआ है।

[चौधरी रामपाल सिंह सिंह]

आज भी वह रिलीव नहीं हो रहे हैं । क्या कारण है । आप आदेश देते हैं, वह 20 दिन-25 दिन और महीने-महीने भर नियुक्ति विभाग में पड़े रहते हैं । जो आपका यह राजस्व विभाग है जब कोई आदेश जाय चाहे वह आदेश किसी की नियुक्ति का हो या फिर वह किसी ट्रांसफर का हो या किसी भी चीज का हो उस पर तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिये । राजस्व विभाग से जनता का सीधा सम्पर्क रहता है, किसी भी आदेश में देरी होने से जनता का ही नुकसान होता है । अतः इन सारे रास्तों पर आपको नये सिरे से सोचना है, नये सिरे से चलना है । आप एक नया रास्ता उपस्थित करें । आपका जो अंग्रेजी जमाने का रेवेन्यू ऐक्ट है उसको आपको गंगा जी में डाल देना चाहिये । और आपको अपनी अक्ल से एक नया रेवेन्यू ऐक्ट बनाना चाहिये जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके । तो आज आप जरूरत पर विचार करें और ऐसी चीजें में परिवर्तन करें जिससे जनता पर प्रभाव पड़ सके और कुछ वसूल भी हो सके । इन सड़े गले कानूनों से देश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है ।

आपकी नौकरशाही का भी रवैया ठीक नहीं है । आपके तहसीलदार, हाकिम परगना, कलेक्टर आज दौरे पर जाते हैं तो बिलकुल सब वैसा ही होता है जैसा अंग्रेजी जमाने में होता था । तंबू लगते हैं, छोलदारियां लगती हैं, बैलगाड़ियां आती हैं । चुरट पिये जाते हैं, हुक्का पिया जाता है । नवाबों की तरह धूम फिर के लौट आते हैं। चार दिन के लिये दौरा कर आते हैं और कोई काम नहीं होता है ।

आपके जो भी कलेक्टर हैं आप उनसे कहिये कि हर जिले की प्रत्येक तहसील का, एक-एक दिन का दौरा करना है । अगर किसी जिले में 10 तहसीलें हैं तो एक-एक दिन प्रत्येक तहसील में दौरा करना है । अब नवाबी तरह का जो दौरा होता था उससे काम चलने वाला नहीं है । मैं जो सुझाव दे रहा हूं और जो सुझाव हमारी तरफ से उठाये गये हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, उनके बारे में कुछ करें ।

इन शब्दों के साथ में इस सदन से निवेदन करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव है उसको स्वीकार करें ।

(अध्यक्ष द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री कहने पर और बीच में श्री गोरे लाल शाक्य के खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप 2–3 बार खड़े हो चुके हैं । आप बोल भी चुके हैं । आपको समान्य चर्चा पर बोलने का मौका तो मिला है ।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं इस सदन में सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि कुछ सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये जनकी आवश्यकता है कि कुछ परिवर्तन हों । लेकिन अधिकतर हमारे माननीय सदस्यों ने जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको अपने जिले के जो भ्रष्टाचार मालूम पड़े उनको उन्होंने बयान किया । मुझे अफसोस है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमने राजस्व मन्त्री को कम्प्लेन्ट भेजी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारी समझ में वह गलत कह रहे हैं या शायद उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने भाषण में कुछ कहना है । मेरी समझ में जबसे मैंने राजस्व विभाग संभाला है, इस चुनाव के बाद, कोई ऐसी कम्प्लेन्ट नहीं होगी जिस पर कठोर से कठोर कार्यवाही न हुई हो । कुछ सदस्यों का कहना है कि भ्रष्टाचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है तो इसे मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार जब दूसरी सरकारें थीं तब भी था और भ्रष्टाचार के भाषण होते थे, इस तरफ के जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं वे भ्रष्टाचार की आवाज सुना करते थे। तो मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है।

लेखपाल तथा कुछ तहसीलदार लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चकबन्दी में, रेवेन्यू में, आवंटन में और कुछ सहायता जो बंटती है उसमें भी भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार की नीति कठोर से कठोर है। लेकिन जब कोई राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार मिटाने के कठोर कदम उठाये जाते हैं तो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं परन्तु आज जो भाषण, दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है वही, माननीय सदस्य इस बात पर प्रेसर डालने के लिये आते हैं कि अमुक अधिकारी का ट्रांसफर किया जाय। तो यह भ्रष्टाचार राजनीतिक शक्ति से कम दबेगा, कानूनों का कम असर होगा। हमारे चौधरी राम पाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने लांक्षन लगाया कि एक एस0 ओ0 सी0 का ट्रांसफर किया गया परन्तु बाद में मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री पर दबाव पड़ा कि उसका ट्रांसफर आर्डर कैंसिल कर दिया जाय और बाद में उसका ट्रांसफर आर्डर कैंसिल कर दिया गया। यह बिलकुल गलत है। उसका ट्रांसफर हुआ है। उसका ट्रांसफर आर्डर कैंसिल नहीं किया गया है। हम किसी के दबाव से काम नहीं करते हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

ट्रांसफर कौन सी चीज है। यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट हो तो उसका ट्रांसफर होना ही चाहिये किस सदस्य ने सिफारिश की है। आपका यह आरोप गलत है। आप अपने ऐबों को छिपा रहे हैं। इससे सदन को हम नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

चौधरी चरण, सिंह---

मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों की यह उचित मांग है कि जब माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि विरोध पक्ष भ्रष्टाचार की बात करता है लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सही सिफारिश के लिये आते हैं। तो मुनासिब यह है कि मन्त्री जी यह बतायें कि विरोधपक्ष के किस व्यक्ति ने स्वयं ट्रांसफर कैंसिल करने के लिये कहा। मुनासिब यह नहीं है कि आप विरोध-पक्ष पर इल्जाम लगायें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अगर माननीय मन्त्री कहें तो बता सकता हूं कि किस रेवेन्यू आफिसर को तरक्की दी गई।

एक सदस्य---

हमारे यहां के हाकिम परगना को किसने रखवाया....

(व्यवधान)

श्री बांके लाल---

अभी आपके एक दरोगा जगदीश पांडे ने एक सैनिक को पीटा क्यों नहीं उसको मुअत्तिल किया..

(व्यवधान)

मैं तीन बार से सदस्य चुन कर आ रहा हूं। बतायें मन्त्री जी मैं कभी गया होऊं ट्रांसफर के लिये। इन्होंने विरोध पक्ष पर क्यों आरोप लगाया.....

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

हमारे माननीय चौधरी साहब ने यह कहा कि मैंने अपने भाषण में विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के भ्रष्टाचार के बारे में कहा है । मैंने विरोध पक्ष शब्द नहीं कहा । उधर से जो भाषण हुए और इधर से जो भाषण हुए.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग ही गये या उनके पक्ष के लोग भी आये ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अगर इस बात का सबूत जानना चाहते हैं तो हमारे रामवचन जी यादव जो बड़े गुस्से में खड़े हुए हैं उन्होंने यह शिकायत की कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है । मैंने उसकी इंक्वायरी अपने ज्वाइंट डायरेक्टर से करवायी और उनकी जो रिपोर्ट आयी उसमें यह है कि रामवचन यादव जी ने अपने चक अच्छे बनवा लिये हैं जो कि नहीं बनने चाहिये थे । मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता था ।

श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)---

यह गलत है जो मंत्री जी ने कहा है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो वह कानून से नहीं मिटेगा । अगर मिट सकता है तो वह हमारे लोगों के चरित्र से मिट सकता है । मैं वायदा करता हूं और कसम खाता हूं कि अगर आप सभी का सहयोग मिलेगा तो भ्रष्टाचार को मैं कम करूंगा । हमारे चौधरी साहब ने आक्षेप किया कि एस0 ओ0 सी0 का ट्रांसफर किया । हमारे मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री के ऊपर दबाव पड़ा । दबाव पड़ने का सवाल नहीं उठता, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ और मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो उसका ट्रांसफर नहीं होगा । चौधरी साहब भ्रष्टाचार के सबूत नहीं दे पाये लेकिन मुझको मालूम था कि यह हाकिम ठीक नहीं है । मैंने उनके खिलाफ इंक्वायरी सैट अप कर दी है ।

चौधरी चरण सिंह---

कौन से चौधरी साहब ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मेरा मतलब चौधरी रामपाल सिंह से है । उन्हें मालूम है कि जितनी शिकायतें उन्होंने दी मैंने ऐक्शन लिया । वह जिस भ्रष्टाचार को रोशनी में नहीं लाये थे मैंने उनके सामने पेश किया कि यह भ्रष्टाचार और है । जहां तक चकों का सवाल यह सही है कि गरीब किसानों से पैसा लिया जाता है । लेकिन राज्य सरकार का उसमें कोई कसूर नहीं है । उसमें प्रतिबंध बहुत कड़े हैं । मैंने पिछले दो महीनों में जितना ऐक्शन लिया है उतना पिछले साल में नहीं लिया गया । जहां तक आवंटन और सहायता की बात है तो भाषण काफी हुए । मैंने कई बार प्रार्थना की कि केसेज दीजिये तो मैं सीधे इंक्वायरी करूंगा । आज भी जो भाषण हुए हैं तो मैंने उनको नोट किया है और माननीय सदस्यों को इत्तिला दूंगा कि यह ऐक्शन हुआ । मैं दोनों पक्षों के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि भाषण करने के पहले इस बात को देख लें कि राज्य-सरकार ने इस विभाग में भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की है या नहीं ।...

कोई कम्प्लेन्ट न दे और सिर्फ भाषण में छपने के लिये इवजाप्पिल देना, अच्छा नहीं मालूम देता। विकास कर के बारे में चौधरी राम पाल सिंह ने सुझाव दिया। मैं तो समझता हूं कि यदि गरीबों को फायदा देना है, बड़े जोतकर वालों पर टैक्स लगाना है, तो विक्रय के बारे में विरोधी पक्ष को कोई विरोध नहीं करना है। सवा-छः एकड़ तक तो लगान माफ ही है। विकास कर तो केवल बड़ी जोत वालों पर है, विकास कर समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। यह बड़े किसानों पर भार है, छोटे किसानों पर नहीं।

जितने सुझाव आये हैं, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी पर गंभीरता से विचार किया जाय। लिटिगेशन पर सुझाव आये, उन पर भी विचार होगा। गरीब किसानों को रेवेन्यू लिटिगेशन में जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिये। सरसरी तौर पर खारिज न होना बल्कि उन्हें एक अपील का मौका देना अनिवार्य है। तो जो आप लोगों के सुझाव हैं, उन पर विचार किया जायगा और उनको कार्यान्वित किया जायेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार की शिकायत है, उसको हम निर्मूल करने की भरसक कोशिश करेंगे। यह मैं हाउस को आश्वासन देना चाहता हूं। अन्त में मैं माननीय चौधरी रामपाल सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह वह मुझमें विश्वास करते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, उनको अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये। यह मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदन संख्या 7--भू-राजस्व के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में	125
विपक्ष में	147

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7 भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की मांग के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,92,800 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39---दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-बैंची आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,00,24,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

15 मिनट का समय मैं और बढ़ा देता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76——जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर से सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76——जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,00,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90——ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90——ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,69,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष——

एक श्री बाबूलाल वर्मा ने प्रदेश में मिट्टी के तेल के अभाव के बारे में दिया है । इस पर चर्चा हो चुकी है अतः अस्वीकृत किया गया है । दूसरा श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ने फर्रुखाबाद जनपद में थाना कन्नौज के अन्तर्गत बदमाशों के भयंकर आतंक के सम्बन्ध में सूचना दी है । इस विषय में आपको दो-तीन रोज में बजट में बोलने का मौका मिलेगा । इसलिए स्वीकार नहीं किया गया । तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह ने दी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं को दीर्घकाल से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक कठिनाई उनको है । इसमें सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिये स्वीकार नहीं किया गया । एक सूचना सर्वश्री जनार्दन प्रसाद, हरिकेवल प्रसाद, जमुना प्रसाद बोस, चौधरी रामपाल सिंह तथा श्री कुशवाहा ने दी है कि लखनऊ स्थित बटाला इंजीनियरिंग वर्क्स में पलाई ह्वील का चक्का टूट जाने के फल स्वरूप दो मजदूरों की मृत्यु हो गई । तो यह स्थानीय निकायों से सम्बन्धित है और सरकार का दायित्व सीधा नहीं है इसलिए स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, चाहे यह स्थानीय निकाय का ही मामला हो किन्तु एक आदमी जो बुरी तरह से घायल हुआ था उसकी भी मृत्यु आज हो गई है। तो इस पर तो वक्तव्य हो ही सकता है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि सरकार के कारण तो नहीं हुआ है .....(व्यवधान) वक्तव्य तो उस पर होता जिस पर शासन का सीधा सम्बन्ध हो और उसका दायित्व हों। इसे कार्यवाही के लिये हम भेज सकते हैं लेकिन वक्तव्य नहीं हो सकता.....(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, फैक्टरी नियमों का उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

एक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मधुकर दिघे का है कि खोरावार में उबंरक के अभाव से संकट उत्पन्न हो गया है। इसमें चर्चा यहां पर हो चुकी है।

(व्यवधान)

सर्वश्री सत्यपाल मलिक, ऊदल सिंह व विक्रम सिंह ने बुलन्दशहर जिले में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में दिया है। यह भी आप जब बजट आएगा तब उस पर बोल सकते हैं और सरकार का ध्यान खींच सकते हैं। श्री काशीनाथ मिश्र व श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ने जयप्रकाश नारायण द्वारा इलाहाबाद में विरोधी दलों के साथ मिल कर तथाकथित हिंसात्मक व तोड़फोड़ के आन्दोलन की साजिश के सम्बन्ध में दिया है। यह भी काल्पनिक है, इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया है। (व्यवधान) एक श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा का है वह भी अस्वीकार किया गया है। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

प्रदेश के कुछ विरोधी दलों के नेता जयप्रकाश बाबू से मिलकर प्रदेश में, उसकी शांति और व्यवस्था के साथ षड़यंत्र कर रहे हैं और बिहार की तरह यहां भी हिंसात्मक आन्दोलनें चलाने की तैयारी कर रहे हैं, इससे लोकशाही की हत्या होगी (व्यवधान) इन लोगों के कार्यों से जन भावना को बड़ी ठेस पहुंचेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आदरणीय सदन का ध्यान दिलाया जाए और मुख्य मन्त्री जी इस पर वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने किसी को समय नहीं दिया है। आप लोग अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। कार्य-सूची 16 अब हम ले रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में चीनी मिलों से संबंधित उत्पन्न समस्याओं के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दुल्हापुर केन्द्र पर दिनांक 12-6-74 से खुली खरीद प्रारम्भ की गयी थी तथा दिनांक 19-6-74 तक बराबर गन्ने की खरीद की गयी। इस अवधि की खरीद की तिथिवार विवरण निम्न प्रकार है: दिनांक 12-6-74 को 1175 कु0, 13-6-74 को 1777 कु0, 14-6-74 को 1752 कु0 16-6-74 जो 857 कु0, 17-6-74 जो 960 कु0, 18-6-74 को 582 कु0 तथा 19-6-74 को 950 कु0, दिनांक 20-6-74 को खरीद बन्द रही इस के सम्बन्ध में मिल से पूछा गया है कि उन्होंने बिना पूर्व सूचना के क्रय केन्द्र पर गन्ना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

क्रय करना क्यों बन्द किया। मिल ने इस केन्द्र के कृषकों से अनुरोध किया था कि वे बराबर कन्द्र जो दूल्हापुर केन्द्र से केवल 5 कि0 मी0 दूर है एवं पक्की सड़क पर है, पर गन्ना ले आवें जिससे कुछ कृषक इस केन्द्र पर गन्ना लाये भी। इस सम्बन्ध में भी मिल को आदेश दिये गये कि सम्बन्धित क्षेत्र का गन्ना क्रय उसी केन्द्र पर होगा जिस पर वह सम्बद्ध है। दूल्हापुर कन्द्र पर लगभग 5000 कु0 गन्ना पूर्ति हेतु उपलब्ध होने का अनुमान है। मिल ने दिनांक 21-6-74 से पुनः दूल्हापुर क्रय केन्द्र पर गन्ना क्रय करना प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही मिल को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह खरीद किसी हालत में बन्द नहीं करेंगे जब तक सुरक्षित क्षेत्र का समस्त गन्ना समाप्त न हो जाये।

यह सत्य है कि एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री बरेली पर चालू वष का लगभग 77.85 लाख रुपये गन्ना मूल्य बकाया है, परन्तु मिल ने बकाया देने से इन्कार नहीं किया। बकाया के लिये गन्ना आयुक्त ने वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जिसके आधार पर कलेक्टर ने मिल का बैंक एकाउन्ट (Bank Account) व चीनी के बोरे कुर्क कर लिये हैं। गन्ना मूल्य का भुगतान विशेष रूप से बैंक द्वारा मिल को क्रेडिट लिमिट न बढ़ाने व प्रति बोरे पर मार्जिन बढ़ा देने के कारण रुक गया। जैसे ही मिल को बैंक द्वारा धन की उपलब्धि हो जायगी गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाने की सम्भावना है।

देवरिया जनपद में कुल 14 चीनी मिलें हैं। इन मिलों पर दिनांक 31-5-74 को वर्तमान सीजन (1973-74) का कुल गन्ना मूल्य बकाया रु0 65.92 लाख था और वर्तमान सीजन से पूर्व सीजनों का कुल गन्ना मूल्य बकाया रु0 19.28 लाख था। विगत सीजनों का गन्ना मूल्य बकाया केवल 3 चीनी मिलों पर अवशेष है। खड्डा चीनी मिल पर विगत सीजन 1968-69, 1969-70 एवं 1970-71 का गन्ना मूल्य बकाया रु0 9.82 लाख अवशेष है। रामकोला (खेतान) चीनी मिल पर विगत सीजन 1968-69 एवं 1969-70 का गन्ना मूल्य रु0 8.78 लाख अवशेष है। भटनी चीनी मिल पर सीजन 1968-69 से पूर्व का गन्ना मूल्य बकाया 0.68 लाख अवशेष है। फलस्वरूप भटती तथा खड्डा चीनी मिलों को अन्य मिलों के साथ सरकार द्वारा प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया है और इस समय यह दोनों मिलें उत्तर प्रदेश राज्य की निगम के नियन्त्रण में संचालित हैं। रामकोला (खेतान) चीनी मिल में रिसीवर नियुक्त हैं। गोरी-बाजार, कप्तानगंज, कठकुंईयां, परतापपुर, एवं रामकोला चीनी मिलों पर कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों ने, जिनके जिम्मे केवल वर्तमान सीजन का गन्ना क्रमशः रु0 5 लाख एवं रु0 3.30 लाख अवशेष है, सम्बन्धित गन्ना समितियों से समझौता किया है, जिसके अनुसार गन्ना समितियों ने सहकारी बैंक से कर्जा लेकर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कर दिया है। सेवराही चीनी मिल, जिस पर केवल वर्तमान सीजन का गन्ना मूल्य रु0 2.37 लाख अवशेष है, इस बकाया का माह जुलाई, 1974 के अन्त तक भुगतान कर देगी। लक्ष्मीगंज चीनी मिल पर केवल वर्तमान सीजन का गन्ना मूल्य रु0 7.72 लाख बकाया है, जिसकी भी वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है। पडरौना चीनी मिल पर केवल वर्तमान सीजन का गन्ना मूल्य रु0 7.45 लाख अवशेष है, जिसका भुगतान मिल द्वारा माह जुलाई के पहले सप्ताह तक कर दिया जायेगा।

उपरोक्त स्थिति से विदित होगा कि वर्तमान सीजन में दिनांक 31-5-74 तक देवरिया जनपद की कुल 14 चीनी मिलों ने रु0 1287.36 लाख मूल्य का गन्ना क्रय किया जिसमें से रु0 1221.44 लाख का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है और केवल रु0 65.92 लाख ही भुगतान हेतु अवशेष रह गया है, जिसके शीघ्र भुगतान हेतु उपरोक्तानुसार प्रयास किया जा रहा है।

बाराबंकी की बढ़वल चीनी मिल के ऊपर दिनांक 31-5-74 तक की गन्ना मूल्य व कमीशन की स्थिति निम्नांकित है:--

	अवशेष धनराशि (लाख रुपयों में)
1--गन्ना मूल्य सीजन 73-74 ..	12.58
2--कमीशन सीजन 73-74 ..	0.08
3--व्याज गन्ना मूल्य सीजन 73-74 ..	0.18
4--गन्ना मूल्य सीजन 73-74 ..	55.76
5--कमीशन सीजन 73-74 के पूर्व का ..	2.26
6--व्याज गन्ना मूल्य पुराना ..	20.87
7--व्याज कमीशन पुराना ..	1.04
कुल योग ..	92.77

यह मिल उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर ली गई थी। किन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था। इस चीनी मिल की मशीनरी की हालत जर्जर अवस्था में हैं और इसी कारण से टूट-फूट भी अधिक होती है और चीनी का पर्ता भी कम पड़ता है। इसके रिसीवर के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। यह मिल ठीक से चल सके इसके वास्ते उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि स्थगन के जो आदेश दिये गये हैं वह रद्द कर दिये जायें ताकि चीनी निगम इस मिल का कार्य संचालन ठीक से कर सकें। चीनी मिल बन्द करने का शासन का कोई निर्णय नहीं है। यह पता चला है कि सीजन 73-74 के गन्ना मूल्य की ओर मिल को सेन्ट्रल बैंक से 02.30 लाख कम मिला है जिसकी जांच की जा रही है।

एक सदस्य--

कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वित्त मन्त्री के पीठ के पीछे मेला लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

अब समय के बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

15 मिनट बढ़ा दिए जायं।

डायमण्ड चीनी मिल, पिपराइच, गोरखपुर पर 30.4.1972 को रिसीवर नियुक्त हुआ है मिल के ऊपर गन्ना मूल्य क्रयकर, आदि के लगभग 75.51 लाख रु0 के बकाया की वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए व तत्पश्चात 19.6.74 को उक्त मिल की नीलामी कर दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम ने नीलामी म सबसे अधिक 55 लाख रु0 की बोली देकर उक्त मिल को खरीद लिया है। अब चीनी निगम द्वारा मिल का भविष्य निश्चित किया जाना है। गन्ना विकास समिति पिपराइच, ने भी उक्त मिल को चलान की इच्छा प्रकट की है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

सबकी सहमति से वह तो बढ़ा ही हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जरवल मिल के मालिकों द्वारा शासन ने इस मिल के अधिग्रहण के विरुद्ध उच्च-न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के बाद मिल पर जुलाई 1972 से रिसीवर की नियुक्ति हुई। इस मिल पर गन्ना मूल्य का 50.67 लाख रु0 बकाया है जिसमें से रिसीवर काल से पूर्व का 36.95 लाख रु0 है। श्रमिकों का बकाया 14.95 लाख रु0 है।

चूंकि मिल की मशीनरी जर्जर अवस्था में ह और मरम्मत की धनराशि उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों की मरम्मत की धनराशि के औसत तक सीमित है, जो अत्यन्त अपर्याप्त है, अतः इस कारण चीनी का परता भी बहुत कम आता है और उत्पादन मूल्य भी चीनी की बिक्री मूल्य की अपेक्षा लाभकर नहीं है।

उक्त चीनी मिल के भविष्य के सम्बन्ध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्' देवरिया जिले की रामकोला खेतान मिल के ऊपर गन्ना किसानों का 9 लाख रु0 बकाया है। उसको दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह ठीक है कि इस मिल पर 9 लाख 22 हजार रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। इसके सम्बन्ध में बैंकों से अधिक रूपया प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और सहकारी समितियों से भी कर्ज लेने की कोशिश की जा रही है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

श्रीमन्, पीलीभीत में सवा रुपया कार्टिंग का और काशी पुर में दो रुपया कार्टिंग का मिल वाले कम दे रहे हैं गन्ना किसानों को। उनका कहना है कि इसके लिये उन्होंने सरकार की ओर से अनुमति ले ली है और सरकार से कह दिया है कि वह कोई आपत्ति नहीं करेगी। बिना सरकार की अनुमति के कार्टिंग का रेट कम नहीं कर सकते हैं तो श्रीमन्, यह क्या बात है इसको मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया है कि यह वर्ष गन्ना मिलों के लिये विशेष प्रकार का रहा है। एक तरफ सरकार ने इनके ऊपर दबाव दिया कि किसानों के हित में सारा गन्ना पेरा जाय। गन्ने के दाम सवा तेरह रुपये पश्चिमी जिल में और सवा बारह रुपये पूर्वी जिले मे देने को कहा गया। उन्होंने बार बार कहा कि व इतना नहीं दे सकते लेकिन उनको इस मूल्य पर गन्ना लेने को विवश किया गया। दूसरे रिजर्व बैंक के नियंत्रण की वजह से जो मार्जिन की लिमिट थी उसको कम कर दिया उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से मिलों के पास जितना रुपया बैंक्स से मिल सकता था उत्पादन के आधार पर उतना रुपया नहीं मिल सका। बकाया रुपये के भुगतान के प्रयास किया जा रहा है। पिछली 5 जून, को जो बैठक हुई थी उसमें केन्द्र के वित्त मन्त्री श्री चौहान साहब भी आये थे, गवर्नर रिजर्व बैंक थे और बैंकों के प्रतिनिधि थे और प्रदेश सरकार ने कहा कि उत्पादन के आधार पर फी बोरा जो मिलता है वह किसानों को भुगतान किया जाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपक माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानवेा चाहूंगा कि बुढ़वल चीनी मिल में 1973–74 में कितना मुनाफा हुआ या कितना घाटा हुआ और कितना मूल्य बकाया रह गया है। रिसीवर इन्तजाम देख रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि मिल मालिकों के समय का मूल्य बकाया है या रिसीवर के समय का मुल्य बकाया है ? बाराबंकी मिल में कितना मूल्य बकाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बुढ़वल चीनी मिल की स्थिति यह रही है कि 1 करोड़ से अधिक बकाया है । जो अब तक घाटा हुआ है वह 1 करोड़ 29 हजार के लगभग है और पिछले 1967–68 से लगातार यह घाटे पर चल रही है । 73–74 में 33 लाख के करीब घाटा रहा है । मैं सम्मानित सदस्य को आमंत्रित करता हूं और उनका परामर्श चाहता हूं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

असल में सवाल जो है.....

श्री बेनी प्रसाद—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ है । यह गलत बात है ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

डाइमण्ड सुगर मिल पर 84 लाख रुपया किसानों और मजदूरों का बकाया है । उसे 55 लाख रुपये में चीनी निगम ने खरीद लिया है । यह जो 84 लाख रुपया है उसके भुगतान के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है । घुघली चीनी मिल पर किसान और मजदूरों का कितना रुपया बकाया है क्या मिल मालिकों ने मजदूरों के प्राविडेन्ट फन्ड का मिसएप्रोप्रिएशन किया है, यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी । तीसरा यह है कि जो चीनी मिलों में घाटा हो रहा है वह क्या दिखावा मात्र है । यह जानकर कि सत्ता पक्ष ने राष्ट्रीयकरण की मांग की है और अब सत्ता पक्ष राष्ट्रीयकरण से भाग रहा है और पूंजी पतियों के सामने झुक रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा मैं बता चुका हूं कि विगत 19 जून को इस फैक्ट्री में नीलाम हुआ बकाया न देने के कारण और 55 लाख रुपये में यू0 पी0 शुगर कारपोरेशन ने इसे खरीद लिया है । वहां यह सर्वसम्मत प्रस्ताव आया है कि वहां की केन यूनियम उस मिल को खरीदना चाहती है और वहां के मजदूर उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं और मजदूरों की भी यही इच्छा है । यह शासन के पास आज ही प्रस्ताव आया है । अगर यह व्यवस्था हो सके तो प्रदेश में नई बात होगी । घुगली मिल के बकाये की जहां तक बात है उस पर लगभग 16 लाख रुपया बकाया है ।

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा है कि चाहे बुढ़वल मिल हो या कोई भी मिल हो । जब से यह सरकार के कब्जे में आई है तब से कितना घाटा हुआ और पहले कितना घाटा था । जब से निजी हाथ में थी तब से कितना घाटा था खासतौर से बुढ़वल और बाराबंकी मिल के बारे में माननीय मन्त्री जी बता दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सरकार ने 12 चीनी मिल एक्वायर किया था । 7 में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है 5 हाथ में आई हुई थीं । इन 7 मिलों को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था लेकिन हाई कोर्ट से स्टे हो गया था । इन मिलों पर मरम्मत में लगभग 12 लाख रुपये मरम्मत में लगने चाहिए लेकिन हाई कोर्ट का आर्डर था कि केवल साढ़े 3 लाख रुपया लगाया जा सकता है । बुढ़वल में लगभग 32 लाख रुपये चाहिए । हम हाई कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते । 3 जुलाई को हाई कोर्ट खुलने वाला है, वहां पर हम अर्जी लगा रहे हैं । हम इन 7 मिलों के बारे में हाई कोर्ट में अर्जी लगायेंगे कि मरम्मत के लिये जो आवश्यक धनराशि है उसको मरम्मत में लगा सकें । चूंकि हाई कोर्ट का उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इसलिए

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह घाटा हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे रेसीवर फैक्ट्रीज को दाम हमने जबरदस्ती दिलवाया जो एक प्रकार से दाम नहीं माना जा सकता था इसलिए रसीवर फक्ट्रीज में कुछ घाटा हुआ।

श्री रामसेवक यादव---

(श्री हरीश कुमार गंगवार के पुकारे जाने पर) मान्यवर, क्या पूरे प्रदेश से गन्ने का दाम मिल रहा है या रेसीवर वाली मिल से मिल रहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 77.85 लाख रुपये गन्ने का मूल्य जो बकाया है, परन्तु मिल ने बकाया देने से इन्कार नहीं किया। बकाया के लिए गन्ना आयुक्त ने वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जिसके आधार पर कलेक्टर ने मिल का बैंक एकाउन्ट व चीनी के बोरे कुर्क कर लिये हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो कहते हैं कि बकाया देने से इन्कार नहीं किया और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गन्ना आयुक्त ने वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया तो इसको माननीय मन्त्री जी जरा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो बरेली मिल के बारे में माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, उस मिल के बारे में माननीय सदस्य अवगत हैं। हमने इसीलिए शिकायत की। आज उनके चीनी के बोरे सारे कुर्क हो रहे हैं। एक लाख 707 बोरे इस समय कुर्क हैं। इसमें से कुछ रिलीज भी हो रहा है।

रिलीज होने पर यह आशा है कि 18 लाख रुपया एक और 10 लाख मार्जिन घट जाने से 60 लाख रुपये का इन्तजाम हो सकेगा जिससे किसानों को बकाया दिया जा सकेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

वहां पर फ्री शुगर के बोरे जो रखे गये हैं, सरकार ने कुर्क किए और उसकी संख्या 1 लाख बतायी जबकि हमारे पास जो सूचना है, उसके अनुसार वह संख्या 11,795 आती है, जिसको कुर्क किया गया है और जिसकी कीमत 18 लाख हो जाती है। मिल के ऊपर 77 लाख 85 हजार रुपया बाकी है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह गन्ने का पेमेंट हो सकता है। अगर सारे के सारे मिल को ही नीलाम कर दिया जाय तब भी गन्ने वालों का पेमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए निश्चित अवधि बता दी जाय कि कब तक किसानों का पेमेंट हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मने अपने वक्तव्य में बोरों का तो जिक्र नहीं किया। यह कहा है कि मिल का बैंक एंकाउन्ट व चीनी के बोरे कुर्क कर दिए हैं। जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तो मने उसके उत्तर में बताया कि 1 लाख 77 हजार हैं जो कुर्क किए गए ह। हमें बैंकों के मार्जिन घट जाने से 32 लाख रुपया मिलेगा और 18 लाख रुपया हमें अनरिर्जव्ड शूगर से प्राप्त हो जायगा। तब हम किसानों को 60 लाख रुपया दे पायेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

कोई निश्चित तिथि आपने नहीं बतायी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप जानते हैं कि कितनी लैवी शगर और कितनी वसी शूगर रिलीज होती है, बैंक किस तारीख से इस आग्रह को स्वीकार करता है, कि मार्जिन घटा दिया जाय, इन सब बातों पर मुनहसर करता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यह चीनी जो हमारे प्रदेश में उत्पादित हुयी है, उस अनुपात से प्रत्यक फैक्ट्री को लिमिट निश्चित की जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय उद्योग मंत्री ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 3 पर कहा है कि बुढ़वल चीनी मिल उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अजन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर ली गयी थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने कब अधिग्रहीत की और कब उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को रद्द करने की दरख्वास्त दी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस मिल में 5-8-1969 को रिसीवर मुकर्रर हुआ। 9-8-1969 से 5-3-70 तक श्री देव कान्त दीक्षित, मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिसीवर के रूप में कार्य किया और 9 मार्च, 1970 से पहले औफिशियल रिसीवर ने चार्ज लिया ।

जो समय-समय पर हाईकोर्ट में रिट हुए उसकी तारीख तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कदाचित् 1970 के लगभग यह हाई कोर्ट में रिट हुआ।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
25 जून, 1974।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर]

संलग्नक–1

क्रम-संख्या	जिले का नाम	वितरित की गयी बोनस की धनराशि
		रु0
1	बाराबंकी	7,000
2	गोंडा	10,109
3	बहराइच	2,000
4	मुरादाबाद	53,902
5	रामपुर	46,053
6	हमीरपुर	30,451
7	बांदा	6,890
8	आगरा	93,421
9	अलीगढ़	10,000
10	मुजफ्फरनगर	49,994
11	फतेहपुर	411
12	इटावा	80,983
	योग ..	3,88,263

अदर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

वर्ष 1972-73 में जिन जिलों में पेय जल योजनऐं लागू की गई उनकी सूची

कुल व्यय---789.571 लाख रुपये

ग्रामीण क्षेत्र का व्यय---452.887 लाख रुपये

नगरीय क्षेत्र का व्यय---336.684 लाख रुपये

1---देहरादून
2---झांसी
3---इटावा
4---मेरठ
5---सहारनपुर
6---रायबरेली
7---इलाहाबाद
8---बिजनौर
9---देवरिया
10---कानपुर
11---जालौन
12---जौनपुर
13---आगरा
14---लखनऊ
15---रामपुर
16---मुजफ्फरनगर
17---हरदोई
18---उन्नाव
19---नैनीताल
20---पौड़ी
21---अल्मोड़ा
22---टेहरी
23---वाराणसी
24---बांदा
25---मिर्जापुर
26---गाजीपुर
27---मथुरा
28---अलीगढ़
29---आजमगढ़
30---फर्रुखाबाद
31---गोंडा
32---फतेहपुर
33---चमौली
34---पिथौरागढ़
35---एटा
36---मुरादाबाद
37---मैनपुरी
38---उत्तरकाशी
39---बस्ती
40---बरेली
41---हमीरपुर
42---बलिया
43---खीरी
44---फैजाबाद
45---वाराणसी
46---गोरखपुर
47---बुलन्दशहर
48---सुल्तानपुर
49---शाहजहांपुर
50---बहराइच ।

वर्ष 1973–74 में जिन जिलों में पेयजल योजनायें लागू की गई उनकी सूची

कुल व्यय—705.318 लाख रुपये

ग्रामीण क्षेत्र का व्यय—347.680 लाख रुपए

नगरीय क्षेत्र का व्यय—357.638 लाख रुपए

1—उन्नाव
2—सहारनपुर
3—इटावा
4—इलाहाबाद
5—लखनऊ
6—राय बरेली
7—बुलन्दशहर
8—आगरा
9—मेरठ
10—मुरादाबाद
11—वाराणसी
12—मुजफ्फरनगर
13—कानपुर
14—बिजनौर
15—बलिया
16—बदायूं
17—बरेली
18—देहरादून
19—मिर्जापुर
20—बांदा
21—जौनपुर
22—बस्ती
23—देवरिया
24—फैजाबाद
25—गाजीपुर
26—गोंडा
27—गोरखपुर
28—प्रतापगढ़
29—अलीगढ़
30—मथुरा
31—मैनपुरी
32—फर्रुखाबाद
33—बाराबंकी
34—फतेहपुर
35—हरदोई
36—खीरी
37—झांसी
38—जालौन
39—हमीरपुर
40—अल्मोड़ा
41—नैनीताल
42—आजमगढ़
43—एटा
44—पीलीभीत
45—सीतापुर
46—पौड़ी
47—टेहरी

नत्थी 'ग'

(देखिए अता० पृ० सं० 6 का उत्तर पीछे पृ० 29 पर।)

संलग्नक

1—श्री महेन्द्र पुत्र श्री जगनी लाल मोदी, निवासी प्लाट नं० 85/1.2 माट्गा, बम्बई। (बम्बई का एक व्यापारी है)।

2—श्री विनोद कुमार झा, पुत्र श्री वेदानन्द झा, साकिन लेखराज, थाना बिलहर जिला—भागलपुर, बिहार।

3—श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री रामनाथ साकिन पुराना बाजार, औरैया।

4—श्री गफ्फार खां, पुत्र श्री सरदार खां, इसलामिया सहार, थाना—मूसानगर, कानपुर। (ट्रक का ड्राइवर)।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पांछे पृष्ठ 31 पर)

सूचना

कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के पत्रांक एस० सी० ई०(4)/थर्ड/20/9216/88, दिनांक 20–7–63 के द्वारा इटावा जनपद के तीन ग्राम सेवकों को सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरित करने के आदेश प्रसारित किये गये थे। उनके नाम निम्नांकित हैं :—

(1) श्री सुरेश चन्द्र चतुर्वेदी,
(2) श्री रुद्रपाल सिंह,
(3) श्री राधे श्याम शर्मा।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 32 पर।)

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, 1973

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

अधिनियमों को बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार सहित जारी रखने के लिये अधिनियम पारित होने से पहले ऐसे अधिनियमों की समाप्ति से उत्पन्न हुई और हो सकने वाली असुविधा को दूर करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा।

जारी रखने वाले अधिनियम का प्रभाव

2—यदि राज्य विधान मंडल के किसी सत्र में किसी ऐसे अधिनियम को जो उस सत्र में अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने को हो (जिसे आगे समाप्त होने वाला अधिनियम कहा गया है), जारी रखने के लिये कोई विधेयक (जिसे आगे जारी रखने वाला विधेयक कहा गया है), पुरःस्थापित किया जाय और ऐसा अधिनियम जारी रखने वाले विधेयक पर, यथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गजट में अधिनियम के रूप में (जिसे आगे जारी रखने वाला अधिनियम कहा गया है) प्रकाशित किये जाने के पूर्व समाप्त हो जाय तो जारी रखने वाले अधिनियम में अन्यथा विशेषतः की गयी व्यवस्था के सिवाय—

(क) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो तो जारी रखने वाले अधिनियम को प्रथम उल्लिखित अधिनियम की समाप्ति के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिये प्रभावी हुआ माना जायगा और होगा, मानो ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो, और

(ख) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को किन्हीं परिष्कारों के साथ जारी रखना आशयित हो, तो जारी रखने वाला अधिनियम प्रथम उल्लिखित अधिनियम को, बिना किन्हीं ऐसे परिष्कारों के उक्त दिनांक से, जारी रखने वाले अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिये जारी रखता हुआ समझा जायगा मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो और उसम उक्त परिष्कारों क लिय कोई व्यवस्था न हो :—

प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अन्तर्विष्ट किसी बात का यह विस्तार उस सीमा तक न होगा और न उससे यह समझा जायगा कि जारी रखे गये अधिनियम की समाप्ति तथा उस दिनांक के, जब जारी रखने वाला अधिनियम वस्तुतः गजट में प्रथम बार प्रकाशित किया गया, बीच इस प्रकार जारी रखे गये अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृत या अकृत बात के कारण स्वरूप ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार के दण्ड, शास्ति अथवा समपहरण का प्रभाव पड़े।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1950 निरसन-

3—उत्तर प्रदेशीय विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1950 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1950 में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किसी समाप्त होने वाले अधिनियम को आगे चालू रखने के लिये कोई विधेयक राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित किया जाय और ऐसे विधेयक पर यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पूर्व समाप्त होने वाला अधिनियम समाप्त हो जाय, तो यह समझा जायगा कि आगे चालू रखने वाला अधिनियम उस दिनांक से प्रवृत्त हुआ जिस दिनांक को समाप्त होने वाला अधिनियम समाप्त हुआ। परन्तु उक्त अधिनियम में ऐसे अधिनियम के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा समाप्त होने वाले अधिनियम को संशोधनों के साथ आगे चालू रखने की व्यवस्था की गयी हो। इसकी स्पष्ट व्यवस्था करने तथा उक्त अधिनियम को, निरसित करते हुए उसे संशोधित रूप में फिर से अधिनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,
विधायिका मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 39 पर)

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

अधिनियम संख्या 9, 1932 की अनुसूची 1 का प्रतिस्थापन

2—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची 1

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिये]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
1—धारा 58 के अधीन कथन ..	एक सौ रुपये
2—धारा 60 के अधीन कथन	तीन रुपये
3—धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना ..	तीस रुपये
4—धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	तीस रुपये
5—धारा 63 के अधीन सूचना	तीस रुपये
6—धारा 64 के अधीन आवेदन ..	तीस रुपये
7—धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण। ..	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिए दस रुपये।
8—धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण ..	एक फर्म से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दस रुपये।
9—फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां ..	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिये चार रुपये।

उद्देश्य और कारण

भारतीय भागीदारी अधिनियम की अनुसूची 1 में दी गई अधिकतम फीस वर्ष 1932 से पुनरीक्षित नहीं की गई है। अधिनियम के प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय को देखते हुए इस फीस को पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा गया। अतएव, उक्त अनुसूची 1 को संशोधित करने की प्रस्थापना है।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी
वित्त मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 39 पर)

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रांत आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ९, 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "पचहत्तर प्रतिशत" तथा "शत प्रतिशत" के स्थान पर क्रमशः शब्द "अस्सी प्रतिशत" तथा "एक सौ दस प्रतिशत" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के निरन्तर बढ़ते हुए दायित्व को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि आमोद कर की अधिकतम दर में ऐसे प्रवेश शुल्क पर जो एक रुपये से अधिक न हो प्रवेश शुल्क के पांच प्रतिशत की तथा अन्य किसी दशा में उसके दस प्रतिशत की वृद्धि की जाय ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 74 वि० सभा—(1156)—1974—8351। (मग०)